PDF Compressor Free Version

वार्षिक रिपोर्ट
2011–12

भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
नई दिल्ली

PDF Compressor Free Version

वार्षिक रिपोर्ट 2011–12

भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
नई दिल्ली

PDF Compressor Free Version

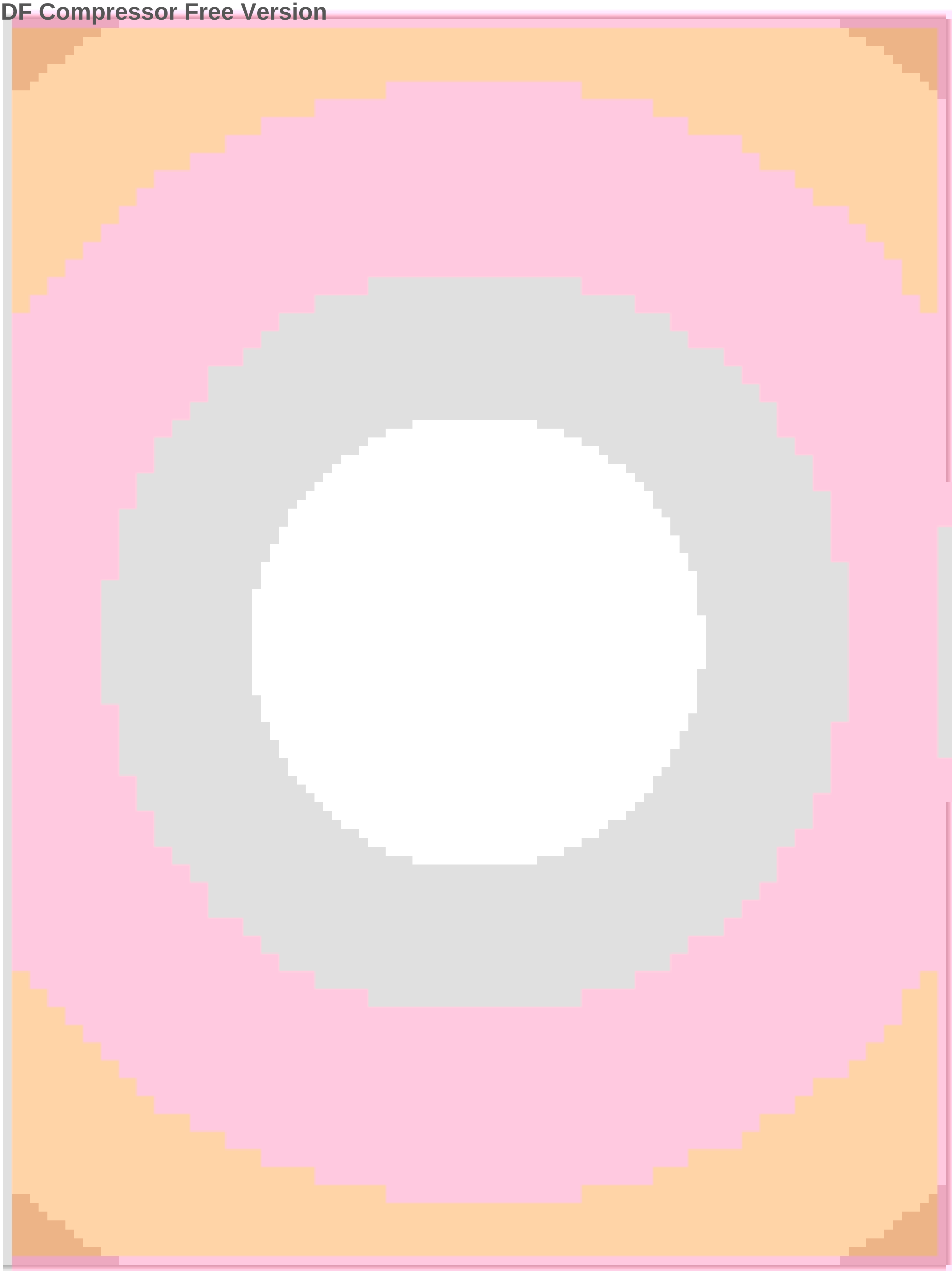

PDF Compressor Free Version

विषय–सूची

		पृष्ठ संख्या
संगठन		i–v
युवा कार्यक्रम विभाग		
1.	युवा विकास	1
2.	राष्ट्रीय युवा नीति	2
3.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस)	3–12
4.	राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस)	13–19
5.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी)	20–22
6.	युवा छात्रावास	23–24
7.	राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम	25–30
8.	अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	31–34
9.	राष्ट्रीय युवा कोर	35–36
10.	स्काउटिंग और गाइडिंग	37

PDF Compressor Free Version

PDF Compressor Free Version

विषय–सूची

खेल विभाग		पृष्ठ संख्या
11.	खेल	41
12.	अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भारतीय टीमों की प्रमुख खेल उपलब्धियां	42–43
13.	भारतीय खेल प्राधिकरण	44–64
14.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय, (ग्वालियर)	65–70
15.	पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए)	71–78
16.	शहरी खेल अवसंरचना के सृजन के लिए सहायता की स्कीम	79–82
17.	खेलों में उत्कृष्टता के संवर्धन से संबंधित स्कीम	83–84
18.	खिलाड़ियों को प्रोत्साहन से संबंधित स्कीम	85–92
19.	[illegible] खेलों से संबंधित स्कीम	93
20.	डोप–रोधी उपाय	94–100
21.	खेल तथा शारीरिक शिक्षा टीमों/विशेषज्ञों का अंतर्राष्ट्रीय आदान–प्रदान	101
22.	भारतीय राष्ट्रीय खेल–मैदान एसोसिएशन	102–104
23.	हाल ही में की गई पहलों पर एक नजर	105–110

PDF Compressor Free Version

PDF Compressor Free Version

विषय–सूची

अनुबंध		पृष्ठ संख्या
I	संगठनात्मक चार्ट	113–114
II	वित्तीय परिव्यय 2012–13	115–117
III	गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) का ब्यौरा जिनसे उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।	118–119
IV	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लंबित लेखा परीक्षा पैराओं / टिप्पणियों तथा उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	120–124
V	निर्मित युवा छात्रावासों की सूची	125
VI	नेहरू युवा केन्द्र संगठन/भारतीय खेल प्राधिकरण/संबंधित राज्य सरकारों को हस्तांतरित युवा छात्रावासों की सूची	126
VII	निर्माणाधीन युवा छात्रावासों की सूची	127
VIII	राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता 2010–11 की सूची	128–132
IX	राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को सहायता की स्कीम तथा राष्ट्रमंडल खेल, 2010 हेतु टीमों की तैयारी की स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल परिसंघों को जारी किए गए अनुदान	133–135
X	2011–2012 के दौरान नियुक्त विदेशी कोचों की सूची	136
XI	राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) से प्रदत्त सहायता का ब्यौरा	137–144
XII	विभिन्न संगठनों से राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) में अंशदान	145–147
XIII	लंदन ओलम्पिक्स, 2012 के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की सूची	148

PDF Compressor Free Version

PDF Compressor Free Version

संगठन

सचिवालय

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, श्री अजय माकन, युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) के समग्र मार्गदर्शन में कार्य कर रहा है। अप्रैल, 2008 में मंत्रालय को विभाजित करके युवा कार्यक्रम विभाग और खेल विभाग बना दिया गया और प्रत्येक विभाग एक–एक सचिव, भारत सरकार के स्वतन्त्र प्रभार के अधीन है।

मंत्रालय में 3 संयुक्त सचिव व 2 संयुक्त सचिव (स्तर स्थाने) हैं। संयुक्त सचिव (युवा कार्यक्रम और प्रशासन) युवा विकास, नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस), और सामान्य प्रशासन से संबंधित मामले देखते हैं। खेल ब्यूरो में संयुक्त सचिव भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई), लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय (एलएनयूपीई), विभिन्न राष्ट्रीय खेल परिसंघों तथा पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान जैसी अन्य खेल योजनाओं तथा राष्ट्रमंडल खेल, 2010 से संबंधित कार्य देखते हैं। लेखाओं तथा लेखा परीक्षा से संबंधित मामले, संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार के प्रभार में हैं जो कोयला मंत्रालय में अपने दायित्वों के अलावा इस मंत्रालय के कार्यों को देखते हैं।

इस समय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 217 है जिसमें समूह 'क' के 30 समूह 'ख' के 94 पद (37 राजपत्रित तथा 57 अराजपत्रित), समूह 'ग' के 93 पद शामिल हैं। मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट अनुबंध–I में दिया गया है।

मंत्रालय के कार्य

भारत सरकार के आदेश (कार्यों का आबंटन) नियमावली, 1961 की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित दोनों विभाग अर्थात युवा कार्यक्रम विभाग और खेल विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य आते हैं :–

क. युवा कार्यक्रम विभाग

1. युवा कार्यक्रम / युवा नीति
2. नेहरू युवा केन्द्र संगठन
3. राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोर स्कीम
4. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान
5. ग्रामीण युवा और खेल क्लबों को सहायता की स्कीम
6. राष्ट्रीय युवा आयोग
7. राष्ट्रीय सेवा योजना

PDF Compressor Free Version

8. स्वैच्छिक युवा संगठन जिसमें उनके लिए वित्तीय सहायता भी शामिल है (युवा और किशोर विकास के लिए युवा संगठनों को वित्तीय सहायता)
9. राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवी स्कीम
10. राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम तथा संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवक
11. युवा कल्याण कार्यकलाप, युवा महोत्सव, कार्य शिविर इत्यादि (राष्ट्रीय युवा महोत्सव)
12. बाल स्काउट्स तथा बालिका गाइड्स
13. युवा छात्रावास
14. राष्ट्रीय युवा पुरस्कार (राष्ट्रीय युवा पुरस्कार और तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार)
15. पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुशासन स्कीम के शेष कार्य
16. विदेशों के साथ युवा प्रतिनिधिमंडलों का आदान–प्रदान

ख. खेल विभाग

1. खेल नीति
2. खेल एवं क्रीड़ाएं
3. खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि
4. नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान
5. भारतीय खेल प्राधिकरण
6. भारतीय ओलंपिक संघ तथा राष्ट्रीय खेल परिसंघों से जुड़े मामले
7. विदेशों में टूर्नामेंटों में भारतीय खेल टीमों की भागीदारी तथा भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में विदेशी खेल टीमों की भागीदारी
8. अर्जुन पुरस्कार सहित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार
9. खेल छात्रवृत्तियां
10. विदेशों के साथ खिलाड़ियों, विशेषज्ञों तथा टीमों का आदान–प्रदान
11. खेल अवसंरचना के सृजन व विकास के लिए सहायता सहित खेल अवसंरचना
12. कोचिंग, टूर्नामेंटों, उपकरण इत्यादि के लिए वित्तीय सहायता
13. संघ राज्य क्षेत्रों से जुड़े खेल मामले
14. शारीरिक शिक्षा

उपर्युक्त निर्दिष्ट किसी भी विषय के लिए मंत्रालय द्वारा गठित सभी संबद्ध अथवा अधीनस्थ और स्वायत्तशासी निकाय।

अधीनस्थ कार्यालय / स्वायत्तशासी संगठन

युवा कार्यक्रम विभाग

युवा विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय अर्थात राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) और दो स्वायत्तशासी संगठन अर्थात नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाइकेएस), नई दिल्ली और राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी) (अक्तूबर, 2008 से सम विश्वविद्यालय) श्रीपेरम्बुदूर, तमिलनाडु हैं।

खेल विभाग

इस विभाग में निम्नलिखित हैं :–

(क) खेल प्रभाग : यह प्रभाग राष्ट्रमंडल खेल 2010 से जुड़े मुद्दों को छोड़कर विभाग के खेल कार्यकलापों का कार्य देखता है।

(ख) राष्ट्रमंडल खेल – 2010 प्रभाग : राष्ट्रमंडल खेल, 2010 की तैयारी से जुड़े मुद्दों की निगरानी के लिए मंत्रियों के समूह की सिफारिश पर दिनांक 25.10.2004 को एक पृथक प्रभाग सृजित किया गया।

निम्नलिखित स्वायत्तशासी संगठन, खेल विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करते हैं :–

(i) भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई), नई दिल्ली।

(ii) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय (एलएनयूपीई), ग्वालियर, मध्य प्रदेश।

(iii) राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा)।

(iv) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल)

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित 50 कार्मिक हैं। समूह "क" के पदों में 4 अधिकारी अनुसूचित जाति, 2 अधिकारी अनुसूचित जनजाति और 1 अधिकारी अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से हैं। समूह "ख" के पदों में 10 अधिकारी अनुसूचित जाति श्रेणी से, 05 अधिकारी अनुसूचित जनजाति श्रेणी से और 03 पदाधिकारी अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से हैं। समूह "ग" के पदों में 14 पदाधिकारी अनुसूचित जाति श्रेणी से और 3 पदाधिकारी अनुसूचित जाति श्रेणी और 8 पदाधिकारी अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं।

बजट आबंटन

2011–12 के लिए मंत्रालय का कुल बजट आबंटन 1121.00 करोड़ रू. (बजट प्राक्कलन) था। इसमें योजनागत शीर्ष में 1000.00 करोड़ रू. तथा योजनेत्तर शीर्ष में 121.00 करोड़ रू. शामिल हैं। 2011–12 के लिए संशोधित प्राक्कलन 990.00 करोड़ रू. है जिसमें योजनागत शीर्ष में 884.00 करोड़ रू. तथा योजनेत्तर शीर्ष में 106.00 करोड़ रू. शामिल हैं। वर्ष 2012–13 के लिए कुल बजट अनुमान 1152.00 करोड़ रू. (बजट प्राक्कलन) है जिसमें योजनागत के लिए 1041.00 करोड़ रू. तथा योजनेतर के लिए 111.00 करोड़ रू. शामिल हैं। ब्यौरा अनुबंध–II में दिया गया है।

PDF Compressor Free Version

हिंदी का प्रगामी प्रयोग

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में एक राजभाषा अनुभाग है जिसमें एक उप निदेशक (राजभाषा), एक वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, तीन कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, तथा सचिवालयीन स्टाफ के पद, राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत हैं। मंत्रालय मे संयुक्त सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) गठित की गई है।

मंत्रालय की वेबसाइट को हिंदी तथा अंग्रेजी के द्विभाषी रूप में बनाया गया है और इसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

सतर्कता प्रकोष्ठ

वर्ष 2011–12 के दौरान मंत्रालय में संयुक्त सचिव (युवा कार्यक्रम), जिन्हें मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में नामित किया गया है, के अधीन एक सतर्कता तंत्र कार्य कर रहा है जो सतर्कता संबंधी मामले को देखता है। मंत्रालय के प्रत्येक स्वायत्तशासी संगठन तथा अधीनस्थ कार्यालय का अपना एक स्वतंत्र एकक है जो सतर्कता मामलों को देखता है।

मंत्रालय तथा इसके फील्ड संगठनों में 31 अक्तूबर से 5 नवम्बर, 2011 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। मंत्रालय के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने शपथ ली। सप्ताह के दौरान सतर्कता के प्रति जागरूकता से संबंधित संदेश वाले बैनर व पोस्टर लगाए गए। इस मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भ्रष्टाचार जैसी विषयों पर वाद–विवाद और निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंत में प्रतियोगी स्पर्धाओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए।

महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न पर शिकायत समिति

विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य तथा अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में दिए गए निर्देशों के अनुसरण में मंत्रालय में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए इस मंत्रालय की एक महिला निदेशक की अध्यक्षता में एक शिकायत समिति गठित की गई है। समिति को और कोई शिकायत वर्ष 2010–11 के दौरान प्राप्त नहीं हुई है।

सूचना का अधिकार और जन शिकायत प्रकोष्ठ

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त सभी आवेदनों को केन्द्रीय रूप से इस मंत्रालय के सूचना अधिकार प्रकोष्ठ में प्राप्त किया जाता है जिसके प्रभारी एक अनुभाग अधिकारी हैं और इसका समन्वय उप सचिव द्वारा किया जाता है। आवेदन, निर्धारित समय के भीतर आवेदनकर्ता को सीधे उत्तर भेजने के लिए संबंधित सीपीआईओ को अग्रेषित किए जाते हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा 592 आरटीआई आवेदन प्राप्त और निपटाए गए। इसी प्रकार मंत्रालय में 17 अपीलें प्राप्त हुई और तदनुसार निपटाई गईं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में

PDF Compressor Free Version

मंत्रालय ने उक्त अधिनियम के अंतर्गत निदेशक/उप सचिव व अवर सचिव के स्तर पर विषय–वार जन सूचना अधिकारियों और निदेशकों/संयुक्त सचिवों के स्तर पर अधिकारी के रूप में अपील प्राधिकारियों को नियुक्त किया है। ब्यौरों को मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भी डाला गया है। इसीप्रकार जन शिकायत पर सभी आवेदनों को केन्द्रीय रूप में जन शिकायत प्रकोष्ठ में प्राप्त किया जाता है। उप सचिव (प्रशासन) को मंत्रालय में जन शिकायत अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

विवरण में सारभूत गत तीन वर्षों के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लंबित होने के वर्षवार ब्यौरे और एनपीआईएडी स्कीम के तहत 2011–2012 (15.1.2012 तक) के दौरान एनजीओ/स्वैच्छिक संगठनों को 1 लाख रू. और इससे अधिक जारी सहायता अनुदान की राशि दर्शाने वाला विवरण अनुबंध–III में दिया गया है।

लंबित लेखा परीक्षा पैरा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लंबित लेखा परीक्षा पैराओं/टिप्पणियों के ब्यौरे अनुबंध –IV में दिए गए हैं।

*****

PDF Compressor Free Version

PDF Compressor Free Version

युवा कार्यक्रम विभाग

PDF Compressor Free Version

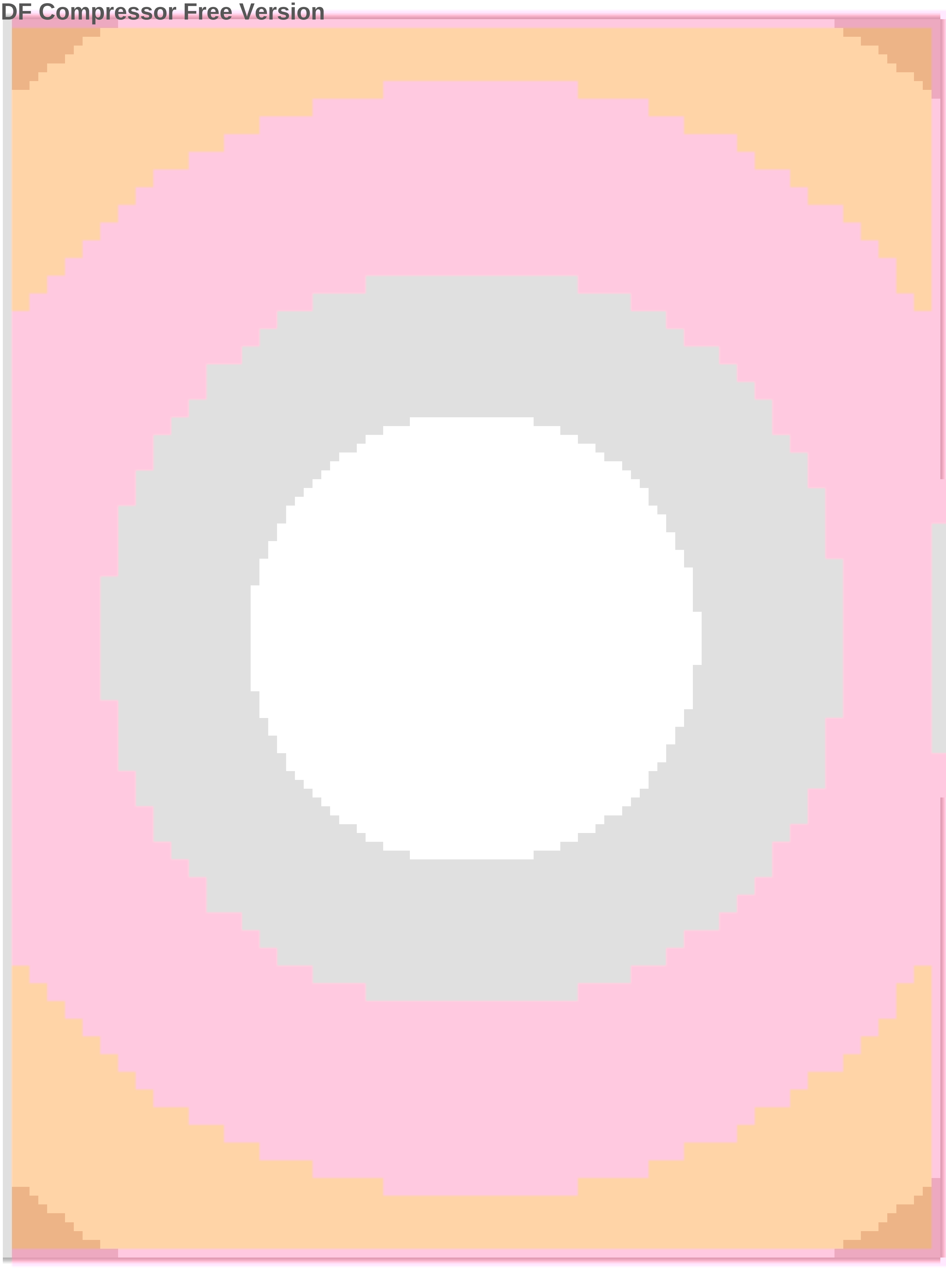

PDF Compressor Free Version

युवा विकास

भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2008 को स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में सभी युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे अपने सपनों के नए भारत के निर्माण के लिए कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करें। उन्होंने यह भी विश्वास दिलाया कि भारत में युवाओं के कौशलों को साकार रूप देने के लिए इस देश में प्रचुर अवसर होंगे।

भारत में 35 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की आबादी कुल जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत है। इसमें भी, 10–19 वर्ष की आयु के बीच की जनसंख्या लगभग 225 मिलियन है, जो प्रौढ़ अवस्था में जाने के लिए युवा लोगों का अभी तक सबसे बड़ा समूह है। युवा वर्ग की बड़ी संख्या, भारत के लिए बड़ी संख्या में भावी लाभ के रूप में बदल सकती है और/अथवा यदि उपयुक्त रूप से इसका प्रबंधन और उपयोग नहीं किया गया तो यह एक बहुत बड़ी चुनौती होगी।

माननीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नई दिल्ली में आयोजित राज्य मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए

*****

PDF Compressor Free Version

अध्याय १

राष्ट्रीय युवा नीति

राष्ट्रीय युवा नीति में भारत के युवाओं के सामाजिक एवं सर्वांगीण विकास के प्रति समूचे राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है ताकि वे राष्ट्र के पुनर्निर्माण व आने होने वाले सामाजिक परिवर्तनों के चुनौतीपूर्ण कार्यों को दिलो दिमाग और जान से सफलतापूर्वक पूरा कर सकें।

युवा कार्यक्रम विभाग सक्रिय रूप से मौजूदा राष्ट्रीय युवा नीति, 2003 की समीक्षा कर रहा है। मसौदा युवा नीति, 2011 को 10 प्रमुख क्षेत्रों को ध्यान में रखकर बनाया गया है नामत: राष्ट्रीय मूल्यों, सामाजिक सौहार्द व राष्ट्रीय एकता का संवर्धन; रोजगार व उद्यमशीलता के अवसरों के माध्यम से युवाओं का सशक्तीकरण; शिक्षा – औपचारिक व अनौपचारिक, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य से सम्बद्ध मुद्दे एवं स्वस्थ्य जीवन शैली; लिंग आधारित न्याय व समानता का संवर्धन; समुदाय सेवा में भागीदारी; जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए किशोरों को तैयार करना; सामाजिक न्याय व प्रतिकूल सामाजिक प्रथाओं के विरुद्ध कार्यवाई; पर्यावरण, इसके संरक्षण व परिरक्षण से सम्बद्ध मुद्दे; तथा राज्य प्रायोजित कार्यक्रमों व स्कीमों को सहायता सहित युवा एवं स्थानीय शासन मसौदा युवा नीति को, युवा कार्यक्रम विभाग के तहत शीर्षस्थ संस्थान राजीव गांधी युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी) द्वारा विभिन्न स्टेक होल्डरों से विस्तृत विचार विमर्श करके तैयार किया गया है। इस मसौदे को युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को उनकी टिप्पणियों/सुझावों के लिए परिचालित किया गया है। मसौदे को आम जनता के सुझावों हेतु युवा कार्यक्रम विभाग की वेबसाइट पर भी डाला गया है।

*****

अध्याय –3

नेहरू युवा केन्द्र संगठन

प्रस्तावना

नेहरू युवा केन्द्र संगठन, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी। एनवाईकेएस देश के 601 जिलों में मौजूद है। यह विश्व में सबसे बड़े युवा संगठनों में से एक बन गया है जिसकी पहुंच 1.25 लाख से अधिक गांव आधारित सक्रिय युवा क्लबों के माध्यम से पंजीकृत 42 लाख से अधिक गैर छात्र ग्रामीण युवाओं तक है।

ये युवा क्लब शिक्षा और प्रशिक्षण, जागरूकता संवर्धन, सामाजिक सौहार्द विकास, तथा स्वरोजगार, सांस्कृतिक और खेल कार्यकलापों, बचत एवं सहकारिता जैसे क्षेत्रों में काम करने के साथ–साथ खेल और साहसिक कार्यों के माध्यम से शरीर के विकास और नए विचारों और विकास कार्यनीतियों की सतत जानकारी के माध्यम से मस्तिष्क के विकास के क्षेत्रों में भी कार्यरत है। इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक जिला नेहरू युवा केन्द्र में जिला युवा समन्वयक, राष्ट्रीय युवा कोर, स्वयंसेवियों और युवा नेताओं का प्रशिक्षित संवर्ग है।

विशेष बल क्षेत्र

प्राथमिक बल इन युवा क्लबों को युवा एकत्रीकरण और सशक्तिकरण का केन्द्र बिन्दु बनाकर युवा क्लबों को एक अभियान में बदलने पर है। जिला नेहरू युवा केन्द्र, किशोरों को सदस्यों के रूप में पंजीकृत कर रहे हैं जिससे उनकी उपस्थिति युवा क्लबों के कार्यकारी निकायों में दर्ज होती है। युवा क्लबों, युवा विकास केन्द्रों आदि के सदस्यों को केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की स्कीमों के संबंध में सूचना पुस्तिकाएं भी वितरित की जा रही हैं। वर्ष 2011–12 के दौरान मेंटर युवा क्लब के टीम के तहत 601 जिलों में मेंटर युवा क्लबों के 20000 पदधारियों को शामिल किया जा रहा है ताकि उन्हें आवश्यक ज्ञान और कौशल में प्रशिक्षण देकर तैयार किया जा सके और वे गांव की स्थिति की जिम्मेदारी संभाल सके और सामाजिक आर्थिक बदलाव और गांव के सम्पूर्ण विकास के उत्प्रेरक एजेंटों के रूप में कार्य कर सकें। इसके अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्रों और जम्मू एवं कश्मीर के युवाओं के लिए युवा रोजगार क्षमता कौशल परियोजना और सीमावर्ती/जनजातीय/पिछड़े 200 जिलों में महिलाओं के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए गए ताकि वे स्व रोजगार कार्यकलाप शुरू कर सकें और इन कार्यक्रमों के माध्यम से 23130 युवाओं को 770 कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया जिनमें महिला और पुरुष दोनों शामिल थे।

PDF Compressor Free Version

एनवाईकेएस अन्य मंत्रालयों और संगठनों के सहयोग से शुरू किए गए विशेष कार्यक्रमों के अलावा, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा इसे सौंपे गए कार्यक्रमों की दो श्रेणियों अर्थात नियमित कार्यक्रम और स्कीमों के माध्यम से अपना कार्य पूरा करता है। इन श्रेणियों के तहत महत्वपूर्ण कार्यक्रमों तथा वर्ष 2011–2012 के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

नेहरू युवा केन्द्र संगठन की उपलब्धियां (एनवाईकेएस)

वर्ष 2011–12 के दौरान एनवाईकेएस ने विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रम किए। नियमित कार्यक्रमों और उल्लेखनीय उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है। इन कार्यक्रमों में मेंटर युवा क्लब स्कीम, युवा क्लब आदान–प्रदान कार्यक्रम (वाईसीईपी), युवा क्लबों को खेल सामग्री प्रदान करना, कार्य शिविर, महिलाओं के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसयूटीपी), युवा रोजगार क्षमता कौशल परियोजना, एनसीवीटी स्कीम के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, और जिला लोक सांस्कृतिक उत्सव, जिला /राज्य युवा पुरस्कार (एकल), राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दिवसों और सप्ताहों का आयोजन, युवा कार्यक्रम पर जिला सलाहकार समिति / युवा कार्यक्रम पर राज्य सलाहकार समिति (डीएसीवाईपी/एसएसीवाईपी), की तिमाही बैठकें, प्रलेखन, हस्तशिल्प (युवा कृति) पर युवाओं की प्रदर्शनी तथा राज्य सांस्कृतिक उत्सव साझा स्कीम और आवश्यकता आधारित विशेष कार्यक्रम शामिल हैं।

युवा रोजगार कौशल विकास परियोजना, मणिपुर का शुभारंभ

PDF Compressor Free Version

I. 2011–12 के दौरान महिला कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम को छोड़कर 501 जिला एनवाईकेएस में संचालित नियमित कार्यक्रमों / कार्यकलापों का विवरण इस प्रकार है :

क्रम संख्या	कार्यक्रम / कार्यकलाप का नाम	शामिल केन्द्रों, राज्यों / परियोजनाओं की संख्या	भागीदारों की संख्या
1.	मेंटर युवा क्लब की स्कीम		
क.	मेंटर युवा क्लब की स्थापना	501 एनवाईकेएस के 5000 ब्लॉकों में 10000 मेंटर युवा क्लब स्थापित किए जा रहे हैं।	
ख.	मेंटर युवा क्लबों के पदधारियों का क्षमता निर्माण	880 प्रशिक्षण कार्यक्रम	10000 मेंटर युवा क्लबों के 20000 पदधारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
2.	युवा क्लब आदान-प्रदान कार्यक्रम (वाईसीईपी)	251 कार्यक्रम	भाग लेने वाले 250 जिला एनवाईकेएस के युवा क्लबों के 5020 सदस्य ऐतिहासिक स्थलों, पर्यटक स्थलों और मेजबान 251 जिला एनवाईकेएस के शैक्षिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय प्रतिष्ठानों सहित महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा कर रहे हैं।
3.	कार्य शिविर	381 शिविर	29434 युवाओं ने भाग लिया
4.	युवा रोजगारदेय कौशल (वाईईएस) परियोजना	6 प्रशिक्षण कार्यक्रम	मणिपुर और मेघालय के 184 युवाओं ने ग्रामीण खुदरा बिक्री और विपणन में तीन माह का प्रशिक्षण किया इनमें से आज तक 118 युवाओं को नौकरी मिल चुकी है।
5.	100 सीमावर्ती / जनजातीय / पिछड़े जिलों में महिलाओं के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम	200 सीमावर्ती / जनजातीय / पिछड़े जिलों में 1245 कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।	38138 महिलाओं ने भाग लिया
6.	एनडीबीटी स्कीम के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	820 प्रशिक्षण कार्यक्रम	
7.	युवा क्लबों के लिए खेल सामग्री की व्यवस्था	खेल कार्यकलाप करने और खेलों को लोकप्रिय बनाने के लिए युवा क्लबों को मूल खेल सामग्री प्रदान करना।	कुल 24895 युवा क्लबों को खेल सामग्री प्रदान की गई

PDF Compressor Free Version

8.	खण्ड और जिला लोक सांस्कृतिक उत्सव	2122 कार्यक्रम	638800 युवाओं ने भाग लिया
9.	जिला/राज्य युवा पुरस्कार (एकल)	जिला युवा पुरस्कार में एक प्रमाण–पत्र और 5000 रु. दिए जाते हैं। राज्य युवा पुरस्कारों में भी प्रमाण–पत्र और 15000रु. दिए जाते हैं।	प्रत्येक एनवाईके दो पुरस्कार देता है (एक पुरुष, एक महिला) जिला स्तर पर 1002 तथा राज्य स्तर पर 70 युवा पुरस्कार दिए गए।
10.	राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दिवस और सप्ताह मनाना	3335 कार्यक्रम	687000 युवाओं ने भाग लिया
11.	जिला युवा सम्मेलन	288 सम्मेलन	107200 युवाओं ने भाग लिया
12.	युवा कार्यक्रम संबंधी जिला सलाहकार समिति (डीएसीवाईपी) की तिमाही बैठकें	जिला प्रशासन, जिला प्राधिकारियों, प्रतिष्ठित समाज सेवियों और युवा लीडरों के साथ लगातार सम्पर्क में रहने के लिए तिमाही बैठकें आयोजित की जाती हैं।	डीएसीवाईपी की 658 बैठकें आयोजित की गईं।
13.	प्रलेखन	एनवाईकेएस द्वारा किए गए सभी कार्यक्रमों और कार्यकलापों का संकलन करने के उद्देश्य से	501 जिला एनवाईकेएस को प्रत्येक 5000 रु. की राशि प्रदान की गई तथा 28 क्षेत्रों को प्रत्येक को 20000 रु. दिए गए।
14.	हस्तशिल्प पर युवाओं के लिए प्रदर्शनी (युवा कृति) और राज्य सांस्कृतिक उत्सव	ऐसे युवा दस्तकारों, जिन्होंने एनवाईकेएस कौशल उन्नयन कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण लिया है, को मंच प्रदान करने के लिए युवा कृति, राष्ट्रीय युवा उत्सव का नियमित कार्यकलाप है।	क्षेत्रीय कार्यालय, राज्य की राजधानी में एक युवा कृति और राज्य सांस्कृतिक उत्सव आयोजित कर रहे हैं।

I मंत्रालय और अन्य संगठनों के सहयोग से शुरू किए गए विशेष कार्यक्रम

उपर्युक्त नियमित कार्यक्रम के अलावा, वर्ष 2011–2012 के दौरान एनवाईकेएस ने अन्य मंत्रालय और संगठनों के सहयोग से विभिन्न विशेष कार्यक्रम भी चलाए। इन कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:

PDF Compressor Free Version

क्रम संख्या	कार्यक्रम /कार्यकलाप का नाम	शामिल केन्द्रों, राज्यों /परियोजनाओं की संख्या	भागीदारों की संख्या
1.	राष्ट्रीय एकीकरण शिविर – एनपीवाईएडी स्कीम के तहत युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा समर्थित	युवा और खेल मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष 2011–12 के लिए देश के 228 जिलों के लिए 228 राष्ट्रीय एकीकरण शिविर अनुमोदित किए। कुल मंजूरशुदा एनआईसी में से 74 एनआईसी आयोजित किए गए हैं।	इन एनआईसी से 11100 युवा लाभान्वित हुए तथा इस वित्त वर्ष के अंत तक 23100 युवा लाभान्वित होंगे।
2.	राष्ट्रीय युवा कोर–युवा और खेल मंत्रालय की स्कीम	एनवाईसी स्कीम का मूल उद्देश्य अनुशासित और समर्पित ऐसे युवाओं का समूह तैयार करना है जिनमें राष्ट्र निर्माण के कार्य में शामिल होने की रुचि और भावना हो। यह स्कीम देश के सभी 624 जिलों में कार्यान्वित की गई है।	चालू वित्त वर्ष के दौरान 11889 एनवाईसी तैनात किए गए / दिए गए
3.	मणिपुर में विकास और शान्ति के संदेश के प्रसार हेतु युवा पहल – पूर्वोत्तर विकास परिषद (एनईडीसी), गृह मंत्रालय द्वारा समर्थित	इस परियोजना का मूल उद्देश्य युवाओं को केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न विकास स्कीमों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देना था। इस परियोजना के तहत निम्नलिखित कार्यकलाप आयोजित किए गए : 1. कार्यशाला 2. चार द्विवर्षीय एनवाईसी प्रशिक्षण 3. जिला स्तरीय युवा नेता सम्मेलन 4. 1940 गांवों में संसाधन मानचित्रण 5. 34 खण्ड स्तरीय जीविका अर्जन प्रशिक्षण 6. 70 समूह स्तरीय प्रशिक्षण 7. स्कूल और कॉलेज स्तरीय 128 कार्यक्रम	मणिपुर के 6 जिलों के 2748 गांवों के 34188 युवा इस परियोजना के माध्यम से लाभान्वित हुए।
4.	निर्मल बिहार सम्पूर्ण सफाई जागरूकता अभियान 2011 के तहत जिला स्तरीय क्षमता निर्माण कार्यशाला	बिहार के समस्तिपुर, सीतामढ़ी, जेहानाबाद, मोतीहारी तथा जमुई में पांच जिला स्तरीय कार्यशाला	275
5.	7 उच्च फोकस वाले राज्यों के विशेष सन्दर्भ में जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों /कार्यकलापों का आयोजन –जनसंख्या स्थिरता कोष द्वारा समर्थित	11 जुलाई, 2011 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में "जनसंख्या स्थिरीकरण हेतु युवा" पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। उपर्युक्त के अलावा, 7 फोकस राज्यों नामतः ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनसंख्या स्थिरीकरण पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।	नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में 1000 युवाओं ने भाग लिया। 7 फोकस राज्यों के 21 चुनिंदा जिलों के 95 ब्लॉकों के युवाओं ने जागरूकता कार्यक्रम से लाभ उठाया।

PDF Compressor Free Version

6.	युवा क्लबों का डाटा आधार	2010–2011 के दौरान 7 माह की अवधि में 12000 एनवाईसी स्वयंसेवियों और एनवाईकेएस अधिकारियों की सहायता से एनवाईकेएस द्वारा सभी युवा क्लबों के सर्वेक्षण हेतु राष्ट्रव्यापी युवा क्लब मानचित्रण कार्य किया गया। यह कार्य लगभग 300000 गांवों में किया गया। संबंधित वाईसी और डेडी द्वारा युवा क्लब डाटा के विविधान्यकरण और अद्यतन कार्य के प्रमाणन के साथ 2011–12 के दौरान 501 जिलों के युवा क्लबों के डाटा का अद्यतन और विधिमान्यकरण का कार्य पूरा किया गया। एनवाईकेएस और 2.51 लाख युवाओं का वृहद डाटा आधार, जिसमें 8271 लाख की कुल सदस्यता वाले 1. 86 लाख सक्रिय युवा क्लब शामिल हैं, स्थापित किए गए हैं। युवा क्लब का डाटा www.nyks.org वेबसाइट पर उपलब्ध है।	
7.	पंजाब और मणिपुर में नशीली दवाओं और मदिरा के सेवन को रोकने के लिए जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम – सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समर्थित	इस परियोजना में पंजाब में 10 जिलों के 75 ब्लॉकों के 3000 गांवों और मणिपुर में 7 जिलों के 25 ब्लॉकों के 750 गांवों को शामिल किया जा रहा है।	इस परियोजना के तहत सभी परियोजना अधिकारियों, जिसमें 2 राज्य परियोजना अधिकारी, 17 जिला परियोजना अधिकारी, 17 जिला युवा समन्वयक, 125 राष्ट्रीय युवा कोर स्वयंसेवी और 30299 युवा नेता शामिल हैं, का प्रशिक्षण पूरा किया गया है। 17 जिलों में एक दिवसीय जिला स्तरीय सम्मेलन भी पूरे किए गए हैं जिनमें 3741 युवाओं ने भाग लिया। सामाजिक और जनशिक्षा कार्यकलापों, निजी सम्पर्क और सहगामी शिक्षा कार्यक्रम के तहत 307984 युवा शामिल किए गए। इस परियोजना के कार्यक्रमों में कुल 116 अतिविशिष्ट व्यक्तियों ने भाग लिया जिनमें माननीय मंत्री, सांसद सदस्य और विधायक और सरकारी अधिकारी शामिल थे।

PDF Compressor Free Version

8.	एनवाईकेएस द्वारा मनरेगा के उक्त कार्यकर्ताओं का क्षमता निर्माण और जागरूकता संवर्धन	इस परियोजना का उद्देश्य ग्राम स्तर पर एनवाईकेएस युवा क्लबों का क्षमता निर्माण विकसित करना और मनरेगा के तहत कार्यकर्ताओं/परिवारों में उनके अधिकारों, विशेष अधिकारों और प्रावधान के बारे में उनमें जागरूकता पैदा करने के कार्यान्वयन में उन्हें शामिल करना है। इस परियोजना में 10 राज्य, 200 जिले, 2000 ब्लॉक और 80000 गांव शामिल हैं।	इस परियोजना के तहत 185 सीएसीवाईईपी बैठक, 185 जिला स्तरीय सम्मेलन, 1795 ब्लॉक स्तरीय अनुकूलन, 170 एनवाईसी का प्रशिक्षण और 46705 गांवों का सर्वेक्षण कार्य आयोजित किया गया।

1. पूर्वोत्तर युवा उत्सव
2. राष्ट्रीय युवा उत्सव
3. जम्मू एवं कश्मीर युवा उत्सव
4. योग वर्ष कार्यक्रम
5. जनजातीय युवा आदान–प्रदान

I. अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही स्कीम

एनवाईकेएस ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कार्यकलाप निधि के सहयोग से बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के दस जिलों में "किशोर स्वास्थ्य और विकास" की परियोजना कार्यान्वित की। परियोजना कार्यकलापों से कुल 2484 युवा / किशोर लाभान्वित हुए।

युवा रोजगार कौशल (वाईईएस) परियोजना :

माननीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 4 अप्रैल, 2011 को बेरोजगार युवाओं को रोजगार–क्षमता वाले कौशलों का प्रशिक्षण देने के लिए प्रायोगिक आधार पर इम्फाल, मणिपुर में एक नई युवा रोजगार क्षमता कौशल परियोजना शुरू की है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हमारे 70 प्रतिशत लोग 35 वर्ष से कम आयु के हैं और गहन कौशल अन्तराल विश्लेषण के आधार पर कम रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़ों के साथ इस प्रभावी डाटा की तुलना करते हुए मंत्रालय ने राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के सहयोग से युवा रोजगार क्षमता कौशल परियोजना शुरू की है। 200 युवा स्वयंसेवियों के साथ पूर्वोत्तर के 2 राज्यों में शुरू की गई यह प्रायोगिक परियोजना अत्यधिक सफल रही क्योंकि 200 में से 150 से अधिक युवाओं को देश भर में उच्च रोजगार मिला जबकि पूर्वोत्तर में 8 राज्यों के 66 जिलों में अभी तक 1000 युवा स्वयंसेवियों को प्रशिक्षण दिया गया है। आगामी वर्ष में पूर्वोत्तर में 8000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।

I. राष्ट्रीय एकीकरण शिविर (एनआईसी)

चालू वित्त वर्ष (2011–12) के दौरान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने देश भर में राष्ट्रीय एकीकरण शिविर के 25 राज्य स्तरीय और 200 जिला स्तरीय (कुल 225 शिविर) को तथा इतने ही नेहरू युवा केन्द्रों के लिए शिविर मंजूर किए। एनआईसी का उद्देश्य, देश के विभिन्न भागों के युवाओं को साझे मंच पर लाना, है, उन्हें देश की सांस्कृतिक विरासत को समझने का अवसर देना, प्रत्येक भारतीय को एक दूसरे के साथ जोड़ने वाली विविधता में एकता के महत्व को समझने में सहायता करना है। युवाओं में भाईचारे और बंधुत्व की भावना उत्पन्न करने और विकसित करने के प्रयास किए जाते हैं।

निर्धारित उद्देश्य कई तरह के कार्यकलापों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, कार्य शिविर, ऐतिहासिक स्थलों के दौरे, परिवार स्थापन, साम्प्रदायिक सौहार्द आपसी सद्भाव, भाईचारा के संदेशों के साथ सभी धर्मों के प्रवचन। इनके अलावा, प्रत्येक एनआईसी के दौरान युवा सरोकार, लोकतंत्र, पर्यावरण संरक्षण, मानव अधिकार, संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य तथा विकास जैसे मुख्य मुद्दों को प्रस्तुति, विचार–विमर्श और आदान–प्रदान के लिए चिन्हित किया गया है और इन्हें युवाओं के कार्यकलापों में समाहित किया जाता है। कुल मंजूर एनआईसी में से देश में सभी जगहों के 33300 युवाओं की भागीदारी के साथ एनवाईकेएस ने 222 एनआईसी (28 राज्य स्तरीय और 194 जिला स्तरीय) आयोजित किए हैं।

2. 17वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2012– मैंगलोर, कर्नाटक

17वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2012, का उद्घाटन रंगारंग भव्य समारोह के रूप में 12 जनवरी, 2012 को मंगला स्टेडियम में किया गया। उद्घाटन समारोह के दौरान माननीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भारत सरकार, श्री अजय माकन ने इस बात पर जोर दिया कि दूसरों से सीखने और विचारों का आदान–प्रदान करने के लिए युवा उत्सव, युवाओं के लिए सर्वोत्तम मंच है। ऐसे युवा उत्सवों के लाभों का उल्लेख करते हुए उन्होंने ने कहा "युवा भावी नेता हैं, उन्हें अपने देश को अच्छी तरह समझना चाहिए"।
राष्ट्रीय युवा उत्सव 2012 के दौरान नेहरू युवा केन्द्र संगठन ने प्रमुख कार्यकलाप आयोजित किए जैसे खाद्य उत्सव, युवा कृति, युवा कलाकार शिविर और साहसिक कार्य जिनमें विभिन्न स्थलों जैसे कदावली उत्सव जन समूह, पुलिस ग्राउंड, कदरी पार्क और नेहरू मैदान आदि में भारी संख्या में लोग आए। पुरस्कार विजेताओं को इनाम और प्रमाण–पत्र दिए गए। राष्ट्रीय युवा उत्सव के भाग के रूप में नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा आयोजित गैर प्रतियोगिता खेलों और मार्शल आर्ट में भारी संख्या में लोग आकर्षित हुए और स्थानीय लोगों ने इनकी बहुत सराहना की। राष्ट्रीय युवा उत्सव के सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रमों में नेहरू युवा केन्द्र संगठन ने यूफोरिया नाम से डॉ. प्रकाश सेन की सांस्कृतिक कला प्रस्तुति आयोजित की जिसमें भारी संख्या में लोग आए और सराहना की।

एनवाईकेएस के अनुभवी अधिकारियों द्वारा पेशेवर दृष्टिकोण और समर्पण के साथ प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम जैसे लोक नृत्य, लोक गीत, एकांकी नाटक (अंग्रेजी और हिंदी), शास्त्रीय गायन एकल (हिन्दुस्तानी और कर्नाटक), व्याख्यान (भाषण), हार्मोनियम (सुगम), शास्त्रीय वाद्य एकल (सितार, बांसुरी, तबला, वीणा और मृदंगम) वाद्य यंत्र – गिटार, शास्त्रीय नृत्य, (मणीपुरी, ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक और कुचीपुडी) का सफल आयोजन किया।

उपर्युक्त के अलावा, नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा पांच दिनों के लिए हर रोज चार पेज का रंगीन न्यूज लेटर "नेहरू युवा संदेश" निकाला गया जिसमें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2012 के कार्यक्रमों और कार्यकलापों का विवरण प्रस्तुत किया गया। उत्सव के व्यापक मिडिया कवरेज और प्रचार प्रसार के लिए नेहरू युवा केन्द्र संगठन ने हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और राष्ट्रीय युवा उत्सव के विभिन्न समारोह स्थलों सहित महत्वपूर्ण स्थानों पर बैनर और कटआउट लगाए। बड़ी एलसीडी स्क्रीन लगाई और राष्ट्रीय युवा उत्सव के प्रतिदिन के कार्यक्रम और कार्यकलापों पर वीडियो क्लिपिंग ने प्रदर्शित की गई।

नेहरू युवा केन्द्र संगठन के अधिकारियों ने समापन समारोह में प्रतियोगी स्पर्धाओं के विजेताओं को ईनाम और प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया का भी आयोजन किया। राष्ट्रीय युवा उत्सव के समापन समारोह में ईनाम विजेता टीमों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई।

PDF Compressor Free Version

3. कश्मीर युवा उत्सव

कश्मीर युवा उत्सव, कश्मीर के युवाओं द्वारा सकारात्मक भूमिका निभाने और अपनी छुपी हुई प्रतिभा दिखाने के लिए वहां युवाओं के लिए सहायक वातावरण पैदा करने के लिए एमएसएफ के सहयोग से एनवाईकेएस का एक और प्रयास था। युवा उत्सव का आयोजन 18 से 19 अक्तूबर 2011 तक दो दिन के लिए किया गया। उत्सव में भाग लेने वालों की कुल संख्या 500 थी जिनमें से 150 भागीदार एमएसएफ और शेष 350 भागीदार विभिन्न एनवाईकेएस के थे। इससे इन उभरते युवाओं को अपनी सृजन शक्ति और प्रतिभा दिखाने का एक मंच मिला। अनेक प्रतियोगिताएं और प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा वार्ताएं आयोजित की गई।

श्री अजय माकन, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री, जनाब उमर अब्दुल्ला, माननीय मुख्य मंत्री जम्मू एवं कश्मीर, इंजीनियर आर एस चिब, युवा सेवा और खेल, चिकित्सा एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री ने एसकेआईसीसी, श्रीनगर में आयोजित उद्घाटन समारोह में उपस्थित 500 से अधिक युवाओं से बात की। कश्मीर युवाओं के साथ बात करने वाले अन्य लोगों में प्रोफेसर राधा कुमार, वार्ताकार, सुश्री शबाना आज़मी, सिनेमा कलाकार और प्रतिष्ठित समाज सेविका के अन्य वक्ता और मिडिया एजूकेशन और सामाजिक कार्य के क्षेत्र के अन्य वक्ता शामिल थे।

4. मेरी धरती मेरा कर्तव्य अभियान

जी न्यूज के सहयोग से नेहरू युवा केन्द्र संगठन ने धरती पर्व मनाने के लिए, 2010–2011 और 2011–2012 के दौरान मेरी धरती मेरा कर्तव्य अभियान शुरू किया। अभियान के दौरान जिला युवा समन्वयकों ने मिडिया को जानकारी देकर, युवा क्लबों से सम्पर्क करके और उन्हें ऐसे और बड़े महत्वपूर्ण अभियान में शामिल होने के लिए प्रेरित करके अपने–अपने जिलों में परिवेश तैयार किया। उन्होंने इस अभियान को सफल बनाने के लिए युवा क्लबों के सदस्यों, पंचायत लीडरों के साथ अनौपचारिक बैठकें भी की। इस अभियान को स्वयंसेवी आधार पर और स्थानीय संसाधन जुटाकर चलाया।

उत्सव मनाने के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए यह अभियान अगस्त और सितम्बर, 2010 और 2011 में चुने हुए 11 शहरों में शुरू किया गया। माननीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), श्री अजय माकन ने 12 सितम्बर, 2011 को लेह (जम्मू एवं कश्मीर) में इस उत्सव का उद्घाटन किया। शुरूआती समारोह के दौरान सेमिनार/सांस्कृतिक कार्यकलाप, प्रदर्शनियां, प्रतिज्ञा, रैलियां आदि मुख्य कार्यकलाप थे।

इस अभियान का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस कार्रवाई करने के लिए समाज में समझ पैदा करना और समाज को प्रोत्साहित करना, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण विकृति के जोखिमों से निपटने के लिए व्यवहार में बदलाव लाना तथा लोगों को साधारण उपाय, जो वे धरती को बचाने के लिए ड्यूटी के रूप में अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं, करने के बारे में प्रेरित करना है।

इस अभियान के तहत एनवाईकेएस ने ग्राम आधारित युवा क्लबों के अपने नेटवर्क के माध्यम से देश भर में सदभावना समारोह के दौरान विभिन्न प्रजातियों के 8796957 (2010–11 : 5888227 और 2011–12 : 2908730) की रिकार्ड संख्या में पौधे लगाए।

5. पूर्वोत्तर युवा उत्सव

दूसरे पूर्वोत्तर युवा उत्सव का आयोजन 7 से 9 अप्रैल, 2011 तक जे.एन. स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, शिलांग, मेघालय में किया गया। इस उत्सव का उद्घाटन 7 अप्रैल, 2011 को माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री अजय माकन द्वारा किया गया। श्री बी. एम. लानोंग, माननीय उप मुख्य मंत्री मेघालय, जो मेघालय में युवा कार्यक्रम और खेल के प्रभारी मंत्री भी हैं, विशेष माननीय अतिथि थे।

PDF Compressor Free Version

यह उत्सव पूर्वोत्तर में तीन दिन का समारोह था और इस भव्य समारोह में एनएसएस स्वयंसेवियों और देश के शेष भाग से 132 शिल्पकारों और फूड स्टालों के 78 भागीदारियों सहित पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के कुल 585 युवाओं ने भाग लिया।

8. जनजातीय युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम

मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित यह चौथा जनजातीय युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम दो स्थानों 28 फरवरी से 5 मार्च, 2012 तक बैंगलूरु (कर्नाटक) तथा 8 से 12 मार्च, 2012 तक कोलकाता आयोजित किया गया। बेंगलूरु में 7 राज्यों के 15 जिलों से कार्यक्रम में भाग लेने वाले कुल 370 जनजातीय युवाओं में से 252 पुरुष और 118 महिलाएं थीं। इसी प्रकार कोलकाता में 8 राज्यों के 17 जिलों से कार्यक्रम में भाग लेने वाले कुल 392 जनजातीय युवाओं में से 277 पुरुष और 115 महिलाएं थीं। जनजातीय युवाओं को 9 राज्यों नामतः बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के 34 नक्सल प्रभावी जिलों से आमंत्रित किया गया। 7 दिन के इस कार्यक्रम के दौरान भागीदारों को पर्यटक और ऐतिहासिक रुचि के अनेक महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा करने के साथ–साथ अनेक उच्च स्तरीय गणमान्य व्यक्तियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अधिकारियों से मिलने और बातचीत करने का मौका मिला।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनजातीय विकास और शांति और सौहार्द के मूल्यों के संवर्धन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए मुख्यधारा के विकासपरक कार्यकलापों में जनजातीय युवाओं को शामिल करना था।

*****

PDF Compressor Free Version

राष्ट्रीय सेवा योजना

राष्ट्रीय सेवा योजना एवं इसका विस्तार

1.1 युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना, जो एनएसएस के नाम से लोकप्रिय है, की शुरुआत सामुदायिक सेवा के जरिए छात्रों के व्यक्तित्व के विकास पर प्रमुख फोकस के साथ 40,000 छात्रों को शामिल करते हुए 37 विश्वविद्यालयों में गांधी जी के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 में की गई थी। आज एनएसएस में 298 से अधिक विश्वविद्यालयों में फैले 3.2 मिलियन से अधिक छात्र स्वयंसेवक और पूरे देश में 42(+2) वरिष्ठ माध्यमिक परिषदें और व्यावसायिक शिक्षा निदेशालय हैं। इसके प्रारंभ से अब तक विश्वविद्यालयों, कॉलेजों तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों से 3.75 करोड़ से अधिक छात्र, छात्र स्वयंसेवकों के रूप में एनएसएस कार्यकलापों से लाभान्वित हुए हैं।

1.2 एनएसएस के अंतर्गत 26,202 गांवों/शहरी मलिन बस्तियों, जिसे इस उद्देश्य के लिए अपनाया गया था, में विकास कार्यकलाप करने के लिए 15,109 कॉलेजों/तकनीकी संस्थानों और 8,174 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में 32 लाख स्वयंसेवकों ने अपना नाम लिखवाया है।

1.3 एनएसएस स्वयंसेवक दो तरह के कार्यकलाप करते हैं :–

i) नियमित कार्यकलाप, और
ii) विशेष कैम्पिंग कार्यक्रम

1.3.1 नियमित कार्यकलापों के दौरान वे लगातार दो वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 120 घंटे देते हैं, जिसमें एनएसएस के संबंध में सामान्य अभिविन्यास के 20 घंटे और अपनी स्वयंसेवकवृत्ति में उन्हें जो काम करना है उसका तरीका शामिल है। अवधि पूरा होने के बाद विश्वविद्यालयों तथा +2 परिषदों द्वारा स्वयंसेवकों को प्रमाण पत्र दिए जाते हैं।

1.3.2 समुदाय से एनएसएस के छात्र स्वयंसेवकों को परिचित कराने के लिए उनके कार्यकाल के दौरान सभी स्वयंसेवकों को 7 दिन के लिए विशेष शिविर के रूप में स्वर्णिम अवसर प्रदान किया जाता है। ये शिविर आवासीय होते हैं और विशिष्ट विषयों के आधार पर समुदाय में आयोजित किए जाते हैं।

1.3.2.1 पिछले वर्ष निम्नलिखित विषयों पर शिविरों का आयोजन किया गया था:

1. प्राकृतिक संसाधनों के परिरक्षण तथा सांस्कृतिक/ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण सहित पर्यावरण;
2. स्वास्थ्य, लोक स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वास्थ्य;
3. परियोजना पहचान, कार्यक्रम निरूपण, कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन सहित ग्रामीण विकास
4. कानूनी जागरूकता सहित शिक्षा और साक्षरता; और

PDF Compressor Free Version

5. अभिघात देखभाल, प्रारंभिक परामर्श और आंकड़ा संकलन सहित आपातकालीन अन्तःक्षेप।

इस संबंध में सभी फील्ड स्थापनाओं को प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए उपर्युक्त पांच प्रमुख क्षेत्रों में से एक का चुनाव करने की सलाह दी गई थी।

2.1.1 युवा छात्रों के लिए कार्यक्रम विकास में बहुत समय लगा है। एनएसएस मूल्य आधारित स्वयंसेवक कार्यक्रम है, जो हमेशा भारतीय समाज को प्रभावित करने वाले ज्वलंत मुद्दों के निकट रहा है।

2.1.2 वर्षों से एनएसएस ने जन साक्षरता, पर्यावरण परिरक्षण, स्वास्थ्य शिक्षा, सामुदायिक विकास, आपदा प्रबंधन, किशोर स्वास्थ्य विकास, एचआईवी/एड्स जागरूकता, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान आदि के क्षेत्र में विभिन्न रचनात्मक प्रयास किया है। एनएसएस स्वयंसेवक सूखा, बाढ़, चक्रवात और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में स्वैच्छिक सेवा देने के लिए हमेशा आगे रहे हैं।

3.1.1 इस कार्यक्रम को पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम और पहाड़ी भूभागों को छोड़कर, जहां अनुपात 3:1 है, सभी राज्यों में 7:5 के अनुपात में संघ एवं राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है। जम्मू एवं कश्मीर तथा सभी संघ शासित क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्तपोषित किया जाता है। एनएसएस कार्यकलापों के संबंध में प्रशासन, प्रशिक्षण, अनुसंधान, अभिमुखन, मूल्यांकन और प्रकाशन से संबंधित व्यय का वहन पूरी तरह संघ सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य स्तर पर कार्यक्रम के निर्बाध कार्यान्वयन के लिए अंतर–विभागीय समन्वयन की देख–रेख के लिए पूरे वित्तीय सहयोग से केन्द्र सरकार द्वारा राज्य स्तर पर राज्य एनएसएस प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। नियमित कार्यकलापों के लिए प्रति स्वयंसेवक खर्च 250/– रु. और विशेष शिविर कार्यक्रम के लिए प्रति स्वयंसेवक खर्च 450/– रु. है।

3.1.2 राष्ट्रीय स्तर पर नीति एवं कार्यक्रमों को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय, राष्ट्रीय सेवा योजना संगठन, दिल्ली में स्थित कार्यक्रम सलाहकार प्रकोष्ठ नामक राष्ट्रीय मुख्यालय और अहमदाबाद, बैंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, पटना, पुणे एवं त्रिवेन्द्रम स्थित 15 क्षेत्रीय केन्द्रों के जरिए कार्यकलापों की निगरानी करता है।

3.1.3 एनएसएस कार्यक्रम अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और सामाजिक विकास के आधुनिक कौशल से उन्हें सज्जित करने के लिए भारत सरकार के खर्च पर देशभर में एनएसएस कार्यक्रम अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु 13 पैनलबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों (ईटीआई) की पहचान की गई है। ये संस्थान एनएसएस कार्यक्रम अधिकारियों, जो स्वयंसेवकों से सम्बद्ध वास्तविक फील्ड कार्यकर्ता हैं, को प्रशिक्षित करने के लिए पाठ्यक्रम चलाते हैं।

3.2 वर्ष 2011–12 में 27,129 अपनाए गए गांवों/मलिन बस्तियों में नियमित कार्यकलाप के लिए पूरे देश में 32.25 लाख स्वयंसेवकों का नामांकन किया गया, अपनाए गए गांवों के समग्र विकास के लिए 19,006 विशेष शिविरों का आयोजन किया गया।

PDF Compressor Free Version

3.3 पिछले वर्षों में एनएसएस स्वयंसेवकों ने समुदाय और सामाजिक विकास के लिए पर्याप्त योगदान दिया है, जो राष्ट्रीय अभिवृद्धि और विकास के लिए उनकी चिंता को प्रदर्शित करता है।

3.3.1 पर्यावरण संरक्षण परियोजना और संवर्धन के लिए नियमित कार्यकलापों के अंतर्गत एनएसएस स्वयंसेवकों द्वारा पूरे राष्ट्र में 37,06,075 से अधिक पौधे लगाए गए। उन्होंने कुछ नई परियोजनाएं जैसे कि मार्ग पौध रोपण, पौधा पहचान की शुरूआत की और वन महोत्सव सप्ताह के दौरान बड़ी संख्या में पौधारोपण शिविरों का आयोजन किया।

3.3.2 रक्त मानव शरीर का अनिवार्य घटक है, जिसे आपातकाल में केवल रक्त द्वारा बदला जा सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए एनएसएस स्वयंसेवकों ने स्वैच्छिक रक्तदाताओं के रूप में स्वयं का नाम लिखवाया और जब भी समुदाय के सदस्यों द्वारा अपेक्षित हुआ रक्तदान किया। इसके अलावा देशभर में नियमित रक्तदान शिविरों, राष्ट्रीय रक्तदान दिवस का आयोजन किया गया। इस संबंध में पिछले वर्ष एनएसएस इकाईयों द्वारा 23,705 रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया है और रक्त की 2,27,486 यूनिट दान की गई।

3.3.3 स्वयंसेवकों ने पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की सहायता की, जिसमें 26,53,938 से अधिक बच्चों को पल्स पोलियो ड्रॉप दिया गया।

3.3.4 एनएसएस स्वयंसेवकों ने सितम्बर, 2011 माह में सिक्किम में भूकंप पीड़ितों के परिवारों को तुरंत सहायता पहुंचायी। पहले भी उन्होंने पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में आइला चक्रवात के पीड़ितों के प्रति अपनी चिंता दर्शाई। उन्होंने राहत अभियान और पुनर्वास कार्य में भी दिन-रात काम किया।

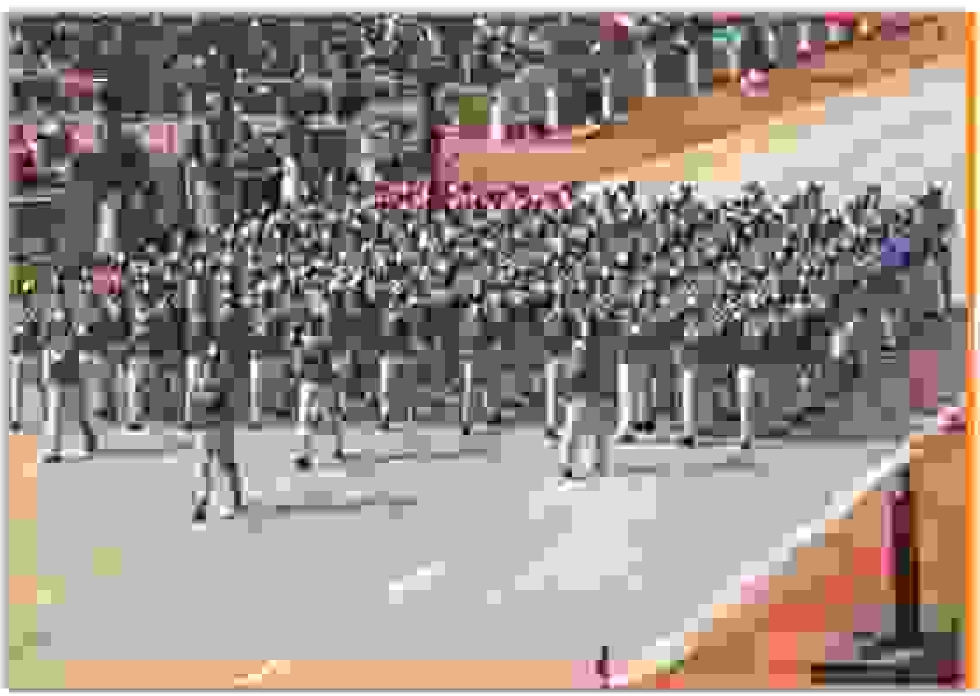

एन एस एस गणतंत्र दिवस परेड, 2012 में भाग लेते हुए

PDF Compressor Free Version

4. एनएसएस में नई पहलें

4.1 वृहत्त ग्रीष्मकालीन शिविर : 400 एनएसएस छात्र स्वयंसेवकों के वृहत्त ग्रीष्मकालीन शिविर की शुरूआत 12 दिन की अवधि के लिए की गई है। वर्ष 2011–12 में क्रमशः लोनावाला (महाराष्ट्र) में 18 से 29 जून, 2011 तक और नई दिल्ली में 13 से 24 नवम्बर, 2011 तक एन एस एस स्थापना दिवस के दौरान दो वृहत्त शिविरों का आयोजन किया गया।

4.2 राजीव गांधी साहस स्कीम : छात्र युवा के बीच साहसिक कार्यकलापों के संवर्धन के उद्देश्य से युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी साहस स्कीम शुरू की गयी है। ये कार्यकलाप 2000 एनएसएस स्वयंसेवकों के लिए वार्षिक आधार पर उत्तर में हिमालयी क्षेत्र और दक्षिण भारत में कुन्नूर एवं लेक्कादि तक पूरे देश में आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष 2000 एनएसएस स्वयंसेवकों और 200 एनएसएस कार्यक्रम अधिकारियों ने 100 बैचों में साहस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। अब तक 6000 एनएसएस स्वयंसेवक और 600 एन एस एस कार्यक्रम अधिकारी पर्वतारोहण एवं सम्बद्ध खेलों के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में साहस प्रशिक्षण से लाभान्वित हुए हैं। अलग विशेष साहस कार्यक्रम में 300 चयनित एनएसएस स्वयंसेवक, जो राष्ट्रमंडल खेल के दौरान स्वयंसेवक बने थे, को मनाली, धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) और डेजर्ट सफारी, जैसलमेर (राजस्थान) में विभिन्न साहस प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भेजा गया।

4.3 यूथ टू द एज स्कीम : भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में साहसिक कार्यकलापों के प्रवर्धन के लिए 'यूथ टू द एज स्कीम' नामक नई स्कीम की शुरूआत श्री पवन सिंह घाटोवार, माननीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री द्वारा 30 जनवरी, 2012 को भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान (आईएमएफ), नई दिल्ली के परिसर में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की सहायता से पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय (डोनेयर) द्वारा किया गया। इस स्कीम के अंतर्गत, देशभर से 2000 एनएसएस स्वयंसेवक साहस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए असम, अरूणाचल प्रदेश और नागालैंड का दौरा करेंगे। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के अज्ञात क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन और जीव–जंतु एवं वनस्पति के अध्ययन को भी बढ़ावा देगा।

4.4 स्व–वित्तपोषित इकाईयां

एनएसएस के दायरे में अधिक छात्रों को लाने के लिए संस्थानों में स्व–वित्तपोषित इकाईयां शुरू की गई हैं। ये इकाईयां एनएसएस के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार काम करती हैं और उनके स्वयंसेवक मंत्रालय द्वारा आयोजित अन्य कार्यक्रमों का भी लाभ प्राप्त करते हैं। अब तक देश में 1,072 स्व–वित्तपोषित इकाईयां स्थापित की गई हैं।

4.5 एनएसएस स्वयंसेवकों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण

एनएसएस स्वयंसेवकों को उनकी स्वयंसेवीवृत्ति के दौरान कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि वे अपनी इच्छा के कौशल के कुछ किस्म के तकनीकी ज्ञान से सज्जित हो सकें, जो उन्हें लाभकर रोजगार प्राप्त करने में सहायता करेगा। प्रारंभ में इस परियोजना को कुछ चुनिंदा विश्वविद्यालयों और संस्थानों में प्रायोगिक आधार पर शुरू करने की परिकल्पना की गई है।

PDF Compressor Free Version

4.8 मतदाता–जागरूकता अभियान

नागरिकों को बुद्धिमत्ता से मत देने के लिए जागरूकता उत्पन्न करने और प्रोत्साहित करने और शिक्षित करने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग की सहायता से जी न्यूज ने एनएसएस स्वयंसेवकों को शामिल करते हुए जागरूकता अभियान "आपका वोट आपकी ताकत" की शुरूआत की है। एनएसएस ने मतदान में अपना मत डालने हेतु अधिकतम संख्या में मतदाताओं तक पहुंचने के प्रयास की शुरूआत की है। उन्हें अपना मतदाता पहचान पत्र तैयार करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एनएसएस स्वयंसेवक नैतिक मतदान सहित सिविल सोसायटी कार्यों की जानकारी देंगे और व्यापक प्रभाव का प्रयोग करके मतदान प्रक्रिया के दौरान अधिक संख्या में लोगों द्वारा मतदान के लिए कार्यनीति विकसित करेंगे। एनएसएस स्वयंसेवकों द्वारा इस जागरूकता कार्यक्रम ने विभिन्न राज्यों में आयोजित हाल के विधानसभा चुनावों के दौरान सकारात्मक परिणाम प्रदर्शित किया है, जहां मतदान प्रतिशतता में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।

5. गणतंत्र दिवस परेड शिविर – 2012

5.1 एनएसएस स्वयंसेवक हर वर्ष राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेते हैं। 1988 में एनएसएस स्वयंसेवकों के पहले गणतंत्र दिवस शिविर से लेकर ये गणतंत्र दिवस परेड शिविर देश के छात्र युवा के व्यक्तित्व विकास के लिए वरदान साबित हुए हैं।

5.2 स्वयंसेवकों के चयन की प्रक्रिया क्या है : गणतंत्र दिवस परेड के दल का चयन क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित गणतंत्र दिवस पूर्व परेड शिविरों से किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र के 200 स्वयंसेवक 10 दिन के लिए इन शिविरों में भाग लेते हैं। इन शिविरों में स्वयंसेवकों को परेड तथा अन्य युवा विकास कार्यक्रमों के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है। स्वयंसेवकों को विभिन्न सामाजिक–सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के अलावा नेतृत्व विकास तथा परेड में प्रशिक्षण दिया जाता है।

5.3 दिल्ली में गणतंत्र दिवस शिविर : गणतंत्र दिवस शिविर में दिन 6 बजे सुबह शुरू होता है, जो 10 बजे रात तक चलता है। इसमें सुबह की प्रार्थना, व्यायाम, योग, शारीरिक प्रशिक्षण शामिल होता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में भागीदारी को छात्र युवा के लिए बड़े गौरव का विषय माना जाता है। इसे देशभर में एनएसएस स्वयंसेवकों द्वारा की जाने वाली स्वार्थरहित समुदाय सेवा का का सम्मान माना जाता है। हमारे ज्ञान भागीदारों अर्थात् टेरी, पिरामीड के सहयोग से गणतंत्र दिवस शिविर में अकादमिक सत्र आयोजित किए जाते हैं। इन सत्रों में प्रसिद्ध हस्तियों द्वारा व्याख्यान होते हैं। यह वैश्विक स्तर पर सोचने के लिए स्वयंसेवकों को एक अवसर प्रदान करता है। एनएसएस दल ने राजपथ, नई दिल्ली पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड, 2012 में भाग लिया। प्रतिष्ठित एनएसएस गणतंत्र दिवस परेड शिविर का आयोजन 1–31 जनवरी, 2012 तक खेल छात्रावास, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में किया गया। चयनित 200 एनएसएस स्वयंसेवकों ने इस शिविर में भाग लिया। माह भर के शिविर के दौरान एनएसएस स्वयंसेवकों को प्रसिद्ध हस्तियों के साथ आदान–प्रदान का अवसर दिया गया और विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमों एवं प्रतिस्पर्द्धाओं का भी आयोजन किया गया। उन्हें दिल्ली और उसके आस–पास ऐतिहासिक महत्व के विभिन्न स्थानों और ताजमहल भी ले जाया गया।

PDF Compressor Free Version

5.4 गणतंत्र दिवस परेड शिविर हर वर्ष 1–31 जनवरी तक देश की राजधानी में "लघु भारत" को प्रस्तुत करता है। यह एनएसएस स्वयंसेवकों को न केवल स्वयं के बीच तालमेल वरन् एक से दूसरे राज्य की परंपरा, रिवाज, संस्कृति, भाषा को सीखने एवं जानने का सुअवसर प्रदान करता है। ये स्वयंसेवक शिविर में माह भर ठहरने के बाद बेहतर तरीके से स्वयं को प्रस्तुत करने में समर्थ होते हैं और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता, भाईचारा, सामुदायिक सद्भावना के बंधन को संघटित करता है, जो इस शिविर का वास्तविक लक्ष्य है।

6. युवा उत्सव

एनएसएस का दल 1995 में पहले राष्ट्रीय युवा उत्सव की शुरूआत से राष्ट्रीय युवा उत्सवों में नियमित रूप से भाग लेता है। अब तक एनएसएस ने भारत में विभिन्न स्थानों पर 17 राष्ट्रीय युवा उत्सव और कोहिमा (नागालैंड), शिलांग (मेघालय) में दो पूर्वोत्तर युवा उत्सवों और श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर) में एक राष्ट्रीय युवा उत्सव में भाग लिया।

6.1 सुविचार एवं एनएसएस के लिए राष्ट्रीय युवा सम्मेलन : इस वर्ष 300 एनएसएस स्वयंसेवकों के दल और दल के नेताओं ने मंगलौर (कर्नाटक) में 12–16 जनवरी, 2012 तक आयोजित XVIIवें राष्ट्रीय युवा उत्सव में सक्रिय से भाग लिया और 12 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय युवा दिवस भव्य तरीके से मनाया गया, जिसमें एनएसएस स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। देश के शेष भाग में एनएसएस इकाईयों ने संगोष्ठियों, रैलियों, प्रश्नोत्तरी, व्याख्यानों, निबंधन लेखन और पोस्टर लेखन प्रतिस्पर्धाओं के आयोजन द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया। एनएसएस स्वयंसेवकों द्वारा पूरे भारत में उपयुक्त तरीके से राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया गया।

6.2 7 से 9 अप्रैल, 2011 तक शिलांग (मेघालय) में आयोजित दूसरे पूर्वोत्तर युवा उत्सव के दौरान "पूर्वोत्तर से परिचय एवं एकीकरण" पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

6.3 श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर) में 18 एवं 19 अक्तूबर, 2011 को "शांति के लिए एक साथ" विषय पर दो दिवसीय कश्मीर युवा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 300 से अधिक एनएसएस स्वयंसेवकों ने सक्रियता से भाग लिया।

7. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार की राशि को सभी श्रेणियों के लिए प्रायः चौगुना कर दिया गया है। विश्वविद्यालय/+2 परिषद स्तर के पुरस्कार में अब 2,00,000/– रु., प्रत्येक दस एन एस एस इकाइयों के लिए 70,000/– रु., प्रत्येक दस कार्यक्रम अधिकारियों के लिए 30,000/– रु और प्रत्येक तीस स्वयंसेवकों के लिए 15,000/– रु का नकद पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कारों की संख्या को भी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2010–11 के लिए पुरस्कार छह के बजाय 10 एन एस एस इकाईयों/कार्यक्रम अधिकारियों और 15 के बजाय 30 एन एस एस स्वयंसेवकों को दिया जाएगा। नामांकन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और चयन में पहले हो चुकी देरी को पहले से रोकने के लिए समय–सीमा तय की गई है।

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर का आईजी एनएसएस पुरस्कार मदुरा विश्वविद्यालय (तमिलनाडु) के एनएसएस प्रकोष्ठ ने जीता और उत्कृष्ट निष्पादन का सम्मान करने के लिए अन्य पुरस्कार मिजोरम विश्वविद्यालय (आइजोल) को दिया गया।

*****

अध्याय–5

राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान

चूंकि युवा विकास, भारत जैसे विशाल देश में मानव संसाधनों के निर्माण के सन्दर्भ में राष्ट्रीय विकास का प्रमुख घटक है, अतः यह महसूस किया गया कि युवा प्रेरणा के सभी प्रासंगिक पहलुओं का पता लगाने तथा युवा कल्याण के कार्यक्रम विकसित करने तथा उनका डिजाइन तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय संस्था होना आवश्यक है। इस उद्देश्य से युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वायत्त निकाय के रूप में राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी) की स्थापना की गई। और इसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, XXVII, 1975 (1993 का 67 वां) के तहत पंजीकृत किया गया।

यह एक व्यावसायिक संसाधन एजेंसी के रूप में उभरा है और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के एक "बुद्धिजीवी शक्ति" के रूप में कार्य करता है युवा से संबंधित क्रियाकलापों में तथा सरकारी एवं गैर–सरकारी एजेंसियों की सहायता करता है। राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष संस्थान के रूप में यह एनएसएस, एनवाईके और अन्य युवा संगठनों के साथ निकट सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कार्य करता है। यह संस्थान युवाओं के प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में युवा विकास क्रियाकलापों के एक सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है।

इस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाने संबंधी आरजीएनआईवाईडी विधेयक 2011 को 21.12.2011 को संसद में पेश किया गया है।

PDF Compressor Free Version

संस्थान को आवश्यक कार्यात्मक सुविधाएं तथा ढांचा मुहैया करवाया गया है ताकि यह युवा कार्य में व्यावसायिक विशेषज्ञता की उपलब्धता को सुनिश्चित करने और युवा कार्यकर्ताओं के एक दक्ष संवर्ग को बनाने के लिए एक उन्नत अध्ययन तथा प्रायोगिक अनुसंधान केन्द्र के रूप में कार्य कर सके। अपने कार्यात्मक क्रियाकलापों की एक नियमित विशेषता के रूप में संस्थान ने कई अनुसंधान परियोजनाएं तथा विस्तार कार्यक्रमों को युवाओं में उस क्षमता को खोजने के लिए प्रारम्भ किया है जो कि सम्भवतः छुपी हुई ही रहती। यह युवाओं को उनसे संबंधित मुद्दों तथा साथ ही उनके विकास में बाधा उत्पन्न करने वाले मुद्दों पर बहस तथा चर्चा करने के लिए एक मंच मुहैया करवाता है।

संस्थान में प्रशासनिक प्रभाग के अतिरिक्त 6 प्रभाग हैं जिनमें से प्रत्येक एक संकाय प्रमुख के अधीन है।

- प्रशिक्षण, अनुकूलन व विस्तार प्रभाग (टीओई)
- अनुसंधान, मूल्यांकन व प्रलेखन / प्रसार प्रभाग (आरईडी)
- पंचायती राज व युवा कार्यक्रम प्रभाग (पीआरआईवाईए)
- युवा विकास प्रभाग में अन्तर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र (आईसीईवाईडी)
- सामाजिक सौहार्द व राष्ट्रीय एकता प्रभाग (एसएचएनआई)
- किशोर स्वास्थ्य एवं विकास प्रकोष्ठ
- लिंग आधारित अध्ययन प्रकोष्ठ

आरजीएनआईवाईडी द्वारा संचालित कार्यकलाप व कार्यक्रम

(क) जीवन कौशलों में एक दिवसीय अनुकूलन प्रशिक्षण – 6 जनवरी, 2012 आरजीएनआईवाईडी

(ख) एसएनयूटीसी के प्रशिक्षुओं का अनुकूलन प्रशिक्षण – 5 जनवरी, 2012 राज्य प्रशिक्षण संस्थान, तारामणी

(ग) राष्ट्रीय एकीकरण शिविर – 8 से 12 जनवरी, 2012 आरजीएनआईवाईडी

(घ) केरल की पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए सदस्यों और अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण –सह – ज्ञानार्जन दौरा कार्यक्रम 8 से 11 जनवरी, 2012 आरजीएनआईवाईडी

(ङ) युवा रोजगार पर कैरियर प्रदर्शनी और पैनल चर्चा – राष्ट्रीय युवा दिवस – 12 जनवरी, 2012 आकाशवाणी, चेन्नई

(च) कैरियर प्रदर्शनी – राष्ट्रीय युवा उत्सव – 12 से 16 जनवरी, 2012 मैंगलोर

(छ) युवा वर्ग एवं पलायन पर अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार 18 से 19 जनवरी, 2012 आरजीएनआईवाईडी

PDF Compressor Free Version

(ज) जीवन कौशलों और व्यक्तित्व विकास में प्रशिक्षण 20 से 22 जनवरी, 2012 आरजीएनआईवाईडी

(झ) श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, तिरुपति के छात्रों के लिए युवा विकास पर अनुकूलन 23 जनवरी, 2012 आरजीएनआईवाईडी

(ञ) जीवन कौशलों में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण – 23 से 27 जनवरी, 2012, जंबुद्विपा ट्रस्ट येरवाडा, पुणे – मेंटर ग्रुप, आरजीएनआईवाईडी विधेयक जो इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाने के लिए है।

*****

PDF Compressor Free Version

युवा छात्रावास

युवा छात्रावासों का निर्माण युवाओं में यात्रा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है ताकि वे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव ले सकें। युवा छात्रावासों का निर्माण केन्द्र और राज्य सरकारों का संयुक्त उद्यम है। केन्द्र सरकार निर्माण की लागत वहन करती है जबकि राज्य सरकार पानी, बिजली व गम्य सड़कों सहित पूर्ण रूप से विकसित भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराती हैं। युवा छात्रावास ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व वाले, शैक्षणिक केन्द्रों, पर्यटक महत्व आदि के ऐसे क्षेत्रों में अवस्थित हैं जहाँ युवा क्रियाकलापों हेतु सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये छात्रावास वाजिब दरों पर युवाओं को ठहरने की उत्तम जगह उपलब्ध करते हैं। इन युवा छात्रावासों की देखरेख, केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रबंधकों द्वारा की जाती है।

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय (युवा कार्यक्रम विभाग) भारत सरकार ने अधिमानतः युवा छात्रावास के कैचमेन्ट क्षेत्र से सेवानिवृत्त ऐसे रक्षा कार्मिकों, जिन्हें हिन्दी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं का अच्छा ज्ञान हो, में से युवा छात्रावासों के लिए प्रबन्धक चुनने का निर्णय किया है। नई नियुक्ति नीति के तहत मेजर/लेफ्टिनेंट कर्नल/कर्नल या समतुल्य स्तर के रक्षा सेवा (सेना/नौसेना/वायुसेना) से सेवानिवृत्त व्यक्ति युवा छात्रावासों में प्रबन्धकों की नियुक्ति के पात्र हैं। सेवानिवृत्त इच्छुक अधिकारी भी आवेदन कर सकते हैं। पद संबंधी नियुक्ति की 35 से 55 वर्ष के बीच की आयु सीमाओं को अनुबंध की तारीख से लागू किया जाएगा। यह नियुक्ति 3 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए पूर्णतः अनुबंध आधार पर है जिसे मैनेजर के कार्य निष्पादन के आधार पर बढ़ाया जा सकता है लेकिन किसी भी मामले में इसे 62 वर्ष से अधिक नहीं किया जा सकता।

अभी तक समूचे देश में 83 युवा छात्रावासों का निर्माण किया गया है और 4 युवा छात्रावास निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। 83 युवा छात्रावासों में से 12 छात्रावासों को युवा और खेल विकास के इष्टतम उपयोग हेतु नेहरू युवा केन्द्र संगठन, भारतीय खेल प्राधिकरण तथा संबंधित राज्य सरकारों को हस्तांतरित किया गया है। इस समय 68 युवा छात्रावास कार्य कर रहे हैं निर्मित/हस्तांतरित/निर्माणाधीन युवा छात्रावासों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण अनुबंध V, VI और VII में दिया गया है।

कडप्पा (आंध्रप्रदेश), रोइंग (अरुणाचल प्रदेश), चूड़ाचांदपुर एवं थौबल (मणिपुर) में चार छात्रावासों में निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है। इन चार युवा छात्रावासों में से चूड़ाचांदपुर और थौबल (मणिपुर) में दो युवा छात्रावासों का कार्य चालू वित्त वर्ष के अन्त तक पूरा कर लिया जाने की सम्भावना है।

मंत्रालय आज के युवाओं की आशाओं के अनुरूप मौजूदा युवा छात्रावासों को नया रूप देने और नयी कार्यप्रणाली स्थापित करने की दिशा में भी कार्यरत है। कार्यरत 68 युवा छात्रावासों में से गत 2 वर्ष के दौरान 39 युवा छात्रावासों को फेसलिफ्टिंग का कार्य पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई है।

चालू वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान नागार्जुन सागर, वारंगल (आंध्र प्रदेश में दोनों), भिवानी, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, रेवाड़ी, सिरसा, यमुना नगर (हरियाणा में सभी छह), पटनीटॉप (जम्मू–कश्मीर), सोगलू (कर्नाटक), खजुराहो (मध्य प्रदेश), जसीपुर, कोरापुट (ओडिशा में दोनों), पटियाला, रोपड़, संगरूर (पंजाब

PDF Compressor Free Version

में सभी तीन), उदयपुर (राजस्थान), चेन्नई (तमिलनाडु), उत्तरकाशी (उत्तराखंड), आइजोल (मिजोरम) और दीमापुर (नागालैंड)। में स्थित 21 युवा छात्रावासों की तत्काल फेसलिफ्टिंग कार्य हेतु प्रत्येक युवा छात्रावास को पांच लाख रुपये की दर से 1,05,00,000/– रु. (एक करोड़ पांच लाख रुपये) की राशि जारी की गई है।

[illegible]

युवा होस्टल बद्रीनाथ

★★★★★

राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम

वित्तपोषण की प्रकृति तथा कार्यान्वयन तंत्र की एकरूपता को सुनिश्चित करते हुए तथा क्षेत्र स्तर के संगठनों के लिए निधियों की उपलब्धता में होने वाले विलंब को दूर करने तथा परियोजना तैयार करने व इसके कार्यान्वयन में राज्य सरकारों की सहभागिता को संस्थागत रूप देते हुए समान उद्देश्य वाली स्कीमों की अधिकता को कम करने के उद्देश्य से युवा गतिविधियों व प्रशिक्षण के संवर्धन, राष्ट्रीय एकीकरण के संवर्धन, साहस संवर्धन और किशोरों का विकास व सशक्तिकरण नामक चार स्कीमों, जो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता अनुदान प्राप्त स्कीमें थीं, को मिलाकर राष्ट्रीय युवा एवं किशोर विकास कार्यक्रम (एनपीवाईएडी) नामक स्कीम दसवीं योजनावधि के दौरान तैयार की गई थी। हालांकि कार्यात्मक तंत्र तथा कार्यक्रम निष्पादन में सहक्रियाशीलता व समन्वय होगा लेकिन स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक घटक के वित्तीय पैरामीटर में स्पष्ट विभाजन होगा।

युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों तथा शैक्षिक संस्थानों को छोड़कर, पॉलीटेक्निकों सहित अखिल भारतीय संगठनों से सीधे प्रस्ताव प्राप्त करेगा, जो अपने प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के युवा कार्यक्रम विभाग के माध्यम से भेजेंगे।

स्कीम, परियोजना कार्यान्वयन की एजेंसियों (पीआईए) के जरिए कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी, स्कीम के अंतर्गत एक अथवा अधिक कार्यक्रम क्षेत्र अथवा घटकों को शामिल करते हुए परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। परन्तु विचार के लिए परियोजना का मुख्य कारक विगत अनुभव तथा संसाधन (अवसंरचना तथा तकनीकी जनशक्ति) होंगे। प्रस्ताव, युवा कार्यक्रम विभाग में प्रस्तावों पर निर्णय करने हेतु सचिव (युवा कार्यक्रम) की अध्यक्षता में विधिवत गठित परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) के समक्ष रखे जाते हैं।

इस कार्यक्रम के लक्षित लाभार्थी राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त युवा नेटवर्क के तहत युवा तथा किशोर वर्ग है। इनमें नेहरू युवा केन्द्र संगठन या राज्य सरकारों, एनएसएस यूनिटों से संबद्ध युवा क्लबों के सदस्य या स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के युवा विद्यार्थी शामिल हैं। ऐसे अन्य प्रतिष्ठित युवा संगठनों के किशोर और युवा भी पात्र हैं, जिनकी देश के विभिन्न भागों में शाखाएं हैं। विशेष योग्यताओं वाले तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के युवाओं को वरीयता दी जाती है।

राष्ट्रीय युवा उत्सव, तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार और राष्ट्रीय युवा पुरस्कार भी एनपीवाईएडी स्कीम के भाग हैं। राष्ट्रीय युवा उत्सव ऐसे राज्य में आयोजित किया जाता है जो इसे आयोजित करने का इच्छुक हो और जिसके पास इस आयोजन के लिए बुनियादी सुविधाएं भी हों। विभाग यह कार्यक्रम करने के इच्छुक राज्य को अधिकतम 200 लाख रु. की वित्तीय सहायता देता है। आज तक 17 राष्ट्रीय युवा उत्सव आयोजित किए गए हैं।

PDF Compressor Free Version

तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार के तहत साहस के क्षेत्र में व्यक्तियों की उपलब्धियों को सम्मानित किया जाता है तथा युवा लोगों को सहनशीलता, जोखिम उठाने, मिलजुलकर सहयोग से काम करने की भावना तथा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में तत्काल और प्रभावी तरीके से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सामान्यतः हवाई साहस, जलीय साहस तथा स्थलीय साहस के क्षेत्र में एक–एक पुरस्कार दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष आजीवन उपलब्धि पुरस्कार भी दिया जाता है। अन्य चीजों के साथ–साथ इस पुरस्कार में पांच–पांच लाख रूपये की राशि दी जाती है।

राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, राष्ट्र या समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए चुनौतियां स्वीकार करने हेतु युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसके तहत राष्ट्रीय विकास और सामाजिक सेवा हेतु युवा व्यक्तियों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य को सम्मानित किया जाता है। तथापि, पात्र मामले में यह मंजूर करने वाले प्राधिकारी के विवेक पर भिन्न हो सकता है। राष्ट्रीय विकास के विभिन्न कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी में कार्यरत स्वैच्छिक संगठन को एक युवा पुरस्कार भी दिया जाता है इस पुरस्कार में व्यक्ति को 40000 हजार रुपये तथा स्वैच्छिक संगठन को 2 लाख रूपये की राशि दी जाती है। सामान्यतः प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले पुरस्कारों की संख्या 25 से अधिक नहीं होगी।

राष्ट्रीय युवा पुरस्कार

युवा कार्यक्रम विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय युवाओं को राष्ट्रीय सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित करने, अपने समुदाय के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने और अच्छे नागरिक और युवा नेताओं के रूप में उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा पुरस्कार देता है। सामान्यतः ये पुरस्कार माननीय मुख्य अतिथि द्वारा 5 दिवसीय राष्ट्रीय युवा उत्सव के उद्घाटन दिवस पर दिए जाते हैं। इस पुरस्कार में एकल पुरस्कार विजेताओं को एक रजत पदक, एक प्रमाण–पत्र, एक शॉल और 40,000 रू. की नकद राशि दी जाती है और स्वयंसेवी संगठन को 2.00 लाख रू. दिए जाते हैं।

28 व्यक्तियों और 2 स्वयंसेवी संगठनों को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2010–11 माननीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा 12 से 16 जनवरी, 2012 तक मंगलौर कर्नाटक में आयोजित 17वें राष्ट्रीय युवा उत्सव के दौरान दिए गए। पुरस्कार विजेताओं की सूची अनुबंध–VIII में दी गई है।

PDF Compressor Free Version

राष्ट्रीय युवा उत्सव

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने कर्नाटक सरकार के सहयोग से 12 से 16 जनवरी, 2012 तक मंगलौर, कर्नाटक में 17वां राष्ट्रीय युवा उत्सव आयोजित किया। इस उत्सव का विषय 'एकता में अनेकता का समावेश' था। पूर्वोत्तर राज्यों सहित सम्पूर्ण देश के लगभग 5000 युवाओं ने 5 दिवसीय उत्सव में भाग लिया। माननीय मुख्य मंत्री कर्नाटक, श्री डी.वी. सदानंद गौडा, माननीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भारत सरकार, श्री अजय माकन और माननीय कार्पोरेट कार्य मंत्री भारत सरकार श्री एम वीरप्पा मोइली ने उत्सव की शान बढ़ाई।

उत्सव के दौरान आयोजित अनेक आकर्षक कार्यक्रम जैसे "युवा कृति, हस्तशिल्प और सामाजिक विकास मेला", "खाद्य उत्सव –भारत की पाकशालाएं", "क्षमाई साहस, संगीत संध्या – हरिहरण और हेसले लिविस, यूफोरिया, शिवामणि एण्ड ग्रुप और वसुंदरा दास तथा परस्पर मेलजोल कार्यक्रम जैसे "सुविचार" और "युवा सम्मेलन" की भारी संख्या में लोगों द्वारा अत्यंत सराहना की गई। इस वर्ष सार्क देशों के 18 प्रतिनिधियों ने इस वर्ष युवा उत्सव में भाग लिया और उन्होंने भारतीय युवाओं के साथ व्यापक और विविध बातचीत की।

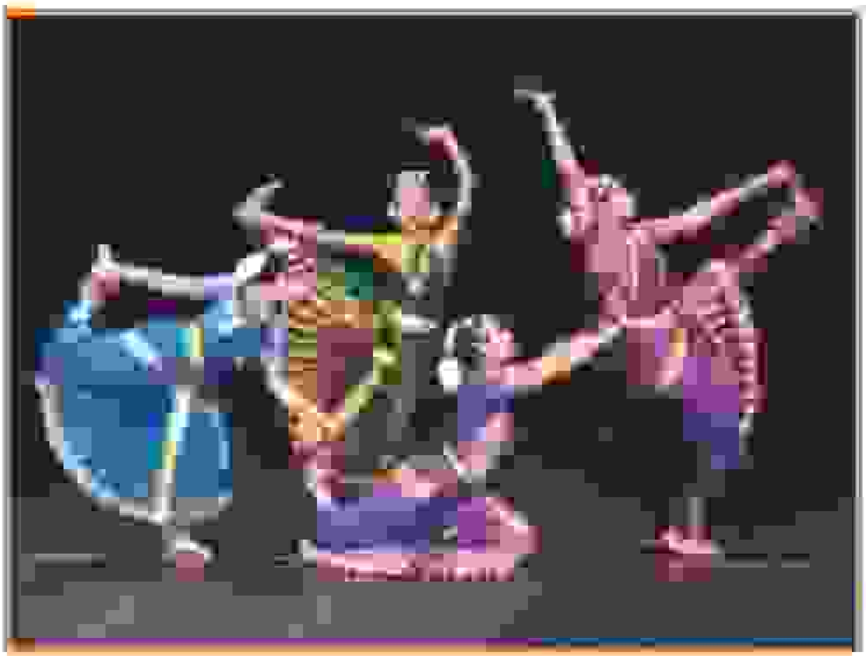

तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार

तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार भूमि, समुद्र और हवा में साहस के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए उच्चतम राष्ट्रीय सम्मान है। प्रत्येक पुरस्कार प्राप्तकर्ता को पांच लाख रू. नकद, एक प्रतिमा और एक सम्मान प्रमाण–पत्र दिया जाता है। यह पुरस्कार खेल उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार के समतुल्य है।

तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में अर्जुन पुरस्कार के साथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2010 का पुरस्कार मरणोपरान्त स्वर्गीय कर्नल (सेवानिवृत्त) बलवन्त सिंह संधु (आजीवन उपलब्धि), सुश्री रीना कौशल धर्मशक्तु, सुश्री ममता सोधा (भूमि साहस) और कमान्डर दिलीप दोन्डे (जल साहस) को 29.08.2011 को राष्ट्रपति भवन में भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा दिए गए।

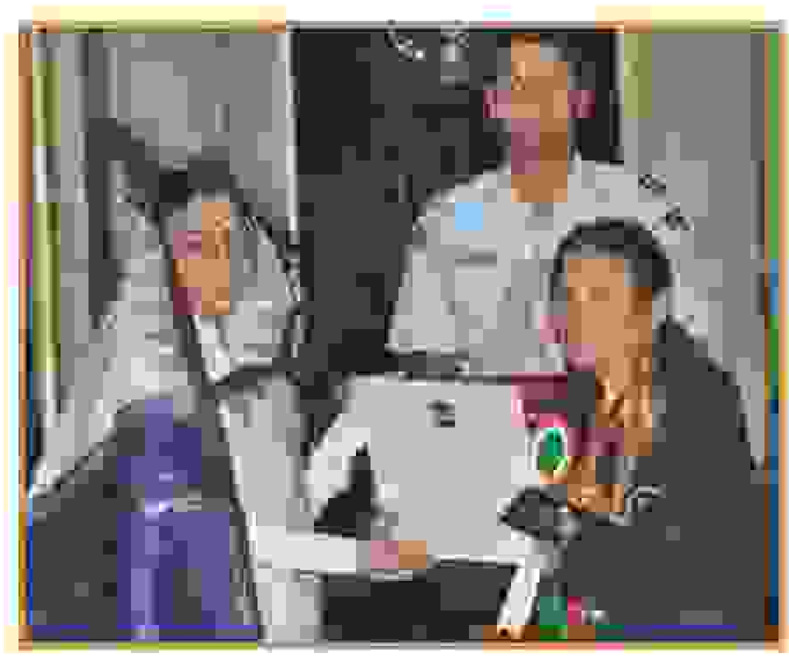

यूएनएफपीए सहायता प्राप्त स्कीम

यूएनएफपीए ने एक परियोजना के रूप में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को सहायता दी है जो स्वास्थ्य मंत्रालय की आरसीएच परियोजना हेतु यूएनएफपीए वृहत वित्तपोषण कार्यक्रम का भाग है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में किशोर सेल की स्थापना सहित मंत्रालय की किशोर विकास स्कीम को युक्तिसंगत बनाने हेतु क्षमता निर्माण में सहायता करना है इसके लिए सहायता, यूएनएफपीए के छठे देश कार्यक्रम के तहत प्रदान की गई जो 2004 से 2007 की अवधि के लिए थी। इस परियोजना के तहत शुरू किए गए/प्रस्तावित कार्यकलाप तथा मुख्य कार्यक्षेत्र इस प्रकार है : एनएसएस, एनवाईकेएस, आरजीएनआईवाईडी हेतु क्षमता निर्माण; कार्यान्वयक एजेंसियों का संस्थागत सुदृढ़ीकरण; संदर्भ निर्माण/नोडल अधिकारियों/फील्ड कार्यकर्ताओं का अनुकूलन प्रशिक्षण। 64 जिलों में यूएनएफपीए के माध्यम से किशोर क्लबों का गठन; एनएसएस तथा एनवाईकेएस के लिए एमआईएस तथा डाटा आधार फार्मेटों का विकास; साथ ही शिक्षकों के प्रशिक्षण संबंधी मैनुअल पुस्तिकाओं का विकास तथा 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरजीएनआईवाईडी के राष्ट्रीय किशोर संसाधन केन्द्र की स्थापना। इस परियोजना के तहत 13.40 करोड़ रुपये (2005–06 से शुरू) का व्यय किया गया।

PDF Compressor Free Version

यूएनएफपीए के 7वें देश कार्यक्रम (सीपी 7) के तहत यूएनएफपीए समर्थित योजना का कार्य जारी रखने का प्रस्ताव है जो 2008 से 2012 की अवधि के लिए होगा। अनवरत कार्यकलापों को सुदृढ़ करना जारी रखने के अलावा वर्ष 2008–2012 के लिए तैयार किए जा रहे आगामी कार्यक्रम में इस परियोजना को मौजूदा जिलों में और अधिक खंडों में शुरू किया जाएगा तथा अतिरिक्त जिलों को भी शामिल किया जाएगा।

राष्ट्रीय अनुशासन स्कीम

राष्ट्रीय अनुशासन स्कीम मूलत: पुनर्वास मंत्रालय द्वारा 1954 में शुरू की गई थी जिसे 1958 में शिक्षा और सामाजिक कल्याण मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया था। 1963 में डॉ. कुंजरू समिति की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप स्कूल स्तर पर अनुशासन कार्यक्रम शुरू करते हुए राष्ट्रीय स्वस्थता कोर (एनएफसी) नामक एकीकृत स्कीम विकसित की गई। 60 के दशक में जब एक अलग विभाग बनाया गया तो यह स्कीम युवा कार्यक्रम और खेल विभाग (जो अब युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय है) को हस्तांतरित कर दी गई।

डॉ. कुंजरू समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य शिक्षा सचिवों के परामर्श से एनडीएस शिक्षकों को विभिन्न राज्य सरकारों को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। वर्ष 1969 में केन्द्रीय मंत्रीपरिषद ने इस आशय का निर्णय लिया कि एनएफसी के तहत कर्मचारियों की सेवाओं को राज्य सरकारों को हस्तांतरित कर दिया जाएगा और अन्तत: 1972 में राष्ट्रीय अनुशासन स्कीम का विकेन्द्रीयकरण कर दिया गया और इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को हस्तांतरित कर दिया गया और उन्हें इस शर्त पर राज्य सरकारों की सेवाओं में आमेलित कर दिया गया कि केन्द्र सरकार इन कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का तब तक भुगतान करेगी जब तक वे राज्य सरकारों की सेवाओं में रहेंगे।

एनडीएस स्कीम के विकेन्द्रीकरण के बाद लगभग 8143 एनडीएस शिक्षकों को विभिन्न राज्य सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया।

यह एक गैर योजना स्कीम है जिसके तहत एनडीएस शिक्षकों के वेतन और भत्तों को संबंधित राज्य सरकारों को अदा किया जाता है।

पूर्वोत्तर और सिक्किम में कार्यकलापों और उपलब्धियों पर फोकस

दूसरा पूर्वोत्तर युवा उत्सव मेघालय राज्य सरकार द्वारा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय जिसने यह उत्सव आयोजित करने के लिए मेघालय सरकार को 1.00 करोड़ रू. की वित्तीय सहायता दी, के सहयोग से 7 से 9 अप्रैल, 2011 को शिलांग में आयोजित किया गया। इस उत्सव का उद्घाटन 7.4.2011 को माननीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री अजय माकन द्वारा किया गया। यह उत्सव "यूथ फॉर चेन्ज" के उद्देश्य के साथ मनाया गया।

उद्घाटन समारोह के बाद मलकई के युवाओं द्वारा "वन कैन चेन्ज द वर्ल्ड" नामक सुन्दर गीत प्रस्तुत किया गया। पूर्वोत्तर राज्यों, नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस) और राष्ट्रीय सेवा स्कीम (एनएसएस) के भागीदारों सहित लगभग 1100 प्रतिनिधियों ने भी इस तीन दिवसीय उत्सव में भाग लिया। इस उत्सव में पूर्वोत्तर की समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराएं और रंग प्रस्तुत किए गए जिसमें लोक नृत्य, लोक गीत, एकांकी नाटक और रॉक बैण्ड आदि शामिल थे। इस उत्सव में एनवाईकेएस द्वारा खाद्य उत्सव और युवा कृति तथा एनएसएस द्वारा युवा सम्मेलन भी प्रस्तुत किए गए। इस उत्सव में 8.4.2011 को साहस पर कार्यक्रम और उत्सव के समापन दिवस पर फैशन और रॉक की विशेष प्रस्तुती पेश की गई।

*****

PDF Compressor Free Version

PDF Compressor Free Version

अध्याय – 8

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम और युवा प्रतिनिधिमंडलों का आदान–प्रदान)

राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम

यह कार्यक्रम 1974 में आरंभ हुआ था जिसका समग्र उद्देश्य राष्ट्रमंडल में युवाओं के विकास को बढ़ावा देना था। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में युवाओं को बढ़ावा देता है तथा उन्हें सहायता करता है और अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ाने हेतु अवसर मुहैया करवाता है। राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम (सीवाईपी) का अधिदेश इसके दृष्टिकोण में एक ऐसे समाज के लिए कार्य करना निहित है जहां युवा महिलाएं व पुरुष अपनी संभाव्य सृजनशीलता तथा कौशलों का विकास करके समाज के उत्पादक तथा तेजस्वी सदस्यों के रूप में सशक्त हों: अकेले या सामूहिक रूप से वे युवा पुरुष तथा महिलाएं निर्णय लेने के प्रत्येक स्तर पर पूरी तरह से भाग लेने में समर्थ हों जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र तथा मानवाधिकार के राष्ट्रमंडल के मूल्यों को सफलतापूर्वक बढ़ावा दिया जा सके।

सीवाईपी की परिकल्पना एक मिशन में समाहित है जिसमें निम्नलिखित उद्देश्य शामिल हैं :

- नीतियां और विकास कार्यक्रम बनाने में सदस्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करना जिनमें प्रभावी तरीके से युवा महिलाओं और पुरुषों के मुद्दों और सरोकारों पर ध्यान दिया जाता है;
- युवा महिलाओं और पुरुष, दोनों की सक्रिय भागीदारी के आधार पर नीति और कार्यक्रम विकास का समर्थन करने के लिए युवा मंत्रालयों और स्वतंत्र युवा नेटवर्कों की स्थापना और उनके सुदृढ़ीकरण में सदस्य सरकारों को सहायता करना;
- एनजीओं के प्रयासों में सहायता करना और युवा विकास कार्यकलापों के संवर्धन में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना;
- अपने ही देशों की आयोजना और निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं में तथा क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए युवा महिलाओं और पुरुषों को सहायता करना;
- अपने देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए युवा महिलाओं और पुरुषों द्वारा प्रोत्साहनों में सहायता करना और उनका सम्मान करना;
- युवा लोगों में अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रमण्डल की भूमिका के प्रति अधिक जागरूकता बढ़ाना;

चण्डीगढ़ स्थित सीवाईपी एशिया केन्द्र, लुसाका (जाम्बिया) में अफ्रीका क्षेत्र के लिए, जार्जटाउन (गुयाना) कैरीबियन क्षेत्र के लिए तथा सोलोमन द्वीप समूह दक्षिण प्रशांत क्षेत्र सहित सीवाईपी के चार क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों में से एक है। सीवाईपी का समग्र दायित्व लंदन स्थित राष्ट्रमंडल सचिवालय का है। एशिया केन्द्र सहित सीवाईपी की गतिविधियां राष्ट्रमंडल सचिवालय की युवा कार्य इकाई द्वारा निर्देशित होती हैं। एशिया केन्द्र इस क्षेत्र के 8 राष्ट्रमंडल देशों नामतः ब्रुनेई, दारू सलम, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, मालद्वीप, मलेशिया, सिंगापुर तथा श्रीलंका की विशेष जरूरतों को पूरा करता है।

PDF Compressor Free Version

वर्तमान में निम्नलिखित तीन प्रमुख महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिन पर राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम केन्द्रित है:–

- राष्ट्रीय युवा नीति,
- मानव संसाधन विकास तथा
- युवा सशक्तीकरण

इन कार्यक्रमों का वित्त पोषण सदस्य देशों और भारत द्वारा किया जाता है। वर्ष 2011–12 के दौरान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार ने निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राष्ट्रमण्डल युवा कार्यक्रम, एशिया सेन्टर, चण्डीगढ़ को वित्तीय सहायता दी :–

i. 8 से 12 अगस्त, 2011 तक नई दिल्ली में आयोजित आईवाईवी पर सेमिनार

ii. 17 से 20 अक्तूबर, 2011 तक नई दिल्ली में 'विकास और शान्ति के लिए खेल' पर क्षेत्रीय कार्यशाला।

उत्कृष्टता के केन्द्र

राष्ट्रमण्डल सचिवालय, लंदन ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के परामर्श से सीवाईपी एशिया सेन्टर, चण्डीगढ़ और राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरंबदूर (तमिलनाडु) को उत्कृष्टता के केन्द्र चिन्हित किया है।

उत्कृष्टता का केन्द्र अपने विशिष्टकृत क्षेत्र में महत्वपूर्ण शिक्षण और विकास संसाधन प्रदान करता है। सीवाईपी ने ऐसे साक्ष्य सृजित करने और एकत्र करने के लिए इंजन रूम के रूप में युवा विकास हेतु उत्कृष्टता के केन्द्र की परिकल्पना की है जिसे ऐसे अन्तः क्षेपों, सुधारों और कार्यनीतियों को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जिनकी युवा लोगों के लिए और अधिक बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए जरूरत है। केन्द्र की भूमिका युवा कार्यक्रमों के प्रबंधन सहायता और निष्पादन में सर्वोत्तम उपलब्ध साक्ष्य आधारित प्रक्रिया के बारे में वर्तमान और विकसित हो रहे ज्ञान को प्राप्त करना, विश्लेषण करना और संश्लेषण करना तथा इस क्षेत्र में नए अनुसंधान करने की होगी।

इन केन्द्रों से प्रत्येक विशिष्टीकृत क्षेत्र में क्षमता, ज्ञान और कौशल बढ़ाने के उद्देश्य से साक्ष्य आधारित प्रक्रिया के विकास, शिक्षण और जांच और पड़ताल और प्रक्रिया विकास के महत्वपूर्ण तरीकों के उपयोग में सहायता मिलती है।

उत्कृष्टता का केन्द्र, निर्णय निर्माण में आर्थिक भागीदारी में युवाओं को लगाने के लिए प्रभावी कार्यनीतियों पर सम्पूर्ण ध्यान देगा। उत्कृष्टता के केन्द्र के मुख्य सिद्धान्तों में से एक सिद्धान्त अन्य अनेक स्टेकहोल्डरों की भागीदारी से और केन्द्र के कार्यकलापों की आयोजना, डिजाइनिंग और कार्यान्वयन में युवाओं को वचनबद्ध तथा सीधे भागीदार बनाना होगा।

युवा लोगों को शामिल करने के लिए प्रभावी कार्यनीतियों के मॉडलों का पता लगाने, उनका विवरण तैयार करने और उन्हें बनाने के लिए और समुदायों को स्थानीय स्तर पर कार्यनीतियों को लागू करने में सहायता करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें सहायता दी जाएगी। उच्च शिक्षा का केन्द्र न केवल प्रभावी

PDF Compressor Free Version

युवा भागीदारी का मूल्यांकन, आकलन और प्रदर्शन करने के लिए मापकों का विकास करेगा। अपितु यह इस मुद्दे पर सूचना प्राप्ति का सुगम्य साधन तैयार करेगा। ऐसा करने के लिए केन्द्र यह प्रदर्शित करेगा कि यह युवा भागीदारी का कार्यकारी मॉडल है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा प्रतिनिधिमण्डलों का आदान–प्रदान

यह विभाग, युवा संबंधी विभिन्न मुद्दों पर अन्य देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों / संगठनों के सहयोग से एक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के सृजन के लिए प्रयास करता है। विभाग एशिया–प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रमंडल देशों में युवाओं से संबंधित अनेक कार्यक्रमों के आयोजन में राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम एशिया केन्द्र, चण्डीगढ़ के साथ भी सहयोग करता है।

2. अन्य बातों के साथ–साथ युवाओं में अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण पैदा करने और उन्हें शान्ति और समझबूझ बढ़ाने के लिए सहभागी बनाने के राष्ट्रीय युवा नीति के उद्देश्यों के संदर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय युवा प्रतिनिधिमण्डल आदान–प्रदान को प्रभावी माध्यम माना गया है।

3. इस कार्यक्रम के तहत, विभिन्न देशों के युवाओं के मध्य विचारों, मूल्यों तथा संस्कृति के आदान–प्रदान को बढ़ावा देने तथा अंतर्राष्ट्रीय समझ भी विकसित करने के लिए पारस्परिक आधार पर मित्र देशों के साथ युवा प्रतिनिधिमंडलों का आदान–प्रदान किया गया। युवा प्रतिनिधिमण्डलों का आदान–प्रदान तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार आयोजित किए गए हैं:–

1.	8 से 11 अप्रैल, 2011 तक कुआलालम्पुर (मलेशिया) में "राष्ट्रीय युवा नीति और युवाओं को मुख्य धारा में लाने पर क्षेत्रीय परामर्श" में भाग लेने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत श्रीपेरम्बदूर (तमिलनाडु) में राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा संस्थान विकास संस्थान के निदेशक (आईसी) और निदेशक का दौरा।
2.	3 से 4 मई, 2011 तक एशिया प्रशांत संबंधी आईयाईवी + 10 क्षेत्रीय परामर्श बैठक में भाग लेने के लिए सचिव (युवा कार्यक्रम), युवा और खेल मंत्रालय का मनीला (फिलीपिन्स) का दौरा।
3.	"24वें शिप फॉर वर्ल्ड यूथ " कार्यक्रम 2011 के सिलसिले में 15 से 18 जून, 2011 तक बैठक में भाग लेने के लिए निदेशक (युवा कार्यक्रम) का जापान का दौरा।
4.	18–28 जुलाई, 2010 तक 20 सदस्यीय कोरियाई युवा प्रतिनिधि मण्डल की भारत यात्रा।
5.	25 से 26 जुलाई, 2011 तक "संयुक्त राष्ट्र में उच्च स्तरीय बैठक : संवाद और परस्पर समझ" में भाग लेने के लिए श्री अजय माकन युवा कार्यक्रम और राज्य खेल मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के नेतृत्व में 8 सदस्यीय शिष्ट मण्डल का न्यूयार्क का दौरा।
6.	15–28 अगस्त, 2011 तक 20 सदस्यीय भारतीय युवा प्रतिनिधि मण्डल का दक्षिण कोरिया का दौरा।
7.	वर्ष 2011 को "भारत चीन युवा आदान–प्रदान" वर्ष के रूप में मानने के विशेष मामले के रूप में 20 से 29 सितम्बर, 2011 तक 500 सदस्यीय भारतीय युवा प्रतिनिधि मण्डल का चीन दौरा।
8.	16 अक्तूबर से 1 नवम्बर, 2011 तक " वित्त वर्ष 2010 के लिए युवा नेताओं हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम" के तहत "प्रशासनिक प्रबंधन" पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए 16 सदस्यीय भारतीय युवा प्रतिनिधिमण्डल का दौरा।
9.	12–16 जनवरी, 2012 तक मंगलौर में आयोजित 17वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में भाग लेने के लिए पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान से सार्क युवा प्रतिनिधि मण्डल का दौरा

PDF Compressor Free Version

10.	सुश्री लुओ मेई, सचिव, सचिवालय, केन्द्रीय समिति, कम्युनिस्ट यूथ लीग आफ चाइना के नेतृत्व में 500 सदस्यीय चीन युवा प्रतिनिधिमण्डल ने 25 फरवरी से 4 मार्च, 2012 तक भारत का दौरा किया। 5 समूहों में विभक्त चीनी युवा प्रतिनिधिमण्डल ने दिल्ली, आगरा, मुम्बई, औरंगाबाद, त्रिवेन्द्रम, जोधपुर, जयपुर, बोधगया, पटना, भोपाल और कोलकाता का दौरा किया। 27 फरवरी, 2012 को चीनी प्रतिनिधियों ने भारत की महामहिम राष्ट्रपति से मिले और राष्ट्रपति ने भारत–चीन संबंधों तथा दोनों देशों के विकास में युवाओं के महत्व पर भाषण दिया। इस प्रतिनिधिमण्डल ने संबंधित राज्यों के दौरों के दौरान युवा विकास के विभिन्न पहलुओं पर संबंधित राज्य के मंत्री, गवर्नर, विधान सभा अध्यक्ष, विधायकों तथा अधिकारियों के साथ सार्थक विचार–विमर्श किया और विभिन्न युवा संगठनों के साथ विचारों का आदान–प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत में अपनी यात्रा के दौरान एनवाईकेएस, एनएसएस और साई तथा शैक्षणिक संस्थाओं आदि से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

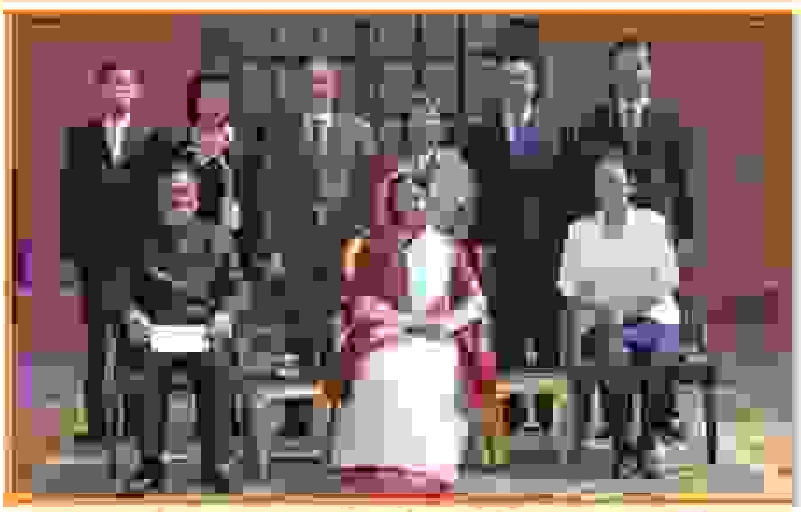

एनवाईकेएस, एनएसएस और साई तथा शैक्षणिक संस्थाओं आदि से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की

★★★★★

PDF Compressor Free Version

राष्ट्रीय युवा कोर

सरकार ने युवाओं की क्षमता का उपयोग करने तथा राष्ट्र निर्माण में उनकी ऊर्जा लगाने के उद्देश्य से चालू वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान राष्ट्रीय युवा कोर नामक नई स्कीम शुरू की है। यह जून, 2009 में संसद के दोनों सदनों में महामहिम राष्ट्रपति के संबोधन तथा जम्मू एवं कश्मीर के संबंध में अक्तूबर, 2009 में माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसरण में है। इस स्कीम के तहत 20 हजार स्वयंसेवियों को पंजीकृत करने की परिकल्पना की गई है जिनमें से 8 हजार स्वयंसेवियों को जम्मू एवं कश्मीर तथा 12 हजार स्वयंसेवियों को अन्य राज्यों में तैनात किया जाएगा।

मंत्रालय एक साथ दो युवा स्वयंसेवी स्कीम नामतः राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवी स्कीम (एनएसवी) और राष्ट्रीय सद्भावना योजना (आरएसवाई) का कार्यान्वयन करता रहा था जिसमें युवा लड़के और लड़कियों को युवा विकास कार्यकलापों में भागीदारी के लिए पूर्णकालिक आधार पर स्वयंसेवियों के रूप में पंजीकृत किया गया। कई बार स्कीम के द्वारा कार्य आबंटन में दोहरापन देखा गया जिससे कार्यात्मक दोहरापन हुआ। "राष्ट्रीय युवा कोर" एनवाईसी नामक एक नई स्कीम शुरू की गई है जिसमें दो मौजूदा स्वयंसेवी स्कीमों नामतः राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवी (एनएसवी) और राष्ट्रीय सद्भावना योजना (आरएसवाई) को मिलाया गया है।

उद्देश्य

- ऐसे अनुशासित और समर्पित युवाओं का समूह गठित करना जिनमें राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण कार्य में जुटने की प्रवृत्ति और भावना हो।
- समावेशी विकास (सामाजिक और आर्थिक, दोनों) प्राप्त करने को सुगम बनाना।
- समुदाय में सूचना, मूल जानकारी के प्रसार हेतु बिन्दुओं के रूप में कार्य करना।
- समूह मोबिलाइज़रों तथा साथी समूह शिक्षकों के रूप में कार्य करना।
- विशेष रूप से सार्वजनिक सदाचार, ईमानदारी और श्रम की गरिमा के संवर्धन के प्रति युवा लोगों के लिए अनुकरणीय मॉडल के रूप में कार्य करना।

एनवाईसी स्कीम के तहत 15–25 वर्ष की आयु वर्ग के युवा पुरुषों व महिलाओं को पूर्णकालिक आधार पर 2 वर्ष तक सेवा करने के योग्य बनाया जाता है जिसके लिए उन्हें प्रतिमाह 2500/– रु. का मानदेय दिया जाता है। समाज के कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व तथा लिंग संतुलन को प्रोत्साहित किया जाता है।

वर्ष 2010–11 और 2011–12 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर राज्य में 7347 स्वयंसेवियों सहित 18004 स्वयंसेवियों को मंत्रालय और जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार द्वारा देश के विभिन्न जिलों में चुना गया है, प्रशिक्षित किया गया है और तैनात किया गया है।

जम्मू एवं कश्मीर युवा उत्सव

जम्मू एवं कश्मीर में चल रही शान्ति प्रक्रिया के भाग के रूप में 18 से 20 अक्तूबर, 2011 तक विशेष रूप से घाटी के युवाओं के लिए युवा उत्सव आयोजित किया गया। घाटी के सभी जिलों से लिए गए 600 से अधिक युवाओं ने उत्सव में भाग लिया। इस उत्सव का उद्घाटन श्री उमर अब्दुल्ला, मुख्य मंत्री जम्मू एवं कश्मीर तथा श्री अजय माकन युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

PDF Compressor Free Version

अन्य बातों के साथ–साथ इस उत्सव में घाटी के प्रासंगिक मुद्दों पर विचार–विमर्श शामिल था अर्थात् जिम्मेदार प्रेस, पर्यावरण चिंताएं, क्षेत्र के साहस कार्यकलापों और सांस्कृतिक विरासत की संभावनाएं। यह उत्सव मैत्रीपूर्ण फुटबॉल मैच के साथ समाप्त हुआ जिससे घाटी के युवाओं में काफी सकारात्मक ऊर्जा पैदा हुई।

मेरी धरती मेरा कर्त्तव्य अभियान

श्री अजय माकन, युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने 12 सितम्बर, 2011 को लेह (जम्मू एवं कश्मीर) में "मेरी धरती मेरा कर्त्तव्य अभियान" के तहत धरती उत्सव मनाने के लिए राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का उद्घाटन किया। यह अभियान अगस्त और सितम्बर, 2011 में चुनिंदा 11 शहरों में शुरू किया गया। युवा अभियान को स्वयंसेवी आधार पर और स्थानीय संसाधन जुटाकर चलाया गया। अभियान के दौरान सेमिनार, सांस्कृतिक प्रदर्शनियां, प्रतिज्ञा, रैलियां आदि मुख्य कार्यकलाप थे।

इस अभियान का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस कार्रवाई करने, के लिए समाज में समझ पैदा करना व प्रोत्साहित करना जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण विकृति के जोखिमों से निपटने के लिए व्यवहार में बदलाव लाने तथा लोगों को साधारण उपाय, जो वे धरती को बचाने के लिए ड्यूटी के रूप में अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं, करने हेतु प्रेरित करना था।

इस अभियान के तहत एनवाईकेएस से जुड़े ग्राम आधारित युवा क्लबों के नेटवर्क के माध्यम से देश भर में विभिन्न प्रजातियों के 2876212 पौधे लगाए गए।

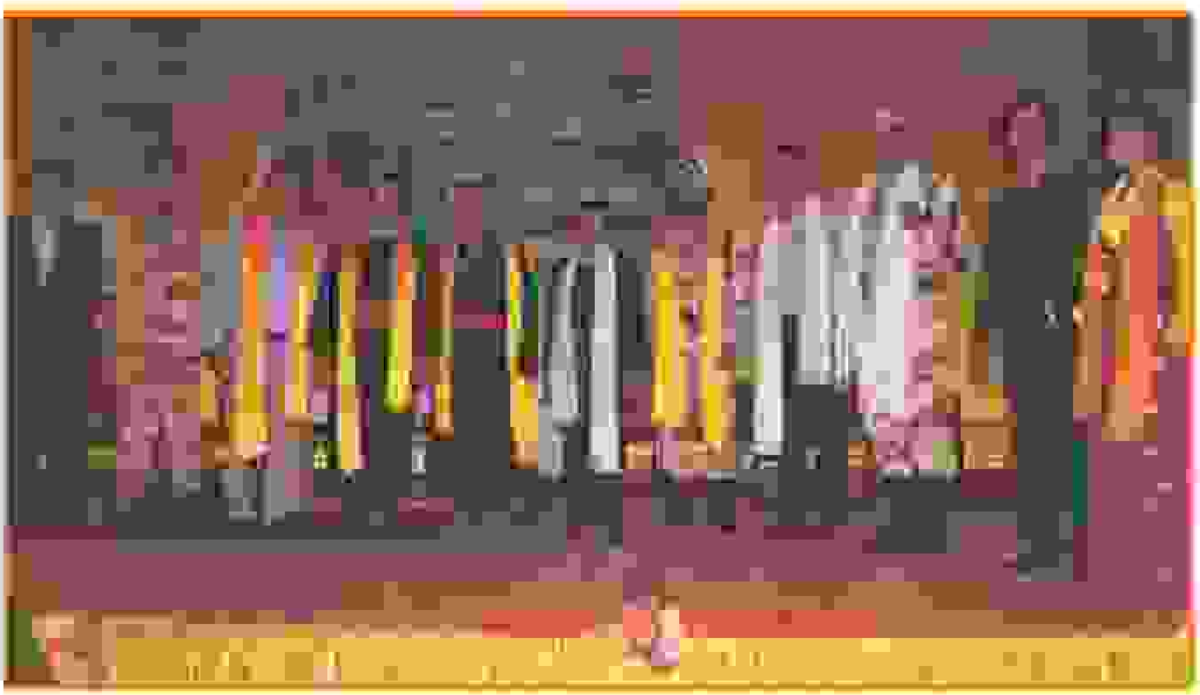

*****

PDF Compressor Free Version

अध्याय –10

स्काउटिंग और गाइडिंग

स्काउट और गाइड्स की स्कीम नामक केन्द्रीय स्कीम 1980 के प्रारंभ में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य देश में स्काउट और गाइड्स अभियान का संवर्धन करना है। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय अभियान है जो युवा लड़के और लड़कियों में चरित्र निर्माण, विश्वास, आदर्शवाद और देशभक्ती की भावना पैदा करने के लिए है। इस प्रक्रिया में स्काउट और गाइड्स की स्कीम का प्रयास लोगों में संतुलित शारीरिक और मानसिक विकास का संवर्धन करना भी है।

इस स्कीम के तहत भारत स्काउट और गाइड्स को प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन, कौशल विकास कार्यक्रमों जैसे विभिन्न कार्यकलापों और उत्सवों आदि के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। अन्य बातों के साथ–साथ इन कार्यकलापों में प्रौढ़ साक्षरता, पर्यावरण संरक्षण, समुदाय सेवा, स्वास्थ्य जागरूकता और साफ–सफाई को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रम शामिल हैं।

भारत स्काउट और गाइड्स, प्रवर्तक, लॉर्ड बाडेन पॉवल द्वारा परिकल्पित उद्देश्यों सिद्धान्तों और विधियों के अनुसार 1907 में शुरू किया गया था जो उत्पत्ति जाति या धर्म के भेदभाव के बिना देश में सभी के लिए खुला सबसे बड़ा स्वयंसेवी, गैर राजनैतिक, शैक्षिक अभियान है। भारत स्काउट और गाइड्स संगठन का शाखाओं का एक नेटवर्क है जिसमें भारत के सभी राज्य शामिल हैं। भू–भागीय राज्यों (भारत संघ के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र) के अलावा, कार्यात्मक यूनिटें हैं जैसे केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति और भारतीय रेल।

भारत स्काउट और गाइड्स, नई दिल्ली को विभिन्न स्काउट और गाइड्स कार्यकलापों को संचालित करने के लिए युवा कार्यक्रमों और खेल मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता दी गई है। वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान उनके द्वारा 160 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और 82 लाख रू. की राशि मंजूर की गई है।

*****

PDF Compressor Free Version

PDF Compressor Free Version

खेल विभाग

PDF Compressor Free Version

PDF Compressor Free Version

खेल

खेलकूद को सदैव ही मानव के व्यक्तित्व के समग्र विकास के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा गया है। मनोरंजन के साधन तथा शारीरिक स्वस्थता के अतिरिक्त खेलकूद ने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने तथा समाज को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में उपलब्धि सदैव ही राष्ट्रीय गौरव तथा प्रतिष्ठा का स्रोत रहा है।

आधुनिक खेल अत्यधिक प्रतिस्पर्धी हो गए हैं जिससे आधुनिक उपकरण, आधारभूत ढांचे तथा उन्नत वैज्ञानिक सहायता ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद का परिदृश्य बदल दिया है। उन्नत उपकरण, आधारभूत ढांचा तथा वैज्ञानिक सहायता हेतु बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अनेक नए कदम उठाए हैं और यह वैज्ञानिक तथा उपकरण सुविधाओं के साथ प्रशिक्षण व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भागीदारी में खिलाड़ियों को आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है।

राष्ट्रीय खेल नीति, 1984

पूर्ववर्ती योजनाओं के समय से ही शारीरिक शिक्षा क्रीड़ाओं और खेलकूद पर ध्यान दिया जा रहा है। तथापि, 1982 में भारत द्वारा नवम एशियाई खेलों की मेजबानी के बाद ही "खेलों" पर नीतिगत विषय के रूप में ध्यान दिया जाना प्रारंभ हुआ है। राष्ट्रीय खेल नीति, 1984, देश में खेलों के विकास और संवर्धन के लिए संगठित और व्यवस्थित रूपरेखा विकसित करने हेतु पहला कदम था और यह वर्तमान राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 का अग्र रूप है।

राष्ट्रीय खेल नीति, 2001

राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 के दो अभिन्न घटक "खेलों के दायरे को व्यापक बनाना" और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर "खेलों में उत्कृष्टता हासिल करना" हैं।

नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :–

1. खेलों को सुदृढ़ आधार प्रदान करना तथा उत्कृष्टता हासिल करना।
2. अवसंरचना का उन्नयन और विकास;
3. राष्ट्रीय खेल परिसंघों और अन्य खेल निकायों को सहायता;
4. खेलों के लिए वैज्ञानिक सुदृढ़ीकरण और कोचिंग सहायता;
5. खेलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन;
6. महिलाओं, जनजातियों और ग्रामीण युवाओं की सहभागिता बढ़ाना;
7. खेल संवर्धन में कारपोरेट क्षेत्र को शामिल करना; और
8. व्यापक स्तर पर लोगों में खेल भावना को बढ़ावा देना।

*****

PDF Compressor Free Version

अध्याय – 12

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भारतीय टीमों की प्रमुख खेल उपलब्धियां

1. बैडमिंटन हांगकांग ओपन सुपर सीरिज : सुश्री साइना नेहवाल ने 6–12 दिसम्बर 2010 तक हांगकांग में आयोजित बैडमिंटन ओपन सुपर सीरिज में महिला एकल खिताब जीता।

2. 12वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2012 दोहा : 16–22 जनवरी 2012 तक दोहा में आयोजित 12वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने वरिष्ठ श्रेणी में 14 पदक (7 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य) और कनिष्ठ श्रेणी में 12 पदक (1 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य) जीते।

3. पहली एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2011 : भारतीय हॉकी टीम (पुरुष) ने सितम्बर, 2011 में चीन में आयोजित पहली एशियाई हॉकी चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता।

4. चौथे राष्ट्रमंडल युवा खेल 2011 : 20 खिलाड़ियों और 4 कोचों के भारतीय दल ने 7–13 सितम्बर, 2011 को आइल ऑफ मैन (यू. के.) में आयोजित चौथे राष्ट्रमंडल युवा खेल 2011 में भाग लिया। दल ने 9 पदक (3 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य) जीते।

5. राष्ट्रमंडल युवा (लड़के एवं लड़कियां) भारोत्तोलन चैंपियनशिप : 11–18 दिसम्बर, 2010 तक पेनांग (मलेशिया) में आयोजित राष्ट्रमंडल युवा (लड़के एवं लड़कियां) भारोत्तोलन चैंपियनशिप में लड़कों के दल ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक और लड़कियों के दल ने 2 स्वर्ण एवं 1 रजत पदक जीते।

6. राष्ट्रमंडल युवा (पुरुष एवं महिला) भारोत्तोलन चैंपियनशिप : 11–18 दिसम्बर, 2010 तक पेनांग (मलेशिया) में आयोजित राष्ट्रमंडल युवा (पुरुष एवं महिला) भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पुरुषों के दल ने 7 पदक (4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य) और महिलाओं के दल ने 7 पदक (3 स्वर्ण एवं 4 रजत) जीते।

7. एशियाई वरिष्ठ भारोत्तोलन चैंपियनशिप : भारतीय राष्ट्रीय भारोत्तोलन टीम ने 8–16 अप्रैल, 2011 तक टोंगलिंग, चीन में आयोजित 42वीं पुरुष एवं 23वीं महिला एशियाई वरिष्ठ भारोत्तोलन चैंपियनशिप में तीन कांस्य पदक जीते।

8. 5वीं राष्ट्रमंडल ताइक्वांडो चैंपियनशिप : 28 से 31 जनवरी 2011 तक चेन्नई में आयोजित 5वीं राष्ट्रमंडल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भारतीय टीम के सदस्यों ने 7 पदक (4 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य) जीते।

9. विश्व महिला मुक्केबाजी युवा एवं कनिष्ठ मुक्केबाजी चैंपियनशिप : भारतीय राष्ट्रीय मुक्केबाजी दल ने 21 अप्रैल से 1 मई 2011 तक अंटाल्या (तुर्की) में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी युवा एवं कनिष्ठ मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते।

PDF Compressor Free Version

10. एशिया कप महिला मुक्केबाजी टूर्नामेन्ट : भारतीय राष्ट्रीय मुक्केबाजी टीम ने 5–9 मई 2011 तक हैलू (चीन) में आयोजित एशिया कप महिला मुक्केबाजी टूर्नामेन्ट में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीते।

11. 18वां अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेन्ट : भारतीय राष्ट्रीय मुक्केबाजी टीम ने 9–15 मई 2011 तक अलमाटी (कजाकिस्तान) में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेन्ट में 2 कांस्य पदक जीते।

12. 6वां राष्ट्रपति हैदर अलियेव कप मुक्केबाजी टूर्नामेन्ट : भारतीय राष्ट्रीय मुक्केबाजी टीम ने 9–15 मई 2011 तक बाकू (अजरबैजान) में आयोजित 6वें राष्ट्रपति हैदर अलियेव कप मुक्केबाजी टूर्नामेन्ट में 1 स्वर्ण एवं 2 कांस्य पदक जीते।

13. अराफुरा खेल : भारतीय राष्ट्रीय मुक्केबाजी टीम ने 7–14 मई 2011 तक डार्विन (ऑस्ट्रेलिया) में आयोजित अराफुरा खेल में 1 स्वर्ण, 2 रजत एवं 2 कांस्य पदक जीते।

14. दक्षिण एशियाई जूडो चैंपियनशिप : भारतीय राष्ट्रीय जूडो टीम ने 9–12 मई 2011 तक इस्लामाबाद (पाकिस्तान) में आयोजित दक्षिण एशियाई जूडो चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीते।

15. एशियाई युवा एवं कनिष्ठ जूडो चैंपियनशिप 2011 : भारतीय युवा एवं जूनियर टीम ने लेबनान में आयोजित एशियाई युवा एवं कनिष्ठ जूडो चैंपियनशिप 2011 में 1 स्वर्ण, 4 रजत एवं 2 कांस्य पदक जीते।

16. 18वीं एशियाई कनिष्ठ स्क्वैश एकल चैंपियनशिप : भारतीय राष्ट्रीय स्क्वैश टीम ने 21–28 जून 2011 तक अम्मान (जॉर्डन) में आयोजित 18वीं एशियाई कनिष्ठ स्क्वैश एकल चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण, 2 रजत एवं 5 कांस्य पदक जीते।

17. एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप : भारतीय राष्ट्रीय कुश्ती टीम ने ताशकंद में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 1 कांस्य पदक जीते।

18. 11वां अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट : भारतीय राष्ट्रीय वॉलीबॉल (कनिष्ठ पुरुष) टीम ने 11–17 जुलाई 2011 तक ट्यूनिशिया में आयोजित 11वें अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता।

19. एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप : भारतीय राष्ट्रीय बिलियर्ड्स टीम ने 9–14 अप्रैल, 2011 तक किश आईलैण्ड, ईरान में आयोजित एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण पदक जीता।

★★★★★

अध्याय – 13

भारतीय खेल प्राधिकरण

प्रस्तावना

भारतीय खेल प्राधिकरण 1984 में भारत सरकार द्वारा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक सोसाइटी के रूप में गठित एक स्वायत्त निकाय है। 1 मई, 1987 से तत्कालीन राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं खेल संस्थान सोसायटी (एसएनआइपीइएस) जिसमें एनएसएनआईएस, पटियाला और ग्वालियर तथा तिरुवनन्तपुरम में स्थित दो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कॉलेज (एलएनसीपीई) शामिल थे, को भारतीय खेल प्राधिकरण में मिला दिया गया। तथापि, एलएनसीपीई, ग्वालियर को सितम्बर, 1995 में "सम विश्वविद्यालय" का दर्जा प्राप्त होने पर भारतीय खेल प्राधिकरण से अलग कर दिया गया।

सोसायटी तथा शासी निकाय का सामान्य निकाय एवं संरचना

युवा कार्यक्रम विभाग, युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय द्वारा 2010 में भारतीय खेल प्राधिकरण के सामान्य निकाय सोसायटी व शासी निकाय का पुनर्गठन कर दिया गया। अब भारतीय खेल प्राधिकरण के सामान्य निकाय व शासी निकाय के अध्यक्ष, केन्द्रीय युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री हैं। शासी निकाय की अंतिम बैठक 9 अगस्त, 2010 को हुई।

लक्ष्य तथा उद्देश्य

- देश में खेलों को बढ़ावा देना और उनका आधार व्यापक बनाना।
- प्रतिभा का पता लगाना तथा उसका विकास करना।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न शाखाओं में खेलों में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना ताकि भारत प्रमुख खेल शक्ति बन सके।
- दिल्ली में स्टेडियमों, जिन्हें वर्ष 1982 में नौवें एशियाई खेलों के लिए निर्मित/नवीकृत किया गया था, का प्रबंधन करना।
- युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय तथा देश में खेलों के संवर्धन/विकास से संबंधित अन्य एजेंसियों के बीच माध्यम का कार्य करना।
- योग्य कोचों, खेल वैज्ञानिकों और शारीरिक शिक्षा अध्यापकों को तैयार करने के लिए संस्थानों की स्थापना, व्यवस्था और संचालन करना।
- देश में खेल बुनियादी ढांचे व सुविधाओं की योजना बनाना, उनका निर्माण करना, अधिग्रहण करना, विकास करना, नियन्त्रण में लेना, प्रबंधन करना, रख–रखाव करना व उपयोग करना।
- खेलों, खिलाड़ियों एवं कोचों का उन्नयन करने के लिए विभिन्न खेल विज्ञानों से संबंधित अनुसंधान परियोजनाओं को शुरू करना, अधिकार में लेना, प्रायोजित करना, प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना।
- खेलों में संवर्धन, विकास व उत्कृष्टता से संबंधित अन्य सदृश मुद्दे।

संगठनात्मक ढांचा

भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रधान कार्यकारी अधिकारी, महानिदेशक होते हैं और उनकी सहायता के लिए सचिव, कार्यकारी निदेशक, तथा शैक्षिक संस्थानों/क्षेत्रीय केन्द्रों/उप केन्द्रों के प्रमुख हैं।

PDF Compressor Free Version

Hkkjr ljdkj ls ekU;rk izkIr ,d izeq[k ifj;kstuk ds vUrxZr ,e0,u0 vkbZ0 lh0 ds lk/ku iznku djus gsrq vko';d

Øe l ä[;k	i Bkkx dk uke	i Bkkx ds dk;Z {ks=
i.	'kks/k rFkk fodkl	vlaLFkkfir vkbZ0 ,e0 vkbZ0 ,u0 'kks/k rFkk fodkl dk;Z ds fy, vuqnku
ii.	lapkyu	,u0 vkbZ0 ,e0 ,u0 ds fofHkUu {ks=h; dsUnzksa dk lapkyu
iii.	Vhe	ekuo lalk/ku fodkl ds {ks= esa Vhe dk xBu ,oa izf'k{k.k
iv.	mi Ldj lgk;rk	vlaLFkkfir vkbZ0 ,e0 vkbZ0 ,u0 dks mi Ldj iznku djuk
v.	LVkQ ,e	dk;kZy; LVkQ ,e0 dh fu;qfDr
vi.	cqfu;knh <kapk	vlaLFkkfir vkbZ0 ,e0 vkbZ0 ,u0 dk cqfu;knh <kapk fodflr djuk
vii.	dk;Z	dk;Z ds lHkh ekeys
viii.	dk;kZy;	dk;kZy; ds lHkh ekeys
ix.	foRr	ctV o foRr ;kstuk
x.	leUo;	vUrjkZ"Vªh; vkSj jk"Vªh; Lrj ij leUo; ,oa lEidZ
xi.	varjkZ"Vªh; lg;ksx	fofHkUu ns'kksa ds lkFk {ks=h; ,oa varjkZ"Vªh; lg;ksx ds dk;Z {ks= esa leUo;
xii.	lekpkj i=ksa	Hkkjrh; Hkk"kkvksa esa lekpkj i=ksa dk izdk'ku
xiii.	dkuwu	,u0 vkbZ0 ,e0 ,u0 ds dkuwuh ekeys
xiv.	lrdZrk	,u0 vkbZ0 ,e0 ,u0 ds lrdZrk ekeys
xv.	ehfM;k	fizaV o bysDVªkfud ehfM;k ds lkFk leUo; djuk
xvi.	fgUnh	,u0 vkbZ0 ,e0 ,u0 esa fgUnh dk dk;kZUo;u

PDF Compressor Free Version

भारतीय खेल प्राधिकरण की स्कीमें

भारतीय खेल प्राधिकरण की खेल संवर्धन स्कीमों की संकल्पना तथा निर्धारण सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान देश में आधारभूत स्तर पर खेलों के विकास तथा संवर्धन तथा प्रतिभावान बच्चों को तैयार करके राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता हासिल करने हेतु की गयी थी। प्रचालन प्रभाग द्वारा क्षेत्रीय केन्द्रों उप केन्द्रों/शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से निम्नलिखित खेल संवर्धन स्कीमों को क्रियान्वित किया जा रहा है।:—

1) राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी) स्कीम
2) सेना बाल खेल कंपनी (एबीएससी) स्कीम
3) एसएआई प्रशिक्षण केन्द्र (एसटीसी) स्कीम
4) विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी) स्कीम
5) उत्कृष्टता केन्द्र स्कीम

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित की जा रही उक्त स्कीमों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं :

राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी) स्कीम

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता स्कीम वर्ष 1985 में आरंभ की गई थी जिसके अंतर्गत 8 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में प्रतिभाशाली युवा बच्चों की खोज की जाती है और वैज्ञानिक प्रशिक्षण देकर उन्हें तैयार किया जाता है।

संकल्पना

इस स्कीम की मुख्य अवधारणा एक ही स्कूल में 'खेलना' और 'अध्ययन' करना है। स्कीम में आनुवांशिक एवं शारीरिक रूप से प्रतिभावान बच्चों को विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भविष्य-भावी पदक संभावनाओं के रूप में परिवर्तित करने के लिए अनुकूलतम आयु में प्रतिभा की वैज्ञानिक खोज करना है।

स्कूलों को अपनाना

स्कीम के अंतर्गत अच्छे खेल आधारभूत ढांचे वाले स्कूलों को अपनाया जाता है। अपनाए गए प्रत्येक स्कूल को प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षकों की सेवाओं के अलावा उपभोज्य खेल उपस्करों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

प्रवेश मानदण्ड

उपर्युक्त स्कीम के तहत प्रशिक्षणार्थियों का चयन, क्षमता/प्रदर्शन आधार पर किया जाता है।

1) राज्य/राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं को स्वतः स्कीम में प्रवेश दिया जाता है बशर्ते कि वे चिकित्सा की दृष्टि से स्वस्थ हों।
2) जिला स्तर पर प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं या राज्य स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वालों को प्रवेश दिया जाता है बशर्ते कि वे चिकित्सा व शरीर की दृष्टि से स्वस्थ हों और उनमें अपेक्षित क्षमता हो जिसका कई परीक्षणों से मूल्यांकन किया जाता है।

PDF Compressor Free Version

3) दूरस्थ, जनजातीय व तटीय क्षेत्रों से चयन, प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करके किया जाता है।
4) टीम खेलों व व्यक्तिगत स्पर्धाओं हेतु चयन, एसएआई के प्रतिनिधियों स्कूल/अखाड़ा, साई कोचों, खेल वैज्ञानिकों आदि से गठित चयन समिति द्वारा किया जाता है।
5) इस आधार पर चिन्हित खिलाड़ियों को, आयु सत्यापन, चिकित्सा जांच व विभिन्न परीक्षणों से उपयुक्त पाए जाने के बाद प्रवेश दिया जाता है।

[illegible]

तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, जिमनास्टिक्स, हॉकी, कबड्डी, खो–खो, तैराकी, टेबल टेनिस, वालीबॉल, कुश्ती व देशी खेल व मार्शल आर्ट्स

[illegible] सुविधाएं

इस स्कीम के तहत चुने गए प्रशिक्षणार्थियों को गैर–आवासीय आधार पर प्रवेश दिया जाता है। तथापि, अपवादस्वरूप मामलों में, प्रशिक्षणार्थियों को आवासीय आधार पर प्रवेश दिया जाता है और उन्हें ठहरने और खान–पान की सुविधाएं दी जाती है।

Øe la[;k	fooj.k	jkf'k ¼:i;s esa½
1-	300 fnuksa ds fy, izfr fnu izfr O;fDr [kqjkd o Bgjko ¼cy nksLr [kqjkd ds fy,½	75-00
2-	[ksy fdV ¼izfr o"kZ izfr O;fDr½	2000-00
3-	chek ¼izfr o"kZ izfr O;fDr½ ¼ml le; ls o"kZ izfr O;fDr 32 :- fn;k tk jgk g\$½	150-00
4-	izfr;ksfxrk fd;k ¼izfr o"kZ izfr O;fDr½	2000-00
5-	10 ekg ds fy, oftQk ¼izfr ekg izfr O;fDr½	3000-00
6-	[ksy midj.k dh [kjhn gsrq Ldwy dks okf"kZd vuqnku ¼izfr o"kZ izfr ,fuV½	20000-00

[illegible]

वर्तमान में नियमित रूप से अपनाए गए 22 स्कूल हैं जिनमें 736 प्रशिक्षणार्थी (569 लड़के और 167 लड़कियां) प्रशिक्षित किए जा रहे हैं।

(ख) [illegible]

दूरस्थ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा देने और ग्रामीण बच्चों हेतु अधिक संतुलन प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, शासी निकाय ने 9 जुलाई, 2001 को हुई अपनी 27वीं बैठक में आवश्यक आधारभूत ढांचे वाले नवोदय विद्यालय हेतु एनएसटीसी स्कीम के विस्तार के प्रस्ताव को अनुमोदित किया था। इन केन्द्रों को नवोदय विद्यालय समिति के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। ये विद्यालय भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्रों तथा एसएजी केन्द्रों हेतु फीडर केन्द्र के रूप में भी कार्य करते हैं।

PDF Compressor Free Version

प्रदत्त सुविधाएं

Øe la[;k	fooj.k	jkf'k ¼:i, esa½
1-	[ksy fdV ¼izfr o"kZ izfr O;fDr½	1500-00
2-	10 ekg ds fy, oftkQk ¼izfr ekg izfr O;fDr½	3000-00
3-	izfrLi/kkZ Hkkxhnkjh ¼izfr o"kZ izfr O;fDr½	1500-00
4-	chek ¼izfr o"kZ izfr O;fDr½ ¼lHkh le; izfr o"kZ izfr O;fDr 32 :- fn;k tk jgk gS½	150-00
5-	[ksy mildj dh [kjhn gsrq Ldwy dks okf"kZd vuqnku ¼izfr o"kZ izfr ,fuV½	20000-00

सिक्किम

वर्तमान में 15 नवोदय विद्यालय हैं जिनमें कुल 62 प्रशिक्षणार्थियों (35 लड़के तथा 27 लड़कियां) को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(ख) देशीय खेलों तथा मार्शल आर्ट (आईजीएमए) को अपनाने वाले विद्यालयों में एसटीसी स्कीम का विस्तार।

ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रों में विद्यालयों में देशीय खेलों तथा मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने और आधुनिक खेलों में पोषण हेतु इन खेलों में प्रतिभा की खोज हेतु एसएआई के शासी निकाय ने 12 नवम्बर, 2001 को आयोजित अपनी 28वीं बैठक में विद्यमान स्कीम के एक भाग के रूप में देशीय खेलों तथा मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों को अपनाने हेतु प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

प्रदत्त सुविधाएं

Øe la[;k	fooj.k	jkf'k ¼:i, esa½
1-	[ksy fdV ¼izfr o"kZ izfr O;fDr½	1500-00
2-	chek ¼izfr o"kZ izfr O;fDr½ ¼lHkh le; izfr o"kZ izfr O;fDr 32 :- fn;k tk jgk gS½	150-00
3-	10 ekg ds fy, oftkQk ¼izfr ekg izfr O;fDr½	3000-00
4-	[ksy mildj dh [kjhn gsrq Ldwy dks okf"kZd vuqnku ¼izfr o"kZ izfr ,fuV½	20000-00
5-	izfrHkk [kkst gsrq izfrLi/kkZ vk;ksftr djus ds fy, Ldwyksa dks okf"kZd vuqnku ¼izfr o"kZ½	25000-00

PDF Compressor Free Version

स्थिति

वर्तमान में देशी खेलों व मार्शल आर्ट्स के संवर्धन के लिए 24 नवोदय विद्यालय अपनाए गए हैं जिनमें कुल 246 प्रशिक्षणार्थियों (201 लड़के तथा 45 लड़कियां) को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(ग) एनएसटीसी स्कीम का अखाड़ों हेतु विस्तार

आधुनिक कुश्ती हेतु एक व्यापक आधार सृजित करने और विभिन्न अखाड़ों द्वारा किए गए प्रयासों में सहयोग करने के उद्देश्य से एसएआई ने एनएसटीसी स्कीम के अंतर्गत कई अखाड़ों को अपनाया है।

प्रदत्त सुविधाएं

Øe la[;k	fooj.k	jkf'k ¼i, esa½
1-	ofUkdk ¼ftl esa eSV ls Q fDr½	1000-00
2-	cheka ¼ftlesa o"kZ ds Q fDr ½½ lge ifr o"kZ ds Q fDr 32 - fn,k tk jgk gS	150-00

स्थिति

वर्तमान में, कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए 40 अखाड़ों को अपनाया गया है जिनमें कुल 468 प्रशिक्षणार्थियों (450 लड़के तथा 18 लड़कियां) को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(घ) अखाड़ों की तर्ज पर अपनाए गए खेल केन्द्रों हेतु एनएसटीसी स्कीम का विस्तार

इसी प्रकार, एसएआई के शासी निकाय ने 20 सितम्बर, 2008 को हुई अपनी 31वीं बैठक में अखाड़ों की तर्ज पर खेल केन्द्रों को अपनाने को अनुमोदित किया। इस स्कीम के अंतर्गत उच्च प्रदर्शन वाले खेल केन्द्रों को चलाया जा रहा है, विशेष रूप से प्राथमिकता वाली विधाओं, जैसे कि एथलेटिक्स, जूडो, कुश्ती, मुक्केबाजी, तैराकी तथा आधुनिक खेलों के समान अन्य मान्यता प्राप्त मार्शल आर्ट को अखाड़ों के समान ही सहायता प्रदान की जा रही है।

प्रदत्त सुविधाएं

Øe la[;k	fooj.k	jkf'k ¼i, esa½
1-	vuqnku x, v[kkMka ds lkFk lEc) [ksy dsUnzksa ds o`fUkdk nh tk jgh gS ¼ftl esa lkt Q fDr½	1000-00
2-	cheka ¼ftlesa o"kZ ds Q fDr ½½ lge; ifr o"kZ ds Q fDr 32 - fn;k tk jgk gS	150-00

PDF Compressor Free Version

स्थिति

वर्तमान में, अखाड़ों की तर्ज पर 04 खेल केन्द्रों को अपनाया गया है जिनमें 67 प्रशिक्षणार्थियों (55 लड़के तथा 12 लड़कियां) को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

कुल मिलाकर 22 नियमित अपनाए गए स्कूल, 24 स्कूल देशीय खेलों तथा मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने के लिए अपनाए गए, 15 नवोदय विद्यालय, 40 अखाड़े तथा अखाड़े की तर्ज पर 04 खेल केन्द्र हैं, जिनमें कुल 1579 प्रशिक्षणार्थियों (1310 लड़के तथा 269 लड़कियां) को प्रशिक्षण किया जा रहा है।

सेना बॉयज़ स्पोर्ट्स कम्पनी (एबीएससी) स्कीम

यह स्कीम सेना प्राधिकारियों तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के मध्य एक संयुक्त उद्यम है जिसे सेना के विभिन्न रेजीमेंटल केन्द्रों में खेल प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध उत्कृष्ट आधारभूत ढांचे, दक्ष प्रशासन तथा अनुशासित वातावरण का लाभ उठाने के लिए किया गया है। 8 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के लड़कों को इस स्कीम में प्रवेश दिया जाता है। अपेक्षित आयु पूरी हो जाने पर इन प्रशिक्षणार्थियों को सेना में रोजगार भी दिया जाता है।

चयन मानदण्ड

उपर्युक्त स्कीम के तहत प्रशिक्षणार्थियों का चयन, एनएसटीसी स्कीम के तहत यथा लागू क्षमता व प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है।

शामिल खेल विधाएं

तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बास्केट बॉल, मुक्केबाजी, डाइविंग, घुड़सवारी, फुटबॉल, पटेबाजी, जिमनास्टिक्स, हैण्डबॉल, हॉकी, क्याकिंग और केनोइंग, तैराकी, निशानेबाजी, रोइंग, वॉलीबॉल, कुश्ती और भारोत्तोलन

प्रदत्त सुविधाएं

इस स्कीम के तहत प्रशिक्षणार्थियों को खान-पान व ठहरने की सुविधा, शैक्षिक व्यय, खेल किट, बीमा, चिकित्सा सुरक्षा, प्रतिस्पर्धा भागीदारी तथा अनुभवी कोचों से वैज्ञानिक कोचिंग दी जाती है।

Øe l [;k	fooj.k	jkf'k ½ : - e½
1-	300 fnuksa ds fy, [kku&iku o Bgjuk ¼izfr fnu izfr O;fDr½	125-00
2-	'kS{kd O;; ¼izfr o"kZ izfr O;fDr½	1000-00
3-	[ksy mil Ldj ¼izfr o"kZ izfr O;fDr½	27500-00
4-	[ksy eSnkuksa dk j[kj[kko rFkk	20000-00
	i f=dk,a ¼izfr o"kZ izfr O;fDr½	2500-00
5-	[ksy fdV ¼izfr o"kZ izfr O;fDr½	2000-00
6-	izfr;ksfxrk Hkkxhnkjh ¼izfr o"kZ izfr O;fDr½	2000-00
7-	fpfdRlk ¼izfr o"kZ izfr O;fDr½	300-00
8-	chek ¼izfr o"kZ izfr O;fDr½ ¼bl le; izfr o"kZ izfr O;fDr 32 : - fn;k tk jgk gS½	150-00
9-	dl Mhao dEiyhVa kfn gsrq dSEi cSg fn;k tk jgk osrolg ;k v uqnku ¼izfr o"kZ½	2000-00

PDF Compressor Free Version

स्थिति

वर्तमान में 16 केन्द्र हैं जिनमें 984 लड़कों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र (एसटीसी) स्कीम

इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य 14 से 21 वर्ष की आयु वर्ग के मेधावी खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करना है। मेधावी खिलाड़ियों और जिम्नास्टिक्स तथा तैराकी की खेल शाखाओं के मामले में भी आयु सीमा में छूट दी जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत केन्द्रों को राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेशों तथा एसएआई के संयुक्त सहयोग से स्थापित किया जाता है। राज्य सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं :

क) राज्य सरकार द्वारा मुहैया करवाई जाने वाली सुविधाएं –

i) छात्रावास हेतु एक उपयुक्त भवन जिसमें खान–पान, पुस्तकालय, मनोरंजन तथा छात्रावास के प्रभारी तथा कोचों हेतु परिवार आवास हो।

ii) चिन्हित की गई शाखाओं के आधार पर खेल के मैदान/इंडोर हॉल/तरणताल।

iii) दिन प्रतिदिन के प्रशिक्षण हेतु खेल के मैदानों का रख–रखाव।

iv) छात्रावास भवन का वार्षिक अनुरक्षण।

ख) एसएआई द्वारा मुहैया करवाई जाने वाली सुविधाएं –

i) छात्रावास हेतु फर्नीचर तथा खान–पान उपकरण।

ii) पौष्टिक तथा संतुलित भोजन।

iii) खेलकूद किट।

iv) कोच।

v) खेल उपकरण।

vi) चिकित्सा सहायता तथा बीमा।

vii) प्रशासनिक तथा केटरिंग स्टाफ।

viii) विद्युत, जल तथा प्रशासनिक स्टाफ।

चयन मानदंड

- राज्य/राष्ट्रीय स्तर की एकल और टीम प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं को स्वतः स्कीम में प्रवेश दिया जाता है बशर्ते कि उन्हें चिकित्सा की दृष्टि से स्वस्थ पाया गया हो।
- जिला स्तर पर प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं या राज्य स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वालों को प्रवेश दिया जाता है बशर्ते कि वे चिकित्सा व शरीर की दृष्टि से स्वस्थ हों और उनमें अपेक्षित क्षमता हो जिसका कई परीक्षणों से मूल्यांकन किया जाता है।

शामिल खेल शाखाएं

तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिन्टन, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, साइकलिंग, डाइविंग, फुटबॉल, फेंसिंग, जिम्नास्टिक्स, हैण्डबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो–खो, कराटे, लॉन टेनिस, तैराकी, सेपक–टक्रॉ, निशानेबाजी, सॉफ्टबॉल, टेबल टेनिस, ताइक्वान्डो, वालीबॉल, जल क्रीड़ाएं, भारोत्तोलन, कुश्ती, वुशू।

PDF Compressor Free Version

प्रदत्त सुविधाएं

इस स्कीम के तहत आवासीय व गैर–आवासीय प्रशिक्षणार्थियों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा:–

आवासीय प्रशिक्षणार्थी:

Øe la[;k	fooj.k	jkf'k ¼:- esa½
1-	[kku&Hkkrk Q, ¼izfr Q fDr izfr fnu½ 330 fnuksa ds fy, xSj igkM+h {ks=ksa gsrq	125-00
	330 fnuksa ds fy, igkM+h {ks=ksa gsrq	140-00
2-	[ksy fdV ¼izfr Q fDr izfr fnu½	4000-00
3-	izfr;ksfxrk /kkZHkkxhnkjh ¼izfr o"kZ izfr Q fDr½	3000-00
4-	f'k{kk Q, ¼izfr Q fDr izfr o"kZ½	1000-00
5-	fpfdRlk Q, ¼izfr Q fDr izfr o"kZ½	300-00
6-	chek ¼izfr o"kZ izfr Q fDr½ ¼vf/kdre izfr o"kZ izfr Q fDr 32 :- fn, tk jgk gS½	150-00
7-	vU; Q; ¼izfr Q fDr izfr o"kZ½	100-00

गैर आवासीय प्रशिक्षणार्थी

Øe la[;k	fooj.k	jkf'k ¼:- esa½
1-	[ksy fdV ¼izfr Q fDr izfr o"kZ½	4000-00
2-	izfr;ksfxrk /kkZHkkxhnkjh ¼izfr o"kZ izfr Q fDr½	3000-00
3-	othQk ¼izfr Q fDr izfr o"kZ½	6000-00
4-	chek ¼izfr o"kZ izfr Q fDr½ ¼vf/kdre izfr o"kZ izfr Q fDr 32 :- fn, tk jgk gS½	150-00

(i) एसएआई प्रशिक्षण केन्द्रों/विशेष क्षेत्र खेल केन्द्रों हेतु वार्षिक अनुरक्षण अनुदान को 6 अगस्त, 2010 को आयोजित बैठक में वित्त समिति द्वारा दी गई सहमति तथा शासी निकाय द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार मौजूदा 7.50 लाख रू. से बढ़ाकर निम्नानुसार संशोधित किया गया है।

50 प्रशिक्षणार्थियों तक	–	7.50 लाख
50–75 प्रशिक्षणार्थियों	–	10.00 लाख
75–100 प्रशिक्षणार्थियों	–	12.50 लाख
100–150 प्रशिक्षणार्थियों	–	15.00 लाख
150 से अधिक प्रशिक्षणार्थियों के लिए	–	20.00 लाख

(ii) प्रवेशयुक्त प्रशिक्षणार्थियों को खान–पान व ठहरने, खेल किट, प्रतिस्पर्धा, भागीदारी, बीमा एवं चिकित्सा सुरक्षा, शैक्षिक व्यय तथा वर्ष में एक बार मूल निवास स्थान हेतु टीए/डीए के अलावा, अनुभवी कोचों द्वारा वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षण दिया जाता है। इन केन्द्रों का प्रबंधन, रख–रखाव व अनुरक्षण कार्य की देखरेख एसएआई द्वारा की जाती है।

PDF Compressor Free Version

स्थिति

वर्तमान में ऐसे 61 केन्द्र हैं जिसमें 7459 (5194 लड़के और 2265 लड़कियाँ) को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी) स्कीम

इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य देश के जनजातीय, ग्रामीण, तटीय तथा पहाड़ी क्षेत्रों से और आनुवांशिक रूप से अथवा भौगोलिक रूप से लाभकारी होने वाले किसी क्षेत्र से आधुनिक प्रतिस्पर्धा खेल हेतु प्राकृतिक प्रतिभा की खोज करना तथा उसे वैज्ञानिक ढंग से निखारना है ताकि आधुनिक प्रतिस्पर्धी खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त की जा सके। प्रशिक्षार्थियों को 14–21 वर्ष के आयु वर्ग में अपनाया जाता है।

विशेष क्षेत्र खेल केन्द्रों को राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के साथ परामर्श से प्रारंभ किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा आधारभूत ढांचे के साथ आवश्यक भूमि मुहैया करायी जानी होती है। तथापि, आधारभूत ढांचे की उपलब्धता न होने के मामले में राज्य सरकार को भारतीय खेल प्राधिकरण को दीर्घावधि पट्टा आधार पर विकसित भूमि मुहैया करवानी होती है ताकि वह आवश्यक सुविधाएं विकसित करने में समर्थ हो सके। केन्द्र को प्रारंभ करने से पूर्व भारतीय खेल प्राधिकरण और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के मध्य एक करार पर हस्ताक्षर किए जाने होते हैं।

दाखिला मानदण्ड

(क) राज्य/राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं को स्वतः स्कीम में प्रवेश दिया जाता है बशर्ते कि वे चिकित्सा की दृष्टि से स्वस्थ हों।

(ख) जिला स्तर पर प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं या राज्य स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वालों को प्रवेश दिया जाता है बशर्ते कि वे चिकित्सा व शरीर की दृष्टि से स्वस्थ हों और उनमें अपेक्षित क्षमता हो जिसका कई परीक्षणों से मूल्यांकन किया जाता है।

प्रदत्त सुविधाएं

(i) इस स्कीम के तहत आवासीय व गैर–आवासीय प्रशिक्षणार्थियों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा:–

आवासीय प्रशिक्षणार्थी

Øe l[;k	fooj.k	jkf'k ¼#- e½
1-	[kku&iku Q ¼izfr O;fDr izfr o"kZ½ 330 fnuksa ds fy, x.k l gkWLVy (ksa esa gks a	125-00
	330 fnuksa ds fy, igkM+h {ks= ¼izfr O;fDr izfr o"kZ½	140-00
2-	[ksy fdV ¼izfr O;fDr izfr fnu½	4000-00
3-	izfr;ksfxrk,a ,oa Hkze.k ¼izfr o"kZ izfr O;fDr½	3000-00
4-	f'k{kk Q ¼izfr O;fDr izfr fnu½	1000-00
5-	fpfdRlk Q ¼izfr O;fDr izfr fnu½	300-00
6-	chek ¼izfr o"kZ izfr O;fDr½ ¼dsoy lqj{kk izfr o"kZ izfr O;fDr 32 - fn- dk,Z kkjh gks gS½	30-00
7-	vU; Q ¼izfr O;fDr izfr fnu½	100-00

PDF Compressor Free Version

[illegible]

क्रम संख्या	विवरण	राशि (रु. में)
1.	खेल किट (प्रति वर्ष प्रति प्रशिक्षार्थी)	4000.00
2.	प्रतिस्पर्धा भागीदारी (प्रति वर्ष प्रति प्रशिक्षार्थी)	3000.00
3.	वजीफा (प्रति वर्ष प्रति प्रशिक्षार्थी)	6000.00
4.	बीमा (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति) [illegible] 32 [illegible]	150.00

शामिल खेल शाखाएं

तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिन्टन, मुक्केबाजी, बास्केटबॉल, कैयाकिंग एवं कैनोइंग, साइकलिंग, फेंसिंग, फुटबॉल, जिमनास्टिक्स, हैण्डबॉल, हॉकी, जूडो, कराटे, कबड्डी, रोइंग, निशानेबाजी, तैराकी, ताइक्वांडो, वालीबॉल, भारोत्तोलन कुश्ती, वुशु।

स्थिति

वर्तमान में ऐसे 21 केन्द्र हैं जिनमें 1829 (1116 लड़के और 713 लड़कियां) प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

[illegible] आधार पर स्कूल/कॉलेजों को शामिल करने हेतु अकादमी/प्रशिक्षण केन्द्रों के विस्तार केन्द्र

इस स्कीम की मूल अवधारणा, उन स्कूलों व कॉलेजों में खेल का स्तर बढ़ाना है जो विशिष्ट खेल आयोजित करते हैं और जिन्होंने सराहनीय परिणाम दिए हैं। इस स्कीम के तहत 14–21 वर्ष की आयु वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को अपनाया जाता है।

संस्था का चयन

खेलकूद में सक्रियता से शामिल तथा पर्याप्त अवसंरचना वाले स्कूल कालेज इस स्कीम के अन्तर्गत पात्र होते हैं। संस्था के पास राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद वाले व्यक्ति तैयार करने का पुराना इतिहास होना चाहिए। स्कूलों और कालेजों को समय समय पर भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए मानदण्डों से भी सहमत होना चाहिए।

प्रशिक्षुओं का चयन एवं आयु वर्ग

स्कूल/कालेज में 14 से 21 वर्ष तक के आयु वर्ग के 20 से अधिक प्रशिक्षु नहीं होंगे। आस–पास के स्कूलों/कालेजों के छात्रों को भी प्रवेश दिया जा सकता है। प्रशिक्षुओं का चयन विधिवत गठित समिति द्वारा किया जाता है जिसमें (1) क्षेत्रीय निदेशक अथवा उसका प्रतिनिधि (2) कॉलेज/संस्थान का प्रमुख अथवा उसका प्रतिनिधि (3) सम्बन्धित खेल शाखा के स्कूल/कालेज के विशेषज्ञ/कोच (4) क्षेत्र के उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं। समिति की सिफारिश को अंतिम अनुमोदन हेतु मुख्यालय भेजा जाएगा। उपर्युक्त समिति की सिफारिश तथा मुख्यालय के अनुमोदन से ही अपवादस्वरूप मामलों में आयु समूह में छूट दी जा सकती है।

PDF Compressor Free Version

निगरानी

विस्तार केन्द्र को नजदीकी एसटीसी/एसएजी तथा क्षेत्रीय केन्द्र के प्रमुख, जिसके अन्तर्गत यह आता है, द्वारा मानीटर किया जाता है। ऐसे केन्द्रों को मंजूरी देने की शक्ति महानिदेशक एसएआई की होगी।

प्रदत्त सुविधा

(i) 20 खिलाड़ियों के लिए प्रति वर्ष प्रति केन्द्र 1.00 लाख रू. तक का वार्षिक अनुरक्षण अनुदान।
(ii) प्रशिक्षणार्थियों को निम्नानुसार सहायता प्रदान की जाती है।

Øe l ¡k	fooj.k	jkf'k ¼i ekg½
1-	[kgy fdV ¼çfr o"kZ çfr O;fDr ½	4000-00
2-	çfr;ksfxrk Hkkxhnkjh ¼çfr o"kZ çfr O;fDr ½	2000-00
3-	oSKkfud ¼çfr o"kZ 10 ekg çfr O;fDr ½	6000-00
4-	chek ¼çfr o"kZ çfr O;fDr ½ ¼ol ie; çfr o"kZ çfr O;fDr 32 - fn ;k t k jgk g½	150-00
5-	fpfdRlk lgk;rk mh< lsok lsa mi Ld j gsrq lgk;rk çfr o"kZ çfr çfrHkkxh;ks fo'ks"k ¼çfr o"kZ çfr O;fDr½	5000-00

इन स्कूलों/कॉलेजों को कोचों की सेवाएं, मांग के आधार पर प्रदान की जाती हैं

स्थिति

इस समय 94 विस्तार केन्द्र हैं जिनमें 1760 गैर आवासीय प्रशिक्षणार्थियों (1081 लड़के तथा 679 लड़कियां) को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

उत्कृष्टता का केन्द्र (सीओई) स्कीम

इस स्कीम में किसी विशिष्ट शाखा में सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी के अग्रिम प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है और प्रतियोगिता में प्रदर्शन के अवसर प्रदान करने का भी प्रावधान है। वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन वाले 17–25 वर्ष आयु समूह के प्रशिक्षणार्थियों का स्कीम के अंतर्गत चयन किया जाता है।

ये केन्द्र भारत में उपलब्ध उत्कृष्ट प्रतिभा के लिए नियमित कोचिंग शिविरों का कार्य करते हैं और समवर्ती स्तर के संभवतः दो या तीन उच्च कौशल प्राप्त खिलाड़ी उपलब्ध करवाते हैं जिससे आगे राष्ट्रीय टीमों में चयन हेतु प्रतिभा व निरन्तरता का अधिक विकल्प मिलता है और ये राष्ट्रीय टीमों के लिए दूसरा और तीसरा विकल्प प्रदान करते हैं।

पात्रता मानदंड

(क) पुरुष एथलीटों के लिए

ऐसे खिलाड़ी प्रवेश के पात्र हैं जो सीनियर राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं (ओपन नेशनल मीट, अन्तर–राज्य प्रतिस्पर्धाओं (सीनियर ग्रुप), अन्तर–विश्वविद्यालय (सीनियर ग्रुप), सर्किट मीटों, ग्रांड मीट, फेडरेशन कप आदि में सबसे पहले 8 खिलाड़ियों में आए हों।

(iii) [illegible]

ऐसे खिलाड़ी स्कीम में प्रवेश के पात्र हैं जो किसी भी ओपन राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा या सीनियर राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं (नेहरू हॉकी गोल्ड कप टूर्नामेंट, सुब्रोतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट, के. डी. सिंह बाबू ट्रॉफी टूर्नामेंट, इन्दिरा गांधी मेमोरियल गोल्ड कप टूर्नामेंट, बिलाटन कप आदि सहित) । में सेमिफाइनल में पहुंचें ।

लॉन टेनिस में अखिल भारतीय आधार पर सबसे पहले 10 खिलाड़ियों में आने वाले खिलाड़ी प्रवेश के पात्र है।

[illegible]

तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिन्टन, मुक्केबाजी, साइकलिंग, फेंसिंग, फुटबॉल, जिमनास्टिक्स, हॉकी, जूडो, कयाकिंग एवं कैनोइंग, कराटे, कबड्डी, तैराकी, टेबल टेनिस, ताइक्वान्डो, वालीबॉल, भारोत्तोलन, कुश्ती, वुशु।

[illegible]

इस स्कीम के तहत प्रशिक्षणार्थियों को आवासीय व गैर आवासीय, दोनों आधार पर प्रवेश दिया जाता है जहां उन्हें निम्नलिखित सुविधाओं के अलावा अनुभवी कोचों से वैज्ञानिक प्रशिक्षण तथा वर्ष में दो बार मूल निवास स्थान का आने और जाने का एसी सैकेण्ड क्लास का भाड़ा दिया जाता है :

आवासीय प्रशिक्षणार्थी

Øe la[;k	fooj.k	jkf'k ¼:i;s esa½
1-	[kku&iku O;; ¼izfr O;fDr izfr fnu½ 330 fnuksa ds fy,	175-00
2-	[ksy fdV ¼izfr O;fDr izfr o"kZ½	6000-00
3-	izfr;ksfxrk,a/izn'kZu Hkze.k ¼izfr o"kZ izfr O;fDr½	3000-00
4-	cfRrdk ¼izfr O;fDr izfr o"kZ½	9000-00
5-	fpfdRlk O;; ¼izfr O;fDr izfr o"kZ½	500-00
6-	chek ¼izfr o"kZ izfr O;fDr½ ¼ml le; izfr o"kZ izfr O;fDr 32 :- fn, tk jgk gS½	150-00
7-	vU; O;; ¼izfr O;fDr izfr o"kZ½	100-00

गैर आवासीय प्रशिक्षणार्थी

Øe la[;k	fooj.k	jkf'k ¼:i;s esa½
1-	[ksy fdV ¼izfr O;fDr izfr o"kZ½	6000-00
2-	izfr;ksfxrk,a/izn'kZu Hkze.k ¼izfr o"kZ izfr O;fDr½	3000-00
3-	oTkhQk ¼izfr O;fDr izfr o"kZ½	9000-00
4-	chek ¼izfr o"kZ izfr O;fDr½ ¼ml le; izfr o"kZ izfr O;fDr 32 :- fn, tk jgk gS½	150-00

PDF Compressor Free Version

[illegible]

इस समय 12 विस्तार केन्द्र हैं जिनमें 323 प्रशिक्षुओं (163 लड़के तथा 160 लड़कियां) को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

एसएआई के क्षेत्रीय केन्द्र / उपकेन्द्र

एसएआई की विभिन्न खेल संवर्धन स्कीमों तथा शैक्षिक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन समूचे देश में फैले क्षेत्रीय केन्द्रों / उपकेन्द्रों तथा शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से किया जाता है।

नेताजी सुभाष पूर्वी केन्द्र, कोलकाता

एसएआई पूर्वी केन्द्र की स्थापना 23 जनवरी, 1983 को साल्ट लेक सिटी, कोलकाता में 42 एकड़ भूमि पर की गई थी जिसमें बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा, प. बंगाल, त्रिपुरा, और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह राज्यों को शामिल किया गया।

एसएआई नेताजी सुभाष दक्षिण केन्द्र, बेंगलूरु

दक्षिण केन्द्र की स्थापना 13 अप्रैल 1974 को श्री कांतीरावा स्टेडियम, बेंगलूरु में की गयी थी और 29 जुलाई, 1985 को बाद में इसे वर्तमान स्थल अर्थात ज्ञानभारती कैम्पस, बेंगलूरु विश्वविद्यालय, मैसूर रोड, बेंगलूरु में स्थानांतरित कर दिया गया। यह केन्द्र 101.2 एकड़ भूमि में फैला है और कर्नाटक, केरल आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और लक्षद्वीप राज्यों को कवर करता है।

एसएआई नेताजी सुभाष पश्चिम केन्द्र, गांधीनगर

पश्चिम केन्द्र, गांधीनगर की स्थापना 28 अगस्त, 1987 को 64 एकड़ भूमि पर की गयी थी और इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान और दमन तथा दीव और दादर एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं। तथापि, जुलाई माह में एसएआई पश्चिमी केन्द्र की 7.5 एकड़ भूमि महात्मा गांधी मन्दिर परियोजना के विकास हेतु वापिस गुजरात राज्य सरकार को सौंप दी गई।

एसएआई उद्धव दास मेहता (भाई जी) मध्य केन्द्र, भोपाल

एसएआई मध्य केन्द्र की स्थापना अप्रैल 1980 में दिल्ली में की गयी थी। इसके पश्चात केन्द्र को 2001 में भोपाल स्थानान्तरित किया गया और इसका नाम उद्धव दास मेहता (भाई जी) मध्य क्षेत्रीय केन्द्र रख दिया गया है। इस समय यह केन्द्र 87 एकड़ भूमि पर कार्यरत रहा है जिसे मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ग्राम गोरा, बिशनखेड़ी, भोपाल में आवंटित किया गया, जिसमें मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य शामिल हैं।

PDF Compressor Free Version

एसएआई चौ. देवीलाल उत्तरी क्षेत्रीय केन्द्र, सोनीपत

एसएआई के उत्तरी केन्द्र की स्थापना 15 अक्तूबर, 1991 को, उत्तरी क्षेत्र के राज्यों में एसएआई तथा एसवाईएएस की स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए, चण्डीगढ़ में की गई थी। हरियाणा सरकार ने क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना तथा खेल अवसंरचना / खेल की सुविधाओं के निर्माण के लिए सोनीपत में 83 एकड़ भूमि आवंटित की। एसएआई के शासी निकाय ने 12 नवम्बर, 2001 को आयोजित अपनी बैठक में क्षेत्रीय केन्द्र को चण्डीगढ़ से सोनीपत स्थानान्तरित करने और केन्द्र का नाम भारत के पूर्व उपप्रधानमंत्री, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के नाम से रखने को अनुमोदित किया। यह केन्द्र हरियाणा और दिल्ली राज्यों को कवर करता है।

एसएआई केन्द्र, चण्डीगढ़

शासी निकाय की 23 फरवरी, 2009 को आयोजित 38वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में चण्डीगढ़ में 25 फरवरी, 2009 से एक एसएआई केन्द्र की स्थापना की गयी जिसमें जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश राज्य और चण्डीगढ़ का संघ राज्य क्षेत्र शामिल है।

एसएआई नेताजी सुभाष पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केन्द्र, इम्फाल

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना 84 एकड़ भूमि पर 15 सितम्बर, 1986 को तकयेल, इम्फाल में की गयी थी जो मणिपुर, मिजोरम और नागालैण्ड राज्यों को कवर करता है।

एसएआई नेताजी सुभाष उपकेन्द्र, लखनऊ

एसएआई नेताजी सुभाष उपकेन्द्र, लखनऊ की स्थापना 52 एकड़ भूमि पर 23 फरवरी, 2004 को की गयी थी जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्यों को कवर करता है।

एसएआई नेताजी सुभाष पूर्वोत्तर उपकेन्द्र, गुवाहाटी

एसएआई पूर्वोत्तर क्षेत्रीय उपकेन्द्र की स्थापना 7.5 एक एकड़ भूमि पर 1987 में गुवाहाटी में की गई जिसमें असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम राज्य शामिल हैं।

अन्य महत्वपूर्ण केन्द्र

एसएआई राजीव गांधी हाई आल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेन्टर, शिलारू (हिमाचल प्रदेश)

एसएआई एनएसएनआईएस पटियाला के अन्तर्गत कार्य कर रहा राजीव गांधी हाई आल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेन्टर शिलारू (हिमाचल प्रदेश) 38 एकड़ भूमि में है।

शैक्षिक संस्थान

नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, (एनएसएनआईएस) पटियाला तथा लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा, कॉलेज (एलएनसीपीई) तिरुवनंतपुरम, भारतीय खेल प्राधिकरण के तहत दो शैक्षिक संस्थान हैं।

PDF Compressor Free Version

नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला

एनएसएनआईएस–पटियाला

भारत सरकार द्वारा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की स्मृति में वर्ष 1973 में देश में व्यवस्थित और वैज्ञानिक खेल कोचिंग के युग का सूत्रपात्र करने के लिए 7 मई, 1961 को स्थापित राष्ट्रीय खेल संस्थान, 1 मई, 1987 से भारतीय खेल प्राधिकरण का शैक्षिक प्रभाग बन गया। इसे एशिया में सर्वोच्च खेल संस्थान माना गया है और यह 268 एकड़ के क्षेत्रफल में मोती बाग पैलेस, पटियाला (पंजाब) में है।

संस्थान के लक्ष्य और उद्देश्य

- खेल कोचिंग, खेल विज्ञान और अन्य संबंधित क्षेत्र में अल्प एवं दीर्घावधि शिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना।
- कोचों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के आयोजन द्वारा कोचों की योग्यता बढ़ाना।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों के आयोजन हेतु राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता देना।
- विशिष्ट खिलाड़ियों द्वारा उच्च स्तरीय प्रदर्शन के किए जाने हेतु वैज्ञानिक सहायता प्रदान करना।
- खेल संबद्ध विषयों पर सम्मेलन, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करना।
- विशेषज्ञों के माध्यम से खेल के बुनियादी ढांचे के संबंध में सूचना स्रोत का कार्य करना और परामर्श देना।
- भारतीय खेल प्राधिकरण की खेल संवर्धनात्मक स्कीम का कार्यान्वयन करना।
- विभिन्न खेल शाखाओं में खेल प्रतिभा की पहचान करना और खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए वैज्ञानिक खेल कोचिंग के माध्यम से उन्हें तैयार करना।
- एमवाईए एण्ड एस की खेल उन्नयन स्कीमों को कार्यान्वित करना।

PDF Compressor Free Version

शैक्षिक कार्यक्रम

(i) खेल कोचिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम

(क) संस्थान द्वारा पटियाला, बेंगलूरू तथा कोलकाता में तीन विभिन्न शैक्षिक केन्द्रों में 10 माह 15 दिन का डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है।

पटियाला : 18 खेल शाखाओं नामतः एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, क्रिकेट, साइकलिंग, फेंसिंग, फुटबाल, जिमनास्टिक्स, हेण्डबॉल, हॉकी, जूडो, टेबल टेनिस, वालीबॉल, भारोत्तोलन, कुश्ती और वुशू में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुल मिलाकर इन खेल शाखाओं में 267 छात्रों को प्रवेश दिया गया।

बेंगलूरू : 10 खेल शाखाओं नामतः एथलेटिक्स, बैडमिन्टन, हॉकी, कबड्डी, खो–खो, लॉन टेनिस, सॉफ्टबॉल, तैराकी, ताइक्वोण्डू तथा वालीबॉल में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुल मिलाकर बेंगलूरू में इन खेल शाखाओं में 144 छात्रों को प्रवेश दिया गया।

कोलकाता : 4 खेल शाखाओं नामतः तीरंदाजी, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी और फुटबाल में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुल मिलाकर इस केन्द्र में 43 छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

कुल मिलाकर उक्त 3 केन्द्रों 22 खेल शाखाओं में 454 छात्र डिप्लोमा पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण ले रहे हैं।

(ii) खेल कोचिंग में एम.एससी.

1979 में 9 खेल शाखाओं में खेल कोचिंग में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किया गया। पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला से संबद्ध यह पाठ्यक्रम केवल इसके पटियाला केन्द्र में चलाया जा रहा है।

(iii) खेल कोचिंग में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम

संस्थान द्वारा 17 मई से 25 जून, 2010 तक विभिन्न एसएआई केन्द्रों में जनशिक्षा कार्यक्रम के तहत खेल कोचिंग में 6 सप्ताह का प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम आयोजित किया गया: पटियाला एनएस पश्चिमी केन्द्र, एलएनसीपीई, तिरुवनंतपुरम, एसएआई एनएस दक्षिणी केन्द्र, बेंगलूरू, एसएआई पूर्वी केन्द्र, कोलकाता तथा एसएआई एसटीसी प्रशिक्षण केन्द्र, कान्दीवली (पूर्वी), मुम्बई और बीकानेर (राजस्थान)।

कुल मिलाकर 23 खेल शाखाओं में 371 विद्यार्थियों ने पाठ्यक्रम में भाग लिया : तीरंदाजी–05, एथलेटिक्स–69, बैडमिन्टन–11, बास्केटबॉल–34, मुक्केबाजी–08, क्रिकेट–26, फुटबाल–34, हेण्डबॉल–15, हॉकी–23, स्वास्थ्य एवं प्रबंधन –27, जूडो–08 कबड्डी–25, खो–खो–11, नेटबॉल–05, टेनिस–03, तैराकी–17, टेबिलटेनिस–06, ताइक्वोण्डू–05, वालीबॉल–17, कुश्ती–14, वुशू–10 तथा योगा–10

(iv) पुनश्चर्या कार्यक्रम

इसके अलावा वर्ष के दौरान कोचों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

PDF Compressor Free Version

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज (एलएनसीपीई), तिरुवनन्तपुरम

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज (एलएनसीपीई) करियावट्टम, तिरुवनन्तपुरम की स्थापना तत्कालीन युवा कार्यक्रम व खेल विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन 17 अगस्त, 1985 को की गई थी। इसके बाद, यह कॉलेज 1 मई, 1987 से राष्ट्रीय शारीरिक एवं खेल संस्थान (एसएनआईपीईएस) बोर्ड के समतुल्य भारतीय खेल प्राधिकरण का भाग बन गया। यह कॉलेज केरल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है।

कॉलेज का उद्देश्य देश में शारीरिक शिक्षा व खेल के उत्थान हेतु उत्कृष्ट सुविधाएं प्रदान करना तथा अवर स्नातक, स्नातकोत्तर तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चलाकर शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु मॉडल संस्थान के रूप में काम करना है।

मुख्य उद्देश्य:

- शारीरिक शिक्षा, खेल और क्रीड़ाओं में अत्यधिक दक्ष और कुशल नेतृत्व तैयार करना।
- शारीरिक शिक्षा, खेल विज्ञान और सम्बद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में सेवा करना।
- शारीरिक शिक्षा के अन्य संस्थाओं को तकनीकी, व्यावसायिक और शिक्षण नेतृत्व प्रदान करना।
- जन शारीरिक शिक्षा कार्यकलाप के कार्यक्रम विकसित तथा संवर्धित करना।
- आम जनता व विशिष्ट रूप से खेलों के लिए मॉडल स्वास्थ्य व स्वस्थता कार्यक्रम विकसित करना।

(क) शैक्षिक कार्यकलाप

शैक्षिक कार्यक्रम के तहत कॉलेज ने शैक्षिक वर्ष के दौरान निम्नलिखित पाठ्यक्रम चलाए:

(i) स्नातक शारीरिक शिक्षा (3 वर्ष)

(ii) स्नातकोत्तर शारीरिक शिक्षा (2 वर्ष)

(iii) नियमित और अंशकालिक पी एच.डी. कार्यक्रम

छात्रों की संख्या

d{kk	dqy lhV	yMds	yMfd;ka	dqy la[;k
ch ih bZ I	50	34	14	48
ch ih bZ II	50	19	22	41
ch ih bZ III	50	21	18	39
,e ih bZ I	25	15	10	25
,e ih bZ II	25	13	09	22
	200	102	73	175

शैक्षिक सत्र 2010–11 से एलएनसीपीई, तिरुवनंतपुरम में शारीरिक शिक्षा में एक वर्षीय एम.फिल पाठ्यक्रम शुरू किया गया है और 6 छात्र इस पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हैं।

5 छात्र पी.एचडी पूर्णकालिक तथा 15 छात्र शारीरिक शिक्षा अंशकालिक पाठ्यक्रम कर रहे हैं।

PDF Compressor Free Version

ग) प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम

17 मई से 25 जून, 2010 तक 4 खेल शाखाओं नामतः बास्केटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल तथा स्वास्थ्य एवं स्वस्थता प्रबंधन में प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 33 छात्रों ने पाठ्यक्रम पूरा किया।

राष्ट्रीय कोचिंग स्कीम

राष्ट्रीय कोचिंग स्कीम देश भर में खेलों को और अधिक व्यापक बनाने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए है और इसके तहत खेल में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए वैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया जाता है। 31 दिसम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार एसएआई की विभिन्न प्रचालन स्कीमों के तहत युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए 18 खेल शाखाओं में 1222 कोच तैनात किए गए और 151 कोच अनुबंध आधार पर कार्यरत हैं। इससे पहले खेलों के संवर्धन हेतु राज्यों/संघराज्य प्रशासनों के राज्य कोचिंग केन्द्रों के लिए उन्हें कोच भी उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा, विभिन्न खेल शाखाओं में डिप्लोमा/मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम चलाने के लिए राष्ट्रीय टीमों के प्रशिक्षण तथा शैक्षिक स्कंध में भी कोचों की सेवाएं ली जाती हैं। कोचों को स्कोचिंग/प्रशिक्षण हेतु विश्वविद्यालयों/नवोदय तथा केन्द्रीय विद्यालयों में भी उपलब्ध कराया जाता है। इन कोचों की सेवाओं के प्रभावी उपयोग हेतु भारतीय खेल प्राधिकरण में निगरानी प्रणाली शुरू की गई।

स्टेडियम प्रभाग

स्टेडियम प्रभाग खेलों के आधार को व्यापक बनाने और खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने के दोहरे उद्देश्य से दिल्ली में स्टेडियमों में सृजित विभिन्न सुविधाओं के उपयोग संबंधी नीतिगत मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।

उद्देश्य

निम्नलिखित के लिए सुविधाएं और स्थल प्रदान करना :

- राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाएं
- राष्ट्रीय कोचिंग शिविर
- स्थानीय प्रतिभाओं के लिए नियमित कोचिंग
- भुगतान एवं खेल कार्यकलाप
- विभिन्न स्तरों पर अपने खेल टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए शैक्षिक संस्थान/परिसंघ/अन्य संगठन

1982 में नई दिल्ली में आयोजित 9वें एशियाई खेलों के लिए निर्मित/नवीकृत स्टेडियमों का एमवाईएएण्डएस की ओर से भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा रख–रखाव तथा उपयोग किया जा रहा है। ये स्टेडियम हैः

Øe l a[;k	LVsfM;e dk uke
1-	t okgj yky usg: LVsfM;e] ubZ fnYyh
2-	bfUnjk xka/kh LVsfM;e] ubZ fnYyh
3-	es j /,kupUn usku y LVsfM;e
4-	MkW- ,l-ih- eq[kthZ rj.k rky ifjlj
5-	MkWd .khZ fla g 'kwfVax jsat

PDF Compressor Free Version

भारतीय खेल प्राधिकरण भी, 3 से 14 अक्तूबर, 2010 तक दिल्ली में आयोजित 19वें राष्ट्रमण्डल खेलों की तैयारी में भागीदार था। उपर्युक्त स्टेडियम इन खेलों के भी स्थल थे जिन्हें अपेक्षित सुविधाओं के सृजन/उन्नयन के लिए सीपीडब्ल्यू को सौंप दिया गया।

टीईएएमएएस प्रभाग

टीईएएमएएस (विशिष्ट एथलिटों का प्रशिक्षण एवं प्रबंधन सहायता) प्रभाग को संबंधित राष्ट्रीय खेल संघ के समन्वय से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के लिए विभिन्न खेल शाखाओं में नेशनल टीमों की तैयारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दूसरे शब्दों में यह ओलम्पिक खेल, एशियाई खेल, राष्ट्रमण्डल खेल तथा भारत और विदेशों में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं जैसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए विशिष्ट खिलाड़ियों को तैयार करने हेतु आवश्यक सुविधाएं प्रदान करता है। यह प्रभाग विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में तैयारी के लिए कोचिंग शिविर लगाकर, विदेशी कोचों की सेवाएं लेकर और एथलिटों/टीमों को भेज कर अपने एलटीडीपी के जरिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के लिए राष्ट्रीय टीमों को तैयार करने हेतु विभिन्न राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा तैयार और समिति द्वारा अनुमोदित स्कीमों का कार्यान्वयन करता है।

खेल विज्ञान सहायता व्यवस्था

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा इस व्यवस्था के तहत खेल चिकित्सा में डॉक्टरों, वैज्ञानिकों, फिजियोथेरेपिस्टों तथा मालिशकर्ताओं आदि के रूप में राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों के दौरान खिलाड़ियों को वैज्ञानिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे अपनी स्वस्थता का स्तर बढ़ा सकें, चोट ठीक कर सकें, और चिकित्सा संबंधी कमी को दूर कर सकें।

उपस्कर सहायता

भारतीय खेल प्राधिकरण तहत राष्ट्रीय शिविरों में भाग लेने वालों को आयातित और स्वदेशी, दोनों तरह की आवश्यक उपस्कर सहायता प्रदान करता है।

आओ और खेलो स्कीम

अपने पांच स्टेडियमों, जिन्हें राष्ट्रमण्डल खेल 2010 के लिए भारी लागत से नवीकृत किया गया था, के इष्टतम उपयोग के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण ने मई, 2011 में 'आओ और खेलो' स्कीम शुरू की है। एसएआई स्टेडियमों नामतः जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज, डॉ. एस.पी.एम तैराकी पूल परिसर, मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम, इन्दिरा गांधी इन्डोर स्टेडियम (जिमनास्टिक्स, कुश्ती और साइकलिंग वेलोड्रोम) में नामोद्दिष्ट क्षेत्रों को खेलों में भागीदारी प्रोत्साहित करने और स्टेडियमों के इष्टतम उपयोग के उद्देश्य से प्रतिष्ठित खिलाड़ियों तथा नौसिखियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देने के लिए मई, 2011 में इस्तेमाल के लिए खोल दिया गया। 'आओ और खेलो स्कीम' का उत्साहवर्धक स्वागत किया गया और 10000 से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को बैडमिन्टन, मुक्केबाजी, बास्केटबॉल, क्रिकेट, साइकलिंग, फुटबॉल, हॉकी, जिमनास्टिक्स, जूडो, निशानेबाजी, तैराकी, टेबल टेनिस, वालीबॉल, भारोत्तोलन और कुश्ती जैसे खेलों में अभ्यास और प्रशिक्षण के लिए खेल सुविधाओं का इस्तेमाल करने हेतु पंजीकृत किया गया है।

PDF Compressor Free Version

दिल्ली में स्कीम की सफल शुरूआत के बाद एसएआई ने इन केन्द्रों में उपलब्ध खेल सुविधाओं का इस्तेमाल करने और खेलों में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यतः नौसिखियों को कोचिंग देने के लिए स्थानीय क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1 अक्तूबर, 2011 से देश भर में फैले भारतीय खेल प्राधिकरण के सभी केन्द्रों में 'आओ और खेलो स्कीम' शुरू की। इससे खेल सुविधाओं का इष्टतम उपयोग हो सकेगा। 'आओ और खेलो स्कीम' से प्रतिभा की खोज भी होगी। इस स्कीम से प्राप्त होने वाली श्रेष्ठ प्रतिभा का एक पूल और एसटीसी और एसएजी की नियमित आवासीय खेल संवर्धन स्कीमों में प्रवेश का प्रवेश लिंक भी बनेगा। इस स्कीम से उभरने वाली प्रतिभा का मंत्रालय और एसएआई की अन्य विभिन्न स्कीमों के तहत वित्त पोषण भी किया जा सकता है।

राष्ट्रीय कोचिंग शिक्षा संस्थान की स्थापना करने के लिए राष्ट्रीय खेल संस्थान (एनआईएस), पटियाला को भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) से अलग करना : खेल उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए सुयोग्य कोचों की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण विषय है और इसके लिए भारतीय संदर्भ में एकाग्र ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। देश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के उत्तम कोच तैयार करने और कोचिंग देने के लिए सम्पूर्ण प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय महत्व का कोचिंग संस्थान सृजित करने के लिए एक नई सोसायटी बनाने हेतु राष्ट्रीय खेल संस्थान (एनआईएस), पटियाला को भारतीय खेल प्राधिकरण से अलग करने का निर्णय किया है। 2.11.2011 को आयोजित अपनी बैठक में एसएआई के शासी निकाय ने एनआईएस पटियाला को एसएआई से अलग करने का अनुमोदन कर दिया। सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य कोचिंग शिक्षा के लिए एनआईएस पटियाला के स्तर को एक सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्थान के रूप में बहाल करना है।

*****

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रस्तावना

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना 17 अगस्त, 1957 को भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के शताब्दी वर्ष में एक कालेज के रूप में की गयी थी। यह संस्थान ग्वालियर में स्थित है, जहां रानी लक्ष्मीबाई ने देश की स्वतन्त्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में संस्थान द्वारा की गई सेवाओं के सम्मान में 1995 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी की सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा इसे समविश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। यह संस्थान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्राधीन एक स्वायत्त संगठन है और यह मध्य प्रदेश सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत पंजीकृत है।

2. उद्देश्य

विश्वविद्यालय के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

- शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में उच्च योग्यता प्राप्त अध्यापक और नेता तैयार करना।
- शारीरिक शिक्षा में उत्कृष्ट और नयाचार–केन्द्र के रूप में सेवा करना और इस क्षेत्र में अनुसंधान आरम्भ, प्रोत्साहित तथा प्रसारित करना।
- शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अन्य संस्थानों को व्यावसायिक और शैक्षणिक नेतृत्व प्रदान करना।
- इस क्षेत्र में व्यवसायिकों को व्यावसायिक मार्ग–दर्शन तथा रोजगार में सहायता प्रदान करना।
- शारीरिक शिक्षा और खेल में सामूहिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- प्रदेश में शारीरिक शिक्षा और खेल के कार्यक्रमों को विकसित तथा प्रोत्साहित करना।
- शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में वैज्ञानिक समकालीन साहित्य को प्रोत्साहित और उत्पन्न करना।
- शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में सामुदायिक सेवाएं प्रदान करना।

3. विभाग

विश्वविद्यालय के आठ निम्नलिखित कार्यात्मक विभाग हैं:

- शिक्षक शिक्षा अध्यापन विभाग
- व्यायाम शरीर विज्ञान विभाग

PDF Compressor Free Version

- मनोविज्ञान विभाग
- खेल जैव यन्त्र विज्ञान विभाग
- खेल प्रबंधन और जन संचार विभाग
- खेल कोचिंग विभाग
- स्वास्थ्य विज्ञान और योग विभाग
- अनुसंधान विकास और उच्च स्तरीय अध्ययन विभाग

शैक्षणिक पाठ्यक्रम

यह संस्थान इस समय निम्नलिखित पाठ्यक्रम चलाता है:–

1-	Lu kr d ¨kjhfj d f'k{kk ¼ch-ih-bZ-½	¾ o"kZ , d hd`r fMxzh d ksZ
2-	Lukrd k¨Rrj ¨kjhfj d f'k{kk ¼ e-ih-bZ-½	¾ l sesLVj fMxzh d ksZ
3-	¨kjhfj d f'k{kk esa ekLVj v kWQ fQy kl kWQh ¼e-fQy ½	iwB e kg d k fMxzh d ksZ
4-	¨kjhfj d f'k{kk esa MkWDVj ¬kWQ ih-,p-Mh ¼i wkZd kfy d ½	
5-	[ksy i zcU/ku esa ih-th- fMIy ksek	,d o"kZ
6-	[ksy d ksfpax esa ih-th- fMIy ksek	,d o"kZ
7-	[ksy d ksfpax esa ih-th- fMIy ksek ¼Vhe, l eekd ky hu j {kk d kfeZdksa d s fy,½	,d o"kZ
8-	oSdfYi d fpfd Rl k ,oa Ÿ;kx esa ih-th- fMIy ksek	,d o"kZ
9-	LokLF; , oa i ks"k.k esa ih-th- fMIy ksek	,d o"kZ

उपर्युक्त पाठ्यक्रम के अलावा विभिन्न विषयों में अनेक अल्पावधि प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, समय समय पर चलाए जा रहे हैं।

प्रबंधन बोर्ड

केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री इस संस्थान के अध्यक्ष होते हैं। संस्थान का शीर्ष निकाय प्रबंधन बोर्ड है और सचिव (खेल) इसके अध्यक्ष (पदेन) होते हैं। प्रबंधन बोर्ड की संरचना इस प्रकार है :–

- सचिव (खेल), युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार — अध्यक्ष (पदेन)
- संस्थान का कुलपति — सदस्य
- संकाय का अध्यक्ष (यदि कोई है) बारी–बारी से और वरीयता आधार पर अधिकतम 3 — सदस्य
- संस्थान के अध्यक्ष के तीन नामिती — सदस्य
- अध्यक्ष, यू.जी.सी. का एक नामिती — सदस्य
- भारत सरकार का एक नामिती — सदस्य
- वित्त पोषक एजेंसी / एजेंसियों के दो नामिती — सदस्य
- संस्थान के तीन शिक्षक (प्रोफेसर, रीडर और लेक्चरार) (वरीयता के अनुसार बारी–बारी से) — सदस्य
- प्रायोजक सोसायटी का एक नामिती — सदस्य

PDF Compressor Free Version

सहायता अनुदान

संस्थान का पूर्ण वित्त पोषण भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से सहायता अनुदान से किया जाता है और 2010–11 के दौरान 31.12.2011 तक अनुदानों का आबंटन इस प्रकार है:–

i.	योजनागत	10.00 करोड़ रू.
ii.	योजनेत्तर	07.22 करोड़ रू.
iii.	संस्थान द्वारा दिसम्बर, 2011 तक अर्जित आय	02.75 करोड़ रू.
iv.	एनईआरसी अनुदान	03.75 करोड़ रू.

7 पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केन्द्र

गुवाहाटी स्थित पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केन्द्र ने चालू शैक्षिक वर्ष (2011–2012) से वास्तविक कार्यकरण शुरू किया। संस्थान चालू शैक्षिक सत्र के दौरान प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष चला रहा है। एनईआरसी, गुवाहाटी की नियमित कार्मिक शक्ति को समझते हुए भारत सरकार ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कुल 11 पद मंजूर किए।

कुलपति ने अगस्त – सितम्बर, 2011 में एनईआरसी, गुवाहाटी का दौरा किया और संस्थान को तेपसिया खेल परिसर के स्थाई हस्तांतरण हेतु समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने के कार्य को तेज करने के लिए असम के माननीय मुख्य मंत्री और खेल मंत्री से मुलाकात की।

शैक्षिक विवरण

श्रेणीवार संख्या, 2011–12 :

क्र.सं.	कक्षा	लड़के	लड़कियां	कुल
1.	बी.पी.एड. I ग्वालियर	99	42	141
	गुवाहाटी	35	12	47
2.	बी.पी.एड. II ग्वालियर	90	38	128
	गुवाहाटी	33	13	46
3.	बी.पी.एड. III ग्वालियर	88	37	125
	गुवाहाटी	21	07	28
4.	बी.पी.एड. IV	90	35	125
5.	एम.पी.एड. (प्रथम वर्ष)	55	23	78
6.	एम.पी.एड. (द्वितीय वर्ष)	40	18	58
7.	एम.फिल	00	01	01
8.	पीएच.डी. (पूर्णकालिक)	07	02	09
	पीएच.डी. (अंशकालिक)	29	09	38
	कुल	583	237	822

PDF Compressor Free Version

I. बुनियादी ढांचागत सुविधाएं

अपने अस्तित्व के समय से संस्थान में लड़के, लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं और यह पूर्णतः आवासीय है। इसमें खेल के मैदानों, भवनों सहित पर्याप्त बुनियादी ढांचागत सुविधाएं हैं। वर्ष 2011–2012 के दौरान निम्नलिखित मुख्य सुविधाएं बढ़ाई गई हैं :–

क) प्रशासनिक भवन

प्रशासनिक भवन का निर्माण 211.94 लाख रु. की अनुमानित लागत से एनबीसीसी के माध्यम से किया गया है। इसका उद्घाटन 27 अप्रैल, 2011 को श्री अजय माकन, माननीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा किया गया।

ख) स्क्वैश कोर्ट परिसर

स्क्वैश कोर्ट का निर्माण 288.797 लाख रु. की अनुमानित लागत से सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किया गया है। इसका उद्घाटन 15.11.2011 को लेफ्टिनेंट जनरल डी. एस. चौहान, एवीएसएम, महानिदेशक डीआईपी और डीसीआईडीएस (आसूचना) द्वारा किया गया।

उपर्युक्त पूरी की गई परियोजनाओं के अलावा, संस्थान के निम्नलिखित निर्माण चल रहे हैं:–

क) योग भवन का विस्तार
ख) टेनिस कोर्ट के दोनों ओर सीटों के कोनों का निर्माण

संस्थान ने एनईआरसी गुवाहाटी, तेपसिया खेल परिसर में निम्नलिखित निर्माण करने की योजना भी बनाई है:

क) 400 मीटर साइन्डर ट्रैक
ख) 150 की क्षमता वाला लड़कों का छात्रावास
ग) 100 की क्षमता वाला लड़कियों का छात्रावास
घ) टाइप – V आवास
ङ) तैराकी पूल

II. कार्यकलाप

वर्ष 2011–2012 के दौरान निम्नलिखित प्रमुख कार्यकलाप किए गए :–

क) श्री अजय माकन, माननीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने नव निर्मित प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करने के लिए 27 अप्रैल, 2011 को संस्थान का दौरा किया। उन्होंने वरिष्ठ संकाय और प्रशासनिक स्टाफ के साथ बातचीत और विचार–विमर्श भी किया और संस्थान की विभिन्न सुविधाओं का निरीक्षण किया।

PDF Compressor Free Version

श्री अजय माकन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का माल्यार्पण करते हुए

ख) एलएनयूपीई, ग्वालियर में पीवाईकेकेए संसाधन केन्द्र है, जिसने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विभिन्न मास्टर प्रशिक्षक कार्यक्रम संचालित किए।

ग) संस्थान ने रनर्स सोसायटी के सहयोग से 15 मई, 2011 को 'मैराथन' आयोजित किया जिसका उद्घाटन माननीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया।

घ) ग्वालियर और एनईआरसी, गुवाहाटी में विभिन्न रिक्त पदों पर नियुक्ति, चयन समितियों की बैठकों के माध्यम से की गई है।

ङ.) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्थान के संकाय सदस्यों की कुल सात अनुसंधान परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

च) संस्थान ने ग्रेटर ग्वालियर की जनता के लिए ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान 15 खेलों में ग्रीष्मकालीन कोचिंग शिविर आयोजित किए जिसमें 2118 छात्रों ने भाग लिया। यह संस्थान का कमाई का स्रोत है।

PDF Compressor Free Version

ञ) विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश को भारत में विभिन्न केन्द्रों में आयोजित अखिल भारतीय परीक्षा द्वारा जुलाई और अगस्त, 2011 के दौरान अंतिम रूप दिया।

ट) संस्थान ने स्टाफ सदस्यों के लिए प्रतियोगिताओं सहित 14 से 20 सितम्बर, 2011 तक राजभाषा सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यकलाप आयोजित किए।

ठ) सितम्बर, 2011 में एलएनयूपीई, ग्वालियर के लिए बीपीएड में 200 सीटों और एमपीएड में 120 सीटों तथा एनईआरसी, गुवाहाटी में एमपीएड में 200 सीटों की अतिरिक्त क्षमता की मंजूरी के लिए ऑन लाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं।

ड) श्री आर.सी. सिंह, माननीय चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, युवा सेवाएं और खेल मंत्री, जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने 30.11.2011 को संस्थान का दौरा किया। उन्हें संस्थान के कार्यकलापों के बारे में जानकारी दी गई और उन्होंने विभिन्न सुविधाओं का अवलोकन किया और उनकी सराहना की। मंत्री महोदय ने आगामी ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में जम्मू एवं कश्मीर के किसी भी भाग में नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने का प्रस्ताव भी किया।

*****

PDF Compressor Free Version

पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान

प्रस्तावना

खेल, सामाजिक समावेशन, लिंग समानता तथा युवा विकास में योगदान देने के अलावा लोगों की शारीरिक स्वस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेलों के क्षेत्र में एक प्रमुख देश बनने के लिए भारत को मूल स्तर पर संघटित प्रतिस्पर्धाएं; खेल व शारीरिक शिक्षा को औपचारिक शिक्षा प्रणाली के साथ जोड़ने; और खेल संस्कृति का विकास करने की आवश्यकता है। इस प्रयास में भारत सरकार ने वर्ष 2008–09 में पंचायत युवा क्रीड़ा व खेल अभियान के नाम से राष्ट्रव्यापी ग्रामीण खेल कार्यक्रम शुरू किया। यह एक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) है जिसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से किया जा रहा है।

योजना के घटक

- 10 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से 2.50 लाख ग्राम पंचायतों और 6,400 खण्ड पंचायतों (तथा देश में इसके समतुल्य यूनिटों) में खेल का बुनियादी ढांचा सृजित करना जिसके तहत प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत सामान्य राज्यों तथा 20 प्रतिशत सीमावर्ती राज्यों तथा पूर्वोत्तर राज्यों सहित विशेष श्रेणी के राज्यों को शामिल किया जाएगा।
- खण्ड, जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर वार्षिक ग्रामीण खेल प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता;
- राष्ट्रीय महिला चैम्पियनशिप, अन्तर–स्कूल प्रतिस्पर्धाएं व पूर्वोत्तर खेल आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता देना।

योजना के उद्देश्य

- देशभर में खेल का बुनियादी ढांचे का नेटवर्क सृजित करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों की सार्वभौमिक सुगम्यता प्रदान करना व खेल संस्कृति प्रोत्साहित करना।
- खण्ड स्तर से शुरू करते हुए सुविकसित प्रतिस्पर्धा ढांचे के माध्यम से ग्रामीण युवाओं में उपलब्ध व भरपूर खेल प्रतिभा को निखारना।

वित्त पोषण की पद्धति

बुनियादी ढांचा अनुदान : ग्राम/खण्ड पंचायतों में खेल केन्द्र बुनियादी ढांचे का विकास :

PDF Compressor Free Version

क्रम संख्या	घटक	ग्राम पंचायत	खण्ड पंचायत
1.	खेल के मैदानों को समतल करने हेतु एक बारगी का पूंजीगत अनुदान (केन्द्र व राज्य सरकारों के बीच 75 और 25 के अनुपात में, और विशेष श्रेणी राज्यों/पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 90 और 10 के अनुपात में) (शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता)	1 लाख रु.	5 लाख रु.
2	खेल किटों/उपस्कर के लिए 5 वर्षों के लिए वार्षिक अधिग्रहण अनुदान	10,000/–रु.	20,000/–रु.
3	क्रिड़ाश्रियों को मानदेय सहित रख–रखाव के लिए पांच वर्षों के लिए वार्षिक प्रचालन अनुदान	12,000/–रु.	24,000/–रु.

वार्षिक प्रतिस्पर्धाएं (शतप्रतिशत केन्द्रीय अनुदान) : विभिन्न स्तरों पर प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करने के लिए सहायता अनुदान की राशि इस प्रकार है:

	izfr Li/kkZ a	fo"k; ¼ lgk;rk ½
	ihokbZ d s xzkeh.k izfr Li/kkZ a	
1-	[k.M Lrjh; izfr Li/kkZ a	5 [ksy 'kk[kkv ksa gsrq izfr [ksy 'kk[kk 10]000@& - dh nj ls 50]000@ - + izR;sd ftys esa xzke iapk;rksa dks 45]000@& - dh iqjLdkj jkf'k A
2-	ftyk Lrjh; izfr Li/kkZ a	10 [ksy 'kk[kkv ksa gsrq izfr [ksy 'kk[kk 20]000@& - dh nj ls 2-00 yk[k - $ izR;sd ftys ds [k.M iapk;rksa dks 90]000@& - dh iqjLdkj jkf'k A
3-	jkT; Lrjh; izfr Li/kkZ a	¼d½ 10 [ksy 'kk[kkv ksa ds fy, izfr [ksy 'kk[kk 1 yk[k - dh nj ls jkT; ds fy, 10 yk[k - ¼[k½ 10 [ksy 'kk[kkv ksa ds fy, izfr [ksy 'kk[kk 50]000@& - dh nj ls iwoksZŸkj jkT; {ks= ds fy, 5 yk[k - uksV %dqy jkf'k dk 20 izfr'kr iqjLdkj nsus ds fy, bLrseky fd;k tk;sxkA
4-	jk"Vªh; Lrjh; izfr Li/kkZ a	esa cku jkT; dks 70 yk[k - ¼20 [ksy 'kk[kkv ksa ds fy, izfr [ksy 'kk[kk 3-50 yk[k -½ uksV % izfr [ksy 'kk[kk 3-50 yk[k - esa ls 50]000@& - dk iqjLdkj] efgyk] VªkQh ;k nsus ds fy, j[kk x;k gS&

पूर्वोत्तर खेल : ये खेल पारम्परिक व जनजातीय खेलों के प्रोत्साहन/संवर्धन के लिए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर के खेलों के वित्त पोषण मानदण्डों को 3 फरवरी, 2010 से बढ़ा दिया गया है।

	i ́Lr /kkZ a	foÙkh; ekSfnzd i;ZofLFkfr
	iq#"k ,oa efgyk	
¼i½	ftyk Lrjh;	50]000@&: -
¼ii½	jkT; Lrjh;	8 [ksy 'kq# djus gsrq izfr [ksy 'kqYd 75]000@& - dh nj ls 6-00 yk[k -
¼iii½	jk"Vªh; Lrjh;	55-90 yk[k -

राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव : महिलाओं के लिए राष्ट्रीय चैम्पियनशिप को निम्नलिखित संवर्धित वित्त पोषण मानदण्डों के साथ 2010–12 से पीवाईकेकेए स्कीम के तहत लाया गया है:

	izfrLi/kkZ	foÙkh; ekSfnzd i;ZofLFkfr
	efgyk izfrLi/kkZ%	
¼i½	ftyk Lrjh;	12 [ksy 'kq# djus gsrq izfr [ksy 'kqYd 10]000@& - dh nj ls 1-20 yk[k -
¼ii½	jkT; Lrjh;	12 [ksy 'kq# djus gsrq jkT;] dks izfr [ksy 'kqYd 50]000@& - dh nj ls 6 yk[k - 12 [ksy 'kq# djus gsrq lHkh jkT; [ksy dks izfr [ksy 'kqYd 25]000 - dh nj ls 3 yk[k -
¼iii½	jk"Vªh; Lrjh;	12 [ksy 'kq# djus gsrq izfr [ksy 'kqYd 3-50 yk[k - dh nj ls 42 yk[k -

प्रशासनिक ढांचा

क) राष्ट्रीय स्तर :

- केन्द्रीय खेल मंत्री की अध्यक्षता में पीवाईकेकेए की सामान्य परिषद सर्वोच्च नीति निर्माता निकाय है। सचिव (खेल) की अध्यक्षता में पीवाईकेकेए स्कीम की कार्यकारी समिति को पीवाईकेकेए मिशन योजना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों आदि की विस्तृत वार्षिक कार्य योजनाओं का अनुमोदन करने का अधिकार है;

- युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय में संयुक्त सचिव (खेल) की अध्यक्षता में मिशन निदेशालय भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय, ग्वालियर तथा नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस) के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम निष्पादित करता है। यूनिसेफ, मैजिक बस तथा ईशा फाउण्डेशन जैसी एजेंसियों को भी इस स्कीम के ज्ञानवान भागीदार के रूप में शामिल किया जाता है।

PDF Compressor Free Version

ख   राज्य स्तरीय

- पीवाईकेकेए के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को स्कीम के कार्यान्वयन/निगरानी के लिए खेल विभाग/खेल में पीवाईकेकेए सेल स्थापित करना होता है। प्रत्येक राज्य को तकनीकी परामर्शदाता या उसके स्थान पर सहायक स्टाफ नियुक्त करने के लिए प्रतिमाह 30,000/- रू. दिया जाता है।
- राज्य स्तरीय कार्यकारी समितियों के अध्यक्ष, राज्यों के मुख्य सचिव होते हैं। जिला व ब्लॉक स्तर की कार्यकारी समितियों के अध्यक्ष, संबंधित जिला परिषदों तथा खण्ड पंचायतों के अध्यक्ष होते हैं; और
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संसद सदस्यों को जिला स्तरीय कार्यकारी समितियों के साथ जोड़ने के लिए कहा गया है।

योजना, परिव्यय, बजट आवंटन तथा उपयोग

पीवाईकेकेए स्कीम के लिए 11वीं पंच वर्षीय योजना में 1,500 करोड़ रू. के योजनागत परिव्यय का प्रावधान किया गया। बजट आवंटन और स्कीम शुरू होने के बाद से और चालू वित्त वर्ष की 31 दिसम्बर, 2011 तक ग्राम/खण्ड पंचायतों में मूल खेल बुनियादी सुविधाओं के विकास तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों सहित खण्ड, जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर वार्षिक प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करने के लिए बजट आवंटन तथा उपयोग दर्शाने वाला विवरण नीचे तालिका में दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	वर्ष	बजट आबंटन	बजट उपयोग		
			बुनियादी ढांचा घटक	प्रतियोगिताएं	कुल
(i)	2008-09	92.00	83.85	8.15	92.00
(ii)	2009-10	135.00	105.00	30.00	135.00
(iii)	2010-11	350.00	265.15	84.85	350.00
(iv)	2011-12*	165.20	105.68*	29.85*	135.53*
	कुल	740.20	554.68	152.85	412.33

* आँकड़े 31 दिसम्बर, 2011 तक

स्कीम शुरू होने के बाद से बजट का उपयोग शतप्रतिशत रहा है।

राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां, स्कीम के निबंधन व शर्तों को पूरा करने वाले प्रस्तावों को प्रस्तुत करने पर जारी की जाती हैं।

खेल के बुनियादी ढांचे की सुविधाओं का विकास : अनुमोदित खण्ड/ग्राम पंचायतों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अभी तक जारी वित्तीय सहायता का सार नीचे तालिका में दिया गया है:

PDF Compressor Free Version

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	वर्ष	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या (राज्य)	अनुमोदित ग्राम पंचायतों की संख्या	अनुमोदित खण्ड पंचायतों की संख्या	अनुमोदित अनुदान	रिलीज की गई राशि
(i)	2008-09	24	22,385	604	246.22	83.85@
(ii)	2009-10	9	2,225	135	28.66	105.00
(iii)	2010-11	20	22,448	681	285.40	260.84^
(iv)	2011-12*	3	2,738	44	31.39	105.68
	कुल	56	49,796	1,461	591.67	555.37

@ 2008–09 में कम बजट आवंटन के कारण अनुमोदित राशि की तुलना में यह राशि कम है।
^ इसमें अप्रयुक्त अनुदान में से एसएआई द्वारा पुडुचेरी को जारी 0.89 करोड़ रु. शामिल है।
* 31 दिसम्बर, 2011 तक

खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के संबंध में पीवाईकेकेए स्कीम, 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से 28 राज्यों तथा 3 संघ राज्य क्षेत्रों में अपनाई गई है। चार संघ राज्य क्षेत्रों नामतः दमण एवं दिव, दादर नागर हवेली, चण्डीगढ़ व दिल्ली ने अभी तक पीवाईकेकेए स्कीम नहीं अपनाई है। अभी तक (31 दिसम्बर, 2011 तक) 591.67 करोड़ रु. की अनुदान सहायता से 49,796 ग्राम पंचायतों तथा 1,461 खण्ड पंचायतों को अनुमोदित किया गया है। 31 दिसम्बर, 2011 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अभी तक 555.37 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

प्राप्त वास्तविक प्रगति (खेल बुनियादी ढांचा) : अधिकांश राज्यों ने राज्य, जिला व खण्ड स्तर पर पीवाईकेकेए सेलों, कार्यकारी समितियों की स्थापना की है; पीवाईकेकेए कार्यान्वयन एजेंसियों को चिन्हित किया गया है, और पीवाईकेकेए केन्द्रों के प्रबंधन हेतु क्रीड़ाश्रियों (समुदाय कोचों) को नियुक्त किया गया है।

वार्षिक ग्रामीण खेल प्रतिस्पर्धाएं : पीवाईकेकेए प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करने हेतु अनुदान प्राप्त करने वाले राज्यों की संख्या 2009–10 में 15 से बढ़कर 2010–11 में 28 हो गई है। वर्ष 2010–11 के लिए इन प्रतिस्पर्धाओं में भागीदारी की कुल संख्या लगभग 43.15 लाख (24.21 लाख पुरुष व 18.94 लाख महिलाएं) है।

पीवाईकेकेए स्कीम का केन्द्र और राज्यों की अन्य स्कीमों में समामेलन : पीवाईकेकेए स्कीम के तहत इसके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न केन्द्रीय व राज्य स्कीमों के साथ समामेलन प्रोत्साहित किया जाता है। इस स्कीम के तहत ग्राम/खण्ड पंचायतों के अपने संसाधनों के जरिए या राज्य सरकार योगदान, एमएलएएलएडी स्कीम, एमपीएलएडी स्कीम पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, एमजीएनआरईजीए सहायता निधि योगदान आदि से उनके द्वारा संसाधन जुटाने की दृष्टि से समामेलन के दृष्टिकोण की सिफारिश की जाती है।

इस स्कीम में विशेष रूप से इस आशय की परिकल्पना की गई है कि खेल के मैदानों को समतल करने आदि जैसे श्रम साध्य कार्यों के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के वित्त पोषण का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तदनुसार, खेल मैदानों के विकास हेतु एमजीएनआरईजीए स्कीम के तहत लाभ लेने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कहा गया है।

कुछ राज्य पहले ही खेल मैदानों को समतल करने और उनकी घेराबन्दी करने के लिए एनआरईजीए, एमपीएलएडी, एमपीएलएडी स्कीम से निधियों के स्रोतों का उपयोग करते आ रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रत्येक 100 गांवों के लिए 'लघु स्टेडियम' का निर्माण करने हेतु सहायता देने पर सहमति दी है।

पीवाईकेकेए–एमआईएस :

इसे औपचारिक रूप से नवम्बर 2009 में शुरू किया गया था। कम्प्यूटरीकृत एमआईएस से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा सकते हैं, प्रस्तावों पर निगरानी रखी जा सकती है और प्रस्तावों को संशोधित किया जा सकता है। इसमें वित्तीय और वास्तविक प्रगति की ऑनलाइन निगरानी करने, खेल के मैदानों, महिला तथा अन्तरस्कूल प्रतिस्पर्धाओं सहित पीवाईकेकेए ग्रामीण प्रतिस्पर्धाओं के सभी स्तरों पर प्रतिस्पर्धाओं तथा भागीदारों के संबंध में पूरा डाटा आधार तैयार करने की भी व्यवस्था की गई है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) ने डाटा आंकड़े/प्रस्तावों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने हेतु एनआईसी मुख्यालय दिल्ली में दो दिन के व्यावहारिक प्रशिक्षण के अलावा राज्यों के अधिकारियों को ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के कार्यसाधक ज्ञान देने के उद्देश्य से पीवाईकेकेए कार्यान्वयन में कार्यरत ऐसे अधिकारियों के लिए पीवाईकेकेए–एमआईएस के संबंध में कार्यशालाएं आयोजित कीं। केवल केरल पीवाईकेकेए स्कीम के तहत वित्तीय सहायता मांगने हेतु ऑनलाइन प्रस्तुत करने वाला प्रथम राज्य है।

अन्य बातों के साथ–साथ www.pykka.gov.in वेबसाइट में खेल के क्षेत्र में नागरिकों द्वारा अपने सुझाव देकर, सफलता की अपनी गाथाओं की जानकारी देकर उनकी भागीदारी की व्यवस्था है। पीवाईकेकेए वेबसाइट की सार्वजनिक भागीदारी अब पूरी तरह चालू है।

पीवाईकेकेए संसाधन केन्द्र (पीआरसी) की स्थापना पीवाईकेकेए के कार्यान्वयन से जुड़े निम्नलिखित घटकों को प्राप्त करने के लिए नवम्बर, 2008 में एलएनयूपीई, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में की गई थी :

- क्षमता निर्माण
- मानकीकरण;
- निगरानी एवं मूल्यांकन;
- प्रलेखन;
- अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और;
- उत्तम प्रक्रियाओं का आदान–प्रदान।

मास्टर प्रशिक्षकों तथा क्रीड़ाश्रियों का प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण

क्रीड़ाश्री ग्राम और खंड पंचायत स्तर पर मानद समुदाय कोच/खेल स्वयंसेवी होते हैं जो खेल सुविधाओं का प्रबंधन कार्य देखते हैं। वे कोच/स्वयंसेवी ग्रामीण समुदाय को जीवन के तरीके के रूप में खेलों और क्रीड़ाओं को अपनाने में प्रोत्साहित करने हेतु खेल प्रशिक्षक, प्रेरक तथा परामर्शदाता की भूमिका में कार्य करते हैं। पीवाईकेकेए स्कीम के तहत एक लक्ष्य, देश भर में 10 वर्षों के अवधि में 8000 राज्य कार्मिकों/व्यक्तियों को मास्टर प्रशिक्षक के रूप में तैयार करने के अलावा दो लाख समुदाय कोचों (क्रीड़ाश्रियों) को प्रशिक्षित करना भी है।

मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण : वृहत मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का मैनुअल तैयार किया गया और इसे सभी संबंधितों को परिचालित किया गया। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय (एलएनयूपीई), ग्वालियर मध्य प्रदेश में प्रत्येक वित्त वर्ष में 800 राज्य कार्मिकों/व्यक्तियों के लिए दो सप्ताह का प्रशिक्षण

PDF Compressor Free Version

कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। पीवाईकेकेए स्कीम के तहत चिन्हित 20 विभिन्न खेलों और क्रीड़ाओं में विशेष प्रशिक्षण सामग्री तैयार की गई। वर्ष 2009–10 में 577 कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु 35.25 लाख रु. का उपयोग किया गया। इस वर्ष 2010–11 में 800 कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु एलएनयूपीई ग्वालियर मध्य प्रदेश को 47 लाख रु. जारी किए गए हैं। 2011–12 के दौरान उत्तम मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एलएनयूपीई ग्वालियर को 75 लाख रु. जारी किए गए हैं। अभी तक 2009–10 में 31 दिसम्बर, 2011 तक पीवाईकेकेए संवर्धन केन्द्र में 1359 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। एलएनयूपीई में प्रशिक्षित राज्य कार्मिक/व्यक्ति आगे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक वर्ष में 20,000 क्रीड़ाश्रियों को प्रशिक्षण देंगे।

क्रीड़ाश्रियों का प्रशिक्षण : क्रीड़ाश्रियों के लिए मिशन निदेशालय से पूर्ण वित्तीय सहायता के साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। वर्ष 2009–10 में 20330 क्रीड़ाश्रियों के प्रशिक्षण हेतु 22 राज्यों को 2.92 करोड़ रु. प्रदान किए गए। दिसम्बर, 2010 तक 14514 क्रीड़ाश्रियों को प्रशिक्षित किया गया। शेष क्रीड़ाश्रियों को मार्च 2011 तक प्रशिक्षित कर दिया जाएगा।

पीवाईकेकेए में [illegible]

यूनिसेफ, टीम के कार्यान्वयन में राज्यों के साथ सहयोजित होने के अलावा प्रशिक्षण, निगरानी तथा समर्थन के क्षेत्रों में पीवाईकेकेए संसाधन केन्द्र के साथ जुड़ा है। इसने मॉडल पीवाईकेकेए के केन्द्र स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में अग्रणी कार्य किया है।

मैजिक बस (एक पंजीकृत एनजीओ) भी महाराष्ट्र के सांगली जिले तथा आंध्र प्रदेश के मेदक जिले में दो प्रायोगिक पीवाईकेकेए के केन्द्र विकसित कर रहा है। इस प्रयोजन के लिए मैजिक बस को 8 लाख रु. की वित्तीय सहायता दी गई है।

14.3 ईशा फाउन्डेशन, कोयम्बटूर, तमिलनाडु मास्टर प्रशिक्षकों तथा समुदाय कोचों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के भाग के रूप में उनके लिए योग की कक्षाएं आयोजित कर रहा है। इससे ग्रामीण युवा पीवाईकेकेए स्कीम के कार्यान्वयन में सक्रिय भागीदारी करने में प्रेरित और एकजुट होंगे।

निगरानी : मिशन निदेशालय के अधिकारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नियमित दौरा करते हैं तथा ग्राम और खंड पंचायतों के स्तर पर पीवाईकेकेए केन्द्रों की स्थापना तथा खेल के मैदानों के विकास की देख–रेख करते हैं। मिशन निदेशालय/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्रीड़ाश्रियों के प्रशिक्षण सहित पीवाईकेकेए की कार्यान्वयन की निगरानी हेतु इच्छुक अर्जुन पुरस्कार प्राप्त कर्ताओं (सन्यास ले चुके खिलाड़ियों में से) को मानद पीवाईकेकेए पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त करने की प्रक्रिया में है।

पीवाईकेकेए स्कीम में मुख्य परिवर्तन

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित की अनुमति है :

- 2008–09 से उन वर्षों के लिए अनुमत्य बुनियादी ढांचा अनुदान प्राप्त करना जिनके लिए अनुदान प्राप्त नहीं किया गया है।
- राष्ट्रीय औसत जनसंख्या से अधिक औसत वाली ग्राम/खंड पंचायतों के लिए 2008–09 से समानुपात आधार पर बुनियादी ढांचा अनुदान प्राप्त करना।
- ग्राम/खंड पंचायतों के लिए अनुमत्य वार्षिक प्रचालन अनुदान के प्रशासनिक व्ययों के लिए क्रमशः 2000 रु. और 4000 रु. का उपयोग करना(और
- बिना विधानपालिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए शत–प्रतिशत अनुदान तथा केन्द्र से पूर्ण बजट सहायता प्राप्त करना।
- अब से पहले राज्य/संघ क्षेत्रों को दो किस्तों में अनुमत्य अनुदान दिया जाता था अब आगे यह अनुदान स्कीम के कार्यान्वयन को तेज करने के लिए एक किस्त में दिया जाता है।

PDF Compressor Free Version

- अब से पहले खंड जिला तथा राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को वार्षिक अधिग्रहण, संचालन और प्रतिस्पर्धा अनुदान, भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से जारी किए जाते थे। वर्ष 2010–11 से ये अनुदान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीधे मिशन निदेशालय द्वारा जारी किए जाते हैं ताकि अनावश्यक विलम्ब न हो।
- वर्ष 2010–11 से जिला राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धाओं में भागीदारी की आयु सीमा 18 से घटाकर 16 वर्ष कर दी गई है। खंड स्तर की प्रतिस्पर्धाएं सभी के लिए खुली होंगी और 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए अलग प्रतिस्पर्धाएं होंगी।
- पहली बार खंड और जिला स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में योग्यता प्रमाण पत्र देना शुरू किया गया। इसीप्रकार भागीदारी तथा राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में भागीदारी के लिए योग्यता प्रमाण पत्र भी देना शुरू किया गया है।
- अब से पहले 20 खेल शाखाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर की पीवाईकेकेए प्रतिस्पर्धाएं चार समूहों में आयोजित की जाती थी। इस वर्ष से ये प्रतिस्पर्धाएं छह समूहों में आयोजित की जाएंगी। इससे छोटे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र भी राष्ट्रीय स्तर की पीवाईकेकेए प्रतिस्पर्धाओं की मेजबानी कर सकेंगें।
- राष्ट्रीय स्तर के पूर्वोत्तर खेलों के लिए वित्त पोषण संबंधी मानदण्डों को उच्च स्तर पर मानकीकृत किया गया है (55.00 लाख रु.)।
- राज्यों को पीवाईकेकेए स्कीम की प्रभावी निगरानी हेतु जिला स्तर की पीवाईकेकेए कार्यकारी समितियों में सांसद सदस्यों को शामिल करने के लिए कहा गया है।

परिकल्पित परिणाम :

- सभी ग्राम व खण्ड पंचायतों (और उनकी समस्तरीय यूनिटें) के निर्दिष्ट/संरक्षित खेल मैदान होंगे।
- स्कूलों को दी गई वरीयता से शारीरिक शिक्षा और खेलों को औपचारिक शिक्षा से जोड़ने की दीर्घकाल से वांछित उद्देश्य को पूरा करने में सहायता मिलेगी।
- 40 लाख से अधिक युवाओं, जिनके वार्षिक ग्रामीण खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने की आशा है, से युवा प्रतिभा का पता लगाने व उसका सम्पोषण करने के लिए बहुत बड़ा आधार मिलेगा।
- इस स्कीम में भारतीय खेल प्राधिकरण व राज्यों की प्रतिभा अभिज्ञान स्कीमों को युवा खेल प्रतिभा का पता लगाने व उसका सम्पोषण करने से जोड़ने का प्रावधान है।
- इस स्कीम से 10 वर्षों की अवधि में 2 लाख से अधिक ऐसे समुदाय खेल प्रशिक्षक तैयार करने में सहायता मिलने की आशा है जो देश में सशक्त खेल संस्कृति के संवर्धन में सहायता करेंगे।
- अन्ततः खेलों में भारी भागीदारी से युवा विकास (नेतृत्व गुण; स्वास्थ्य एवं स्वस्थता), समुदाय विकास (सामाजिक समावेशन; अपराध में कमी), राष्ट्रीय गौरव, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा खेल कार्यकलापों के क्षेत्र में आर्थिक विकास को तेज करने में उल्लेखनीय योगदान होगा।

*****

PDF Compressor Free Version

शहरी खेल अवसंरचना के सृजन के लिए सहायता की स्कीम

जब खेल अवसंरचना के लिए पूर्ववर्ती स्कीम को 2005 में राज्य क्षेत्र को स्थानांतरित किया गया था, बड़ी संख्या में खेल सुविधाओं का सृजन हुआ। लेकिन ये सुविधाएं उपयुक्त अनुरक्षण, कोच, उपकरण आदि के अभाव में कम उपयोगी रहीं। इसके अलावा विशेषकर राष्ट्रीय खेल के लिए भी सृजित पर्याप्त अवसंरचना कम उपयोगी या अनुपयोगी रही। अतः उनकी लाभप्रद उपयोगिता को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र या राज्य में प्रभावी भागीदारी उपलब्ध रहने की आवश्यकता महसूस की गई।

इस मुद्दे पर 2008 और 2010 में आयोजित राज्य खेल मंत्रियों के सम्मेलन में विचार–विमर्श किया गया और शहरी खेल अवसंरचना के सृजन को सहायता देने के लिए एक व्यापक योजना शुरू करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। तत्पश्चात इस मुद्दे को 11वीं योजना की मध्यावधि समीक्षा और वार्षिक योजना पर विचार–विमर्श के दौरान योजना आयोग के साथ उठाया गया। योजना आयोग पायलट स्केल अर्थात् औचित्य और व्यवहार्यता के आधार पर न कि एक समान आधार पर शहरी खेल अवसंरचना के संवर्धन के लिए व्यापक केन्द्रीय स्कीम शुरू करने के लिए सिद्धांततः सहमत हो गया।

तदनुसार सरकार ने समग्र "खेल पारिस्थितिकी प्रणाली" अर्थात् खिलाड़ियों का प्रशिक्षण एवं विकास, कोचिंग और अवसंरचना की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से वर्ष 2010–11 में पायलट आधार पर 'शहरी खेल अवसंरचना के सृजन के लिए सहायता की स्कीम' नामक केन्द्रीय स्कीम शुरू करने की मंजूरी दी। स्कीम में खेल संघों के जरिए राज्य सरकारों द्वारा खेल के मैदानों के विकास, केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के जरिए कोच विकास कार्यक्रम, खिलाड़ी अकादमियों की स्थापना, जहां एसएआई केन्द्र, प्रत्येक राज्य में प्रमुख खेलों का प्रबंध करने के लिए ऐसे अकादमियों के लिए हब का केन्द्र और स्पोक मॉडल प्रदान करेगा, की परिकल्पना की गई है। यह स्कीम समुदाय खेल के मैदानों को बढ़ावा देने, सहायता देने और परिरक्षित करने, महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने सभी स्तरों पर राज्य में पहले से उपलब्ध अवसंरचना के उपयोग को प्रोत्साहन देने, आवश्यकता आधारित अवसंरचना का सृजन और समुदाय कोष सहित कोषों के बीच क्षमता निर्माण का सृजन करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर तंत्र को बढ़ावा देने एवं सहायता देने पर फोकस करेगा। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारें, स्थानीय सिविल निकाय, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और खेल नियंत्रण बोर्ड सहायता के लिए पात्र हैं।

PDF Compressor Free Version

स्कीम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :–

i) राज्य स्तरीय क्रीड़ा मैदान संघ के गठन एवं प्रचालन के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक राज्य को 50 लाख रु. और प्रत्येक संघशासित क्षेत्र को 25 लाख रु. की दर से वार्षिक सहायता। संघ को भारतीय राष्ट्रीय क्रीड़ा मैदान संघ (एनपीएफएआई) की तर्ज पर निरूपित किया जाए। वार्षिक सहायता का उपयोग स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय को पूरा करने, पंजीकृत क्रीड़ा मैदान के व्यापक डाटाबेस का अनुरक्षण करने, संकटापन्न क्रीड़ा मैदानों को कानूनी सहायता प्रदान करने, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं का आयोजन करने और राज्य स्तर पर पायलट परियोजनाओं को सहायता सहयोग प्रदान करने सहित संघ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाना है।

ii) राष्ट्रीय स्तर पर एनपीएफएआई अनुकरण करने हेतु राज्यों के लिए पायलट परियोजना सहायता सहित ऐसे ही कार्यकलाप करने के लिए प्रतिवर्ष 2.5 करोड़ रु. का वार्षिक अनुदान प्राप्त करेगा। एनपीएफएआई द्वारा सहायता प्राप्त सभी परियोजनाओं को एनपीएफएआई में पंजीकृत कराना होगा और मॉडल समझौता ज्ञापन के अनुसार समुदाय क्रीड़ा सुविधा के रूप में इसके साथ समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) करना होगा।

iii) एक ओर राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों/कॉलेजों/विश्वविद्यालयों/खेल नियंत्रण बोर्डों और दूसरी ओर एस ए आई के साथ साझेदारी मोड पर खेल प्रशिक्षण अवसंरचना का विकास। इस स्कीम के अंतर्गत युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में आवश्यकता आधारित खेल अवसंरचना के सृजन के लिए एसएआई के जरिए या सीधे ही सहायता प्रदान करेगा। ऐसी अवसंरचना एसएआई विस्तार केन्द्रों के रूप में काम करेगा, लेकिन अवसंरचना के अनुरक्षण की पूरी जिम्मेवारी राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र/लाभार्थी संगठन की होगी।

iv) मौलिक खेल एवं लोकप्रिय खेलों, विशेषकर जिसमें देश के लिए अच्छी पदक की संभावना है, पर फोकस बनाए रखने के उद्देश्य से निम्नलिखित प्रकार की खेल अवसंरचना को दूसरे की अपेक्षा वरीयता दी जाएगी :

(क) सिंथेटिक खेल सतह (हॉकी, फुटबॉल और एथलेटिक्स के लिए)।
(ख) बहु–उद्देशीय इंडोर हाल।

PDF Compressor Free Version

v) के. लो. नि. वि., राज्य लो. नि. वि. या किसी केन्द्रीय या राज्य पीएसयू को परियोजनाओं के निर्माण के लिए लगाया जा सकता है। आकलन तैयार करने के लिए के.लो.नि.वि./राज्य लो.नि.वि. की दर अनुसूची को अपनाया जाएगा। अनुमोदित आकलन के अनुसार अनुदान साझेदारी मोड पर परियोजना का काम करने के लिए सीधे ही एसएआई को जारी किया जाएगा।

vi) खेल अवसंरचना के सृजन हेतु सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारें, स्थानीय नागरिक निकाय, केन्द्रीय/राज्य सरकारों के अधीन स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय तथा खेल नियंत्रण बोर्ड पात्र होंगे।

vii) आवेदकों को प्रचालन एवं अनुरक्षण लागत, मौजूदा साझेदारी ब्यौरा, यदि कोई हो, वांछित भूमि का स्वामित्व, खेल संवर्धन में संगठन के वर्तमान निष्पादन, इसके द्वारा धारित, प्रबंधित और प्रचालित विषयवार अवसंरचना, भागीदारी में विकास के हिसाब से प्रस्तावित खेल अवसंरचना का प्रभाव/लाभ, मौजूदा भागीदारी स्तर का प्रतिधारण, नई प्रतिभा की पहचान एवं विकास, परियोजना की सफलता स्थापित करने के लिए व्यवसाय योजना, खेल विकास तथा मौजूदा एवं प्रस्तावित सुविधाओं के प्रचालन के लिए प्रबंधन अवसंरचना सुपुर्दगी क्षमता, विस्तृत योजना, निष्पादन का अनुमान एवं समय अनुसूची, राज्य सरकार से बजटीय सहायता, यदि कोई हो, अनौपचारिक खेल स्थानों तक लोगों की निःशुल्क पहुंच, अन्य सुविधाओं के लिए वहनीय भुगतान एवं खेल योजना, कोचिंग सुविधाओं की उपलब्धता, पीपीपी के जरिए कोई साझेदारी मॉडल, स्थानीय स्कूलों, खेल क्लबों एवं लीगों, खेल संघों के साथ संपर्क, व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए व्यवसाय साझेदारी आदि के बारे में सूचना देना अपेक्षित होगा।

viii) कोई भी राज्य एक वर्ष में एक से अधिक परियोजना प्राप्त नहीं करेगा। जिन राज्यों ने पहले की खेल अवसंरचना स्कीम के तहत सृजित सुविधाओं का ठीक से उपयोग किया है, उन्हें वरीयता दी जाएगी। खेल अवसंरचना के सृजन के लिए अनुदान एसएआई को जारी किया जाएगा।

ix) राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला में 1 माह के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रतिवर्ष 20/10 कोचों को भेजने हेतु सहायता दी जाएगी। प्रशिक्षण, प्रशिक्षण सामग्री और ठहरने एवं भोजन के लिए अधिकतम अनुमत्य सहायता प्रति कोच 50,000/– रु. होगी। यात्रा व्यय और अन्य भत्तों की जिम्मेवारी राज्य/संघशासित क्षेत्र सरकार की होगी। राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र नामित कोचों से इस आशय का बंध–पत्र प्राप्त करेगी कि वे प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद 2 वर्ष तक सेवा को नहीं छोड़ेंगे।

2010–11 के दौरान विभाग ने 4 परियोजनाओं अर्थात् इंदिरा स्टेडियम, ऊना (हिमाचल प्रदेश) में सिंथेटिक हॉकी मैदान, तरण–तारन (पंजाब) में बहु–उद्देश्यीय इंडोर हाल, आंतरिक खेल परिसर (खुदीराम अनुशीलन), ईडेन गार्डेन्स, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) का और आइजोल (मिजोरम) में हॉकी के लिए एस्ट्रो टर्फ के लिए निधियां जारी कीं।

PDF Compressor Free Version

वर्ष 2011–12 में 31.12.2011 तक विभाग ने 5 परियोजनाओं अर्थात् सिंथेटिक हॉकी सतह, कलिंग स्टेडियम, भुवनेश्वर (उड़ीसा), सिंथेटिक ट्रैक, इंदिरा गांधी स्टेडियम, कोहिमा (नागालैंड), बहुउद्देश्यीय आंतरिक कक्ष, मुआलपुई, आइजोल (मिजोरम), बहुउद्देश्यीय कक्ष, उम्मेद स्टेडियम, जोधपुर (राजस्थान) एवं सिंथेटिक हॉकी फील्ड, रानीताल खेल परिसर, जबलपुर (मध्य प्रदेश) के लिए निधियां जारी की।

*****

PDF Compressor Free Version

अध्याय - 17

खेलों में उत्कृष्टता के संवर्धन से संबंधित स्कीम

1. राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता की स्कीम

इस योजना के तहत, भारत सरकार, राष्ट्रीय खेल संघों को भारत में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप तथा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेने, कोचिंग शिविर आयोजित करने, खेल उपकरण प्राप्त करने, विदेशी कोचों की नियुक्ति तथा राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा लगाए गए भुगतान पाने वाले संयुक्त/सहायक सचिवों के वेतन के भुगतान के लिए सहायता उपलब्ध कराती है।

वर्ष 2011–12, 31.12.2011 तक, सरकार पहले से ही विदेशों में खेल जानकारी प्राप्त करने तथा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों/राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों के आयोजन के लिए राष्ट्रीय खेल संघों से प्राप्त प्रस्तावों पर योजनागत शीर्ष के तहत 85 करोड़ रु. का व्यय कर चुकी है। इस व्यय में कोचिंग के लिए जारी निधियां, उपस्कर उपलब्ध कराना राष्ट्रीय खेल परिसंघ द्वारा लगाये गए विदेशी कोचों तथा संयुक्त सचिवों/सचिवों के वेतन भी शामिल है।

इसके अतिरिक्त विदेशों में खेलों की जानकारी प्राप्त करने और भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट कराने के लिए सरकार को कोई लागत नहीं के आधार पर भी कई प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है।

पिछले 3 वर्षों अर्थात 2008–09, 2009–10 और 2010–2011 के दौरान एनएसएफ को सहायता की स्कीम तथा राष्ट्रमण्डल खेल 2010 हेतु टीमों की तैयारी की स्कीम के लिए विभिन्न मान्यता प्राप्त एनएसएफ को जारी की गई। वित्तीय सहायता के ब्यौरे अनुबंध –IX में दिए गए हैं।

वर्ष 2011–12 के दौरान अनुबंध आधार पर नियोजित किए गए विदेशी प्रशिक्षकों के ब्यौरे अनुबंध –X में दिए गए हैं।

2. प्रतिभा खोज तथा प्रशिक्षण से संबंधित स्कीम

इस स्कीम के अंतर्गत प्रतिभावान खिलाड़ियों को भारत तथा विदेशों में प्रशिक्षण और प्रशिक्षण सह प्रतियोगिताओं हेतु उपस्कर के क्रय, वैज्ञानिक सहायता हेतु सहायता मुहैया कराई जाती है। सहायक कार्मिकों जैसे कि प्रशिक्षक, खेल वैज्ञानिकों, चिकित्सक आदि को विशेषीकृत प्रशिक्षण प्राप्त करने और संगोष्ठियों/सम्मेलनों तथा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने तथा अर्हक परीक्षाएं देने के लिए भी सहायता मुहैया करवाई जाती है। इस स्कीम को भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।

3. राष्ट्रीय खेल विकास निधि

देश में खेल कूद के संवर्धन के लिए निजी/निगमित क्षेत्र तथा अप्रवासी भारतीयों सहित सरकारी तथा गैर–सरकारी स्त्रोतों से संसाधनों को जुटाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने धर्मार्थ अक्षयनिधि अधिनियम,

PDF Compressor Free Version

1890 के तहत 1998 में राष्ट्रीय खेल निधि की स्थापना की थी। निधि के लिए अंशदानों को आकर्षक बनाने के उद्देश्य से सभी अंशदानों को आयकर से शत प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। सर्वप्रथम सरकार ने वर्ष 1998–99 के दौरान निधि 2.00 करोड़ रु. का प्रारंभिक अंशदान किया। इसके बाद, सरकार का अंशदान अन्य स्रोतों से प्राप्त अंशदानों के बराबरी के आधार पर है। इस समय, 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार, कुल 82.21 करोड़ रु. की निधि है।

इस निधि का प्रबंधन केन्द्र सरकार द्वारा गठित एक परिषद द्वारा किया जाता है जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री होते हैं। निधि का दिन–प्रतिदिन का प्रबंधन 10 सदस्यों वाली एक कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है जिसके प्रमुख सचिव, खेल विभाग होते हैं।

एनएसडीएफ की वित्तीय सहायता

एनएसडीएफ ने असाधारण प्रतिभा वाले खिलाड़ियों, खेल संघों तथा अन्य संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। शीर्ष स्तर के खिलाड़ी जिनकी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने की संभावनाएं हैं, उनका चयन एनएसडीएफ से वित्तीय सहायता हेतु किया जाता है। इस सहायता को अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उनके द्वारा पदक जीतने के लिए तैयार करने हेतु भारत तथा विदेश में उनके विशेष प्रशिक्षण हेतु प्रदान किया जाता है। लंदन ओलंपिक 2012 के लिए तैयारी करने वाले श्रेष्ठ खिलाड़ियों को ओपेक्स परियोजना के तहत एनएसडीएफ से वित्तीय सहायता दी जा रही है।

खेल के संवर्धन में कार्यरत प्रतिष्ठित संगठन/संस्थान भी विशिष्ट परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि आधारभूत ढांचे का निर्माण, अद्यतन उन्नत उपकरणों की अधिप्राप्ति आदि, बशर्ते क्षेत्र/भाग की एक बड़ी जनसंख्या ऐसी परियोजनाओं से होने वाले लाभों को प्राप्त कर सके।

अब तक राष्ट्रीय खेल विकास निधि से लाभार्थी सहायता के ब्यौरे अनुबंध–XI में दिए गए हैं।

2011–12 के दौरान, जेपी स्पोर्ट्स इन्टरनेशनल और महाराष्ट्र सरकार ने एनएसडीएफ को क्रमशः 10 करोड़ और 1 करोड़ रु. का अंशदान दिया। इसकी स्थापना के बाद से निधि में अंशदानों, जिसमें भारत सरकार का अंशदान शामिल है, का ब्यौरा अनुबंध–XII में दिया गया है।

*****

PDF Compressor Free Version

खिलाड़ियों को प्रोत्साहन से संबंधित स्कीम

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, खिलाड़ियों को खेलों में आने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करता है।

1 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार

उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए 1991–92 में यह योजना आरंभ की गई। पुरस्कार विजेताओं को एक पदक तथा 7.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। वर्ष 2011 के दौरान, 29 अगस्त, 2011 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्वारा श्री गगन नारंग (निशानेबाजी) को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। शुरू से अब तक इस योजना के अंतर्गत 24 खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जा चुका है।

2. अर्जुन पुरस्कार

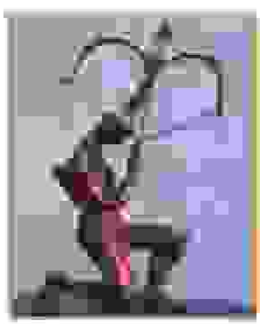

अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई थी। पात्रता के लिए खिलाड़ी ने पिछले 3 वर्षों के दौरान लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल अच्छा प्रदर्शन ही दिखाया हो बल्कि जिस वर्ष के लिए पुरस्कार की सिफारिश की जा रही हो उस वर्ष उत्कृष्ट निष्पादन और नेतृत्व के गुण, खिलाड़ी भावना और अनुशासन का प्रदर्शन भी आवश्यक है। पुरस्कृत खिलाड़ी को प्रतिमा, सम्मान का स्क्रॉल, सेरिमोनियल ड्रेस और 5.00 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है।

स्कीम के प्रावधानों के अनुसार किसी भी कलेण्डर वर्ष में अधिकतम 15 पुरस्कार दिए जाने चाहिए। तथापि, यह बात ध्यान में रखते हुए कि एशियाई खेल और राष्ट्रमण्डल खेल वर्ष 2010 में आयोजित किए गए थे, जिनमें भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन अभूतपूर्व रहा था, वर्ष 2011 के लिए पुरस्कारों की संख्या को बढ़ाकर 19 कर दिया गया।

PDF Compressor Free Version

निम्नलिखित खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल दिवस अर्थात 29 अगस्त, 2011 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2011 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किये गये थे :

Øe la	uke	[ksy
1-	Jh jkgqy cuthZ	rhjankth
2-	lqJh iEik k jkMkqu	,FkysfVDl
3-	Jh fodkl xkSMk	,FkysfVDl
4-	lqJh Tokyk xqÍk	cSMfeaVu
5-	Jh e- lqjat fl g	eqDdsckth
6-	Jh t ghj [kku	fØdsV
7-	Jh lqhy Nsh	QqVckWy
8-	Jh vK kfk dekj	flequkfLVDl
9-	Jh jkt iky fl g	gkWdh ¼iq "k½
10-	Jh jkds'k dekj	dcM~Mh ¼iq "k½
11-	lqJh rst fLouh ckbZoh	dcM~Mh ¼efgyk½
12-	lqJh rst fLouh jkoha z! koa	fu"kkusckth
13-	Jh o/kZey fo|Øe lkoUr	rSjkdh
14-	Jh lkenso fd'kku nsoeZ	Vsful
15-	Jh ls , dekj	okWyhckWy
16-	Jh jkthUnz fl g	dqrh
17-	uk c l wsk dr gq wfodekj	Hkkjksaksyu
18-	lqJh okaf [ks lå kjkuh nsoh	oqkw
19-	Jh iz kkUr ka djekdj	rSjkdh & i Sjk aiDl

विभिन्न खेल शाखाओं से 725 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

PDF Compressor Free Version

3. खेल और क्रीड़ाओं में आजीवन उपलब्धियों के लिए ध्यानचंद पुरस्कार

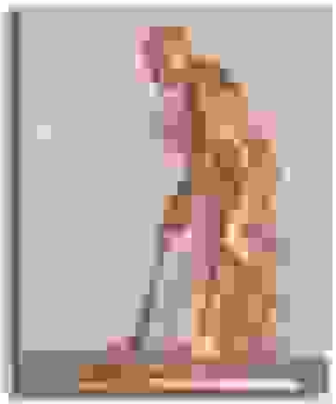

खेल और क्रीड़ाओं में आजीवन उपलब्धियों हेतु ध्यान चंद पुरस्कार वर्ष 2002 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान दिया है और सक्रिय खेल कैरियर से निवृत्त होने के बाद भी खेलों के संवर्धन में योगदान दे रहे हैं। इस पुरस्कार में एक प्रतिमा, स्क्रॉल ऑफ ऑनर, औपचारिक पोशाक व 5 लाख रू. की राशि दी जाती है। वर्ष 2011 के पुरस्कार 29 अगस्त, 2011 को राष्ट्रीय खेल दिवस पर भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित खिलाड़ियों को दिए गए :

क्रम सं.	नाम	खेल
1.	श्री शब्बीर अली	फुटबॉल
2.	श्री सुशील कोहली	तैराकी
3.	श्री राजकुमार	कुश्ती

इस पुरस्कार की शुरूआत से अब तक 31 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया है।

PDF Compressor Free Version

द्रोणाचार्य पुरस्कार

1985 में शुरू किया गया द्रोणाचार्य पुरस्कार उन लब्धप्रतिष्ठित कोचों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है, जिन्होंने खिलाड़ियों या टीमों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने के योग्य बनाया है। इस पुरस्कार में एक प्रतिमा, स्क्रॉल ऑफ आनर, औपचारिक पोशाक व 5.00 लाख रु. दिए जाते हैं।

वर्ष 2011 के पुरस्कार 29 अगस्त, 2011 को राष्ट्रीय खेल दिवस पर भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित पांच कोचों को दिया गया :

Øe la-	uke	[ksy
1-	Jh bud qjZod Vsoj j|kw	eqDdsckth
2-	Jh nsoshzd eky j|kBkS	ftEukfLVDl
3-	Jh jkeQy	dqqLrh
4-	MkWd q|y j|k	,FkysfVDl *
5-	Jh jfr Unzfl g	gkWdh *

*कोचिंग में आजीवन योगदान हेतु

इस पुरस्कार की शुरूआत से अब तक 85 कोचों को यह पुरस्कार दिया गया है।

PDF Compressor Free Version

iv. मौलाना अबुल कलाम आजाद (एमएकेए) ट्रॉफी

मौलाना अबुल कलाम आजाद (एमएकेए) ट्रॉफी की शुरूआत 1956–57 में की गई थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद (एमएकेए) ट्रॉफी अन्तर–विश्वविद्यालय टूर्नामेंटों में सर्वोच्च समग्र प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दी जाती है। यह रोलिंग ट्रॉफी है। विश्वविद्यालय को अपने पास रखने के लिए एमएकेए ट्रॉफी की लघु प्रतिकृति भी दी जाती है। विजेता विश्वविद्यालय को रोलिंग ट्रॉफी तथा 10 लाख रु. की राशि तथा दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय को क्रमश: 5 लाख और 3 लाख रु. की राशि दी जाती है।

वर्ष 2010–11 के लिए पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला को एमएकेए प्रदान करने के लिए विजेता विश्वविद्यालय, गुरू नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को प्रथम रनर–अप विश्वविद्यालय और कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र को द्वितीय रनर–अप विश्वविद्यालय घोषित किया गया है।

v. राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार

खिलाड़ियों तथा प्रशिक्षकों को छोड़कर अन्य निकायों द्वारा खेल के विकास में दिए गए योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 2009 से 'राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार' नामक एक नया पुरस्कार आरम्भ किया है जिसमें 4 श्रेणियां हैं नामत: सामुदायिक खेल विकास, उत्कृष्टता वाली खेल अकादमियों का संवर्धन, विशिष्ट खिलाड़ियों को सहायता तथा खिलाड़ियों को रोजगार।

निम्नलिखित निकायों को वर्ष 2011 हेतु राष्ट्रीय खेल दिवस अर्थात 29 अगस्त, 2011 को भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए गए :

Øe la[;k	J s.kh	jk"Vªh; [ksy iz kf/kdj.k iqjLdkj) 2010 gs rq ekU;rk fudk;
1-	lEeku [ksy %mhkjrh ,oa ,qok iz frHkk dh igpku vkSj lEEkk.k	fdlh us Hkh Dokyh Qkb uglha fd;k
2-	[ksy mRd"Vrk gs rq fofUkh; lgk;rk	jk"Vªh; ,e [ksy laLFkku cks MZ
3-	mRd"Vrk dh [ksy vkdkn fe;ksa dh LFkkiuk vkSj iz/ku	Jh ,u- [kepUnzk] lh-jfo] Ldo Sk vdkneh pSUub Z
4-	f[kykfM+;ksa dk fu;kstu vkSj [ksy dY;k.k mik;	fdlh us Hkh Dokyh Qkb uglha fd;k

7 अन्तर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में विजेता खिलाड़ियों तथा उनके कोचों के लिए विशेष पुरस्कार।

यह स्कीम 1986 में, सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ियों को अधिकतम अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहन व अनुप्रेरित करने व युवा पीढ़ी को खेल को अपनी आजीविका के रूप में अपनाने के लिए शुरू की गई थी। इस स्कीम के तहत, खिलाड़ियों व उनके कोचों को वर्ष में आयोजित मान्यता प्राप्त खेल स्पर्धाओं में, पदक जीतने के लिए निम्नानुसार विशेष पुरस्कार दिए जाते हैं:

[ksy@pSfEi;uf'ki dk uke	jkf'k		
	Lo.kZ ind@iz Fke LFkku	jtr ind@f}rh; LFkku	dkal; ind@r`rh; LFkku
fotsrk;ksa gsrq			
¼d½ vksyfEid [ksy	50 yk[k :-	30 yk[k	20 yk[k :-
¼[k½ ,f'k;kbZ [ksy@jk"Vªeaxy [ksy	20 yk[k :-	10 yk[k :-	6 yk[k :-
¼x½ fo'o pSfEi;uf'ki	10 yk[k :-	5 yk[k :-	3 yk[k :-
¼?k½ ,f'k;kbZ [ksy o jk"Vªeaxy pSfEi;uf'ki	3 yk[k :-	2 yk[k :-	1-5 yk[k :-

ऐसे कोचों को नकद पुरस्कार भी दिए जाते हैं जिन्होंने खेल से पहले कम से कम 240 दिन तक पदक विजेताओं को प्रशिक्षण दिया है, कोच को दी जाने वाली पुरस्कार की राशि की मात्रा, उस खिलाड़ी की पुरस्कार राशि का 50 प्रतिशत होती है जिसे कोचिंग दी गई है। एक कोच के साथ एक से अधिक कोच होने की स्थिति में पुरस्कार राशि उनमें बराबर–बराबर बांट दी जाती है।

वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान जनवरी, 2011 तक विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने के लिए खिलाड़ियों और कोचों को विशेष नकद पुरस्कार देने के लिए 8 करोड़ रू. की राशि जारी की गई।

PDF Compressor Free Version

ग. मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन के लिए निधि स्कीम

यह स्कीम वर्ष 1994 में प्रारंभ की गई थी। इस स्कीम के तहत, वे खिलाड़ी जो भारतीय नागरिक हैं तथा जिन्होंने ओलंपिक खेलों, विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों तथा पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत तथा कांस्य पदक जीते हों तथा जिनकी आयु 30 वर्ष हो तथा सक्रिय खेल जीवन से संन्यास ले चुके हों, जीवनपर्यंत पेंशन पाने के लिए पात्र हैं।

पात्र खिलाड़ियों को पेंशन की दरें इस प्रकार हैं :

क्रम संख्या	मेधावी खिलाड़ियों की श्रेणी	पेंशन दर (रु. प्रति माह)
1.	ओलंपिक खेलों में पदक विजेता	10000
2.	ओलंपिक तथा एशियाई खेल शाखाओं में विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता	8000
3.	ओलंपिक तथा एशियाई खेल शाखाओं में विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिप में रजत एवं कांस्य पदक विजेता	7000
4.	एशियाई/राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता	7000
5.	एशियाई/राष्ट्रमंडल खेलों में रजत एवं कांस्य पदक विजेता	6000
6.	पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता	5000
7.	पैरालंपिक खेलों में रजत पदक विजेता	4000
8.	पैरालंपिक खेलों में कांस्य पदक विजेता	3000

वर्तमान में, इस स्कीम के तहत 600 खिलाड़ी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

9. खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय खिलाड़ी कल्याण निधि

राष्ट्रीय खिलाड़ी कल्याण निधि, दीनहीन परिस्थितियों में जीवनयापन कर रहे अतीत के उत्कृष्ट खिलाड़ियों, जिन्होंने खेलों में देश का गौरव बढ़ाया है, को सहायता देने के उद्देश्य से मार्च, 1982 में गठित की गई थी। पूर्व के असाधारण खिलाड़ियों को एकमुश्त अनुग्रह सहायता प्रदान करने के लिए जुलाई, 2009 में स्कीम की समीक्षा की गई थी। पेंशन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है क्योंकि पहले से ही प्रतिभावान खिलाड़ियों हेतु एक पेंशन योजना मौजूद है। अब एकमुश्त अनुग्रह सहायता खिलाड़ियों अथवा उनके परिवार को चिकित्सा उपचार आदि के लिए दी जाएगी।

वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान विद्यमान 24 लाभग्राहियों को पेंशन के संवितरण के अतिरिक्त, निधि से एकमुश्त सहायता निम्नलिखित को मुहैया करवाई गई है –

(i) राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी सुश्री अरुणिमा को 2.09 लाख रु. जिसका 13 अप्रैल, 2011 को एक दुर्घटना में बायां पैर कट गया था।

(ii) युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा श्री पी.के. बनर्जी, श्री तुलसीदास बलराम, श्री एस नारायणन, श्री टी चन्द्रशेखर, श्री फोर्टनाटा ए फ्रैंको, श्री चुन्नी गोस्वामी, श्री एस.एस. हकीम, श्री एस.एस.एम. हमिद, श्री अरुण लाल घोष, श्री साइमन सुन्दर राज, श्री पी.थंगाराज की विधवा श्रीमती एल्फोनसिया राज, स्वर्गीय श्री के कन्नन की विधवा श्रीमती कन्नन कमलाबाई, 1960 रोम ओलम्पिक में भाग लेने वाले भारतीय फुटबॉल दल के सदस्यों का सम्मान किया गया और राष्ट्रीय खिलाड़ी निधि से उक्त प्रत्येक व्यक्ति को 1.5 लाख रु. दिए गए।

(iii) दिल की रोगी भूतपूर्व हॉकी खिलाड़ी श्रीमती बार्बरा जे प्रेंटिस (72 वर्षीय) को उनके चिकित्सा उपचार के लिए 2.00 लाख रु.।

(iv) इस समय दीनहीन हालत में रह रहे शारीरिक रूप से विकलांग खिलाड़ी, श्री कौशलेन्द्र सिंह को 2. 00 लाख रु.।

(v) शारीरिक रूप से विकलांग खिलाड़ी और अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता, श्री जोगेन्द्र सिंह बेदी को उनके चिकित्सा उपचार के लिए 2.00 लाख रु.।

(vi) इस समय दीनहीन हालत में रह रही भूतपूर्व फुटबॉल खिलाड़ी (महिला टीम) श्रीमती फर्ज़ाना खान को 5.00 लाख रु.।

(vii) भारत के भूतपूर्व कप्तान श्री कपिल देव के क्रिकेट कोच, श्री देश प्रेम आज़ाद को उनके चिकित्सा उपचार के लिए 3.45 लाख रु.।

(viii) श्री मैथ्यू, अस्थि विकलांग आर्म कुश्ती खिलाड़ी।

*****

PDF Compressor Free Version

प्रतियोगी खेलों से संबंधित स्कीम

(i) पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के तहत खेल प्रतियोगिताएं

पीवाईकेकेए स्कीम के तहत प्रत्येक वर्ष अनेक खेल प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाती हैं। पीवाईकेकेए स्कीम के तहत निम्नलिखित किस्म की खेल प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाती हैं:

(i) ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण खेल प्रतिस्पर्धाएं
(ii) जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पूर्वोत्तर खेल
(iii) जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर महिला चैम्पियनशिप

इन खेल प्रतिस्पर्धाओं के ब्यौरे पीवाईकेकेए से संबंधित अध्याय में दिए गए हैं:

(ii) विकलांग व्यक्तियों में खेलकूद को बढ़ावा

मंत्रालय ने विकलांग व्यक्तियों के मध्य खेलों के संवर्धन हेतु वर्ष 2009 में एक स्कीम तैयार की थी। उक्त योजना का उद्देश्य विकलांगों के मध्य भागीदारी खेलों का व्यापक आधार तैयार करना है। विकलांगों हेतु खेलकूद की योजना में निम्नलिखित घटक हैं –

(क) खेलों की कोचिंग और स्कूलों हेतु उपभोज्य तथा गैर–उपभोज्य खेल उपकरणों के क्रय हेतु अनुदान।

(ख) प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु अनुदान।

(ग) विकलांगों के लिए जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु अनुदान।

वर्ष 2011–12 के दौरान 31.12.2011 तक स्कीम के तहत 78 स्कूलों को अनुदान दिए गए। इसके अलावा जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समुदाय कोचों के प्रशिक्षण और खेल प्रतियोगिताओं के संचालन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित स्पेशल ओलम्पिक्स भारत को 3 करोड़ रु. की निधियां प्रदान की गईं। स्कीम के तहत 31.12.2012 तक जिला और राज्य स्तरों पर आयोजित प्रतियोगिताओं में 22500 विकलांग व्यक्तियों ने भाग लिया। 31.12.2011 तक 4500 समुदाय कोचों को प्रशिक्षण दिया गया।

*****

PDF Compressor Free Version

डोप–रोधी उपाय

भूमिका

डोप–रोधी कार्यक्रम, खेल के संबंध में 'निहित मूल्य' के परिरक्षण का उपाय है, जिसे अक्सर "खेलों की भावना" कहा जाता है। डोपिंग मूलतः खेलों की भावना के विपरीत है। भारत सरकार देश में डोपिंग मुक्त खेल परिवेश के उद्देश्य के प्रति पूर्णतः कटिबद्ध है।

डोप रोधी कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी (नाडा) और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) को अपनी अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

राष्ट्रीय डोप–रोधी एजेंसी (नाडा)

नाडा देश में खेलों के सभी रूपों में इनके संवर्धन, समन्वय तथा डोप नियंत्रण कार्यक्रम की निगरानी के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय संगठन है। नाडा के डोप रोधी नियमों, जो विश्व डोप रोधी एजेंसी (वाडा) के डोप रोधी संहिता के अनुपालक हैं, और जो 1 जनवरी, 2009 से लागू हुए, को 2009 की संशोधित वाडा संहिता तथा डोपी रोधी नियम 2010 नामक संशोधित नियमों के आलोक में संशोधित किया गया है। इन नियमों के तहत निम्नलिखित तीन पैनल गठित किए गए हैं:

(i) डोप रोधी अनुशासन पैनल
(ii) डोप रोधी अपील पैनल और
(iii) चिकित्सा उपचार उपयोग छूट समिति

डोप रोधी अनुशासन पैनल के अध्यक्ष सेवानिवृत्त जिला एवं सेशन जज होते हैं और इसके सदस्य कानून, चिकित्सा और खेल क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। वर्ष 2010–11 के दौरान 31.12.2011 तक पैनल ने 80 बैठकें की और उन्हें भेजे गए 89 मामलों की सुनवाई की। सुनवाई किए गए इन मामलों में से 78 मामलों में निर्णय दिया गया और एथलीटों पर रोक लगाई गई। अन्य मामले सुनवाई के विभिन्न चरणों में हैं।

डोप रोधी अपील पैनल के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं और इसके सदस्य कानूनी, चिकित्सा और खेल के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। वर्ष 2011–12 के दौरान 31.12.2011 तक 3 मीटिंगों में अपील पैनल ने 7 मामलों की सुनवाई की और 3 मामलों में निर्णय दिया।

चिकित्सा उपचार उपयोग छूट समिति में ऐसे उच्च योग्यता प्राप्त चिकित्सक होते हैं जिन्हें सामान्य चिकित्सा, भेषज विज्ञान और छाती के रोगों के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त होती है। समिति का मुख्य कार्य ऐसे खिलाड़ियों के आवेदनों पर विचार करना है जो निषिद्ध तरीके से इस्तेमाल की जरूरत वाली चिकित्सा रोग

दवा के आधार पर चिकित्सा उपचार उपयोग छूट का आवेदन करते हैं। वर्ष 2011–2012 के दौरान 31.12.2011 तक समिति ने छूट के 16 मामलों की जांच की है और 12 मामलों में छूट की सिफारिश की है।

नाडा का मुख्य कार्य एथलीटों के मूत्र/खून नमूनों को लेना और उनका परिणामी प्रबंधन करना है। वर्ष 2010–11 के दौरान मूत्र /खून के 3500 नमूनें प्राप्त करने का लक्ष्य है और इसने दिसम्बर, 2011 तक 2608 नमूनें (2549 मूत्र/59 खून) प्राप्त किए हैं।

शिक्षा कार्यक्रम की दिशा में नाडा ने डोप के बारे में अवगत कराने और उन्हें डोप के संबंध में मूल ज्ञान देने और इससे सावधान रहने के लिए डोपिंग पर सामग्री मुद्रित की है जैसे डोपिंग नियन्त्रण पुस्तिका और इश्तहार। नाडा द्वारा प्रत्येक वर्ष पदार्थों की निषिद्ध सूची मुद्रित और परिचालित की जाती है। नाडा अधिकारी अन्य निकायों द्वारा आयोजित विभिन्न शिविरों/टूर्नामेंटों तथा कार्यशालाओं/सेमिनारों में डोपिंग के संबंध में व्याख्यान देते हैं। शिविरों में डोपिंग के बुरे प्रभावों और प्रतिबंधित पदार्थों की प्रकृति तथा नाडा डोप रोधी नियमों के आलोक में एंटी डोपिंग के उल्लंघनों के अप्रत्यक्ष प्रभावों के बारे में एथलिटों और कोचों के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

महानिदेशक नाडा ने 21 से 22 मई, 2011 के दौरान रियाद, सऊदी अरब में आयोजित खेलों में डोप रोधी संबंधी छठीं एशिया/ओसिनिया क्षेत्रीय अंतरसरकारी अनुसचिवीय बैठक में मई, 2011 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अक्तूबर, 2009 में यूनेस्को मुख्यालय में खेलों में डोपिंग के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के पक्षकारों पर सम्मेलन के दौरान भारत को खेलों में डोपिंग को समाप्त करने संबंधी नीति के तहत अनुमोदित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र से अनुमोदित समिति का सदस्य चुना गया। इस संबंध में महानिदेशक नाडा ने 20 से 21 नवम्बर, 2011 तक मान्ट्रियाल, कनाडा में 2011 और उसके बाद के संबंध में वाडा फाउण्डेशन बोर्ड और वाडा में योगदान संबंधी तदर्थ समिति की बैठकों में देश का प्रतिनिधित्व किया।

राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) :

राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय है। यह प्रयोगशाला आईएसओ/आईईसी 17025 (2003) के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला

PDF Compressor Free Version

प्रत्ययन बोर्ड द्वारा और मानव खेलों से मूत्र और खून नमूनों की जांच के लिए विश्व डोप रोधी एजेंसी (सितम्बर, 2008) द्वारा प्रत्यायित है एनडीटीएल विश्व में 33 वाडा प्रत्यायित प्रयोगशाला में से एक और एशिया में छठी प्रयोगशाला है। एनडीटीएल में अनुसंधान के लिए अति आधुनिक सुविधाएं हैं और यह विभिन्न परियोजनाओं पर अनुसंधान संचालित करने में लगी है। एनडीटीएल डोप विश्लेषण के क्षेत्र में नमूनों के विश्लेषणात्मक परीक्षण और अनुसंधान के लिए जिम्मेदार है और इसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 2008 में पंजीकृत किया गया। इसके दायरे में परीक्षण के नए तरीकों को शामिल किए जाने से एनडीटीएल ने पहली बार वाडा प्रतियोगी प्रयोगशालाओं का दर्जा प्राप्त कर लिया है जो वाडा द्वारा वांछित सम्पूर्ण परीक्षण प्रोटोकॉल कर रही है।

एनडीटीएल के उद्देश्य

एनडीटीएल के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :–

क) भारत में वाडा प्रत्यायित डोप नियन्त्रण प्रयोगशाला स्थापित करना और उसका रख–रखाव करना।

ख) संबद्ध राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना।

ग) राष्ट्रीय डोप रोधी संगठनों के बीच पारस्परिक परीक्षण प्रोत्साहित करना।

घ) वाडा अनुमोदित अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार नमूनों का विश्लेषणात्मक परीक्षण करवाना और देश में डोप रोधी अनुसंधान प्रोत्साहित करना।

ङ) आईएसओ / आईईसी 17025 : 2005 के नवीनतम वर्जन और अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला मानक वर्जन 7.0 के अनुसार गुणवत्ता नियन्त्रण प्रणाली का रख–रखाव करना।

च) अनुसंधान, परीक्षण और ज्ञान के आदान–प्रदान के सदर्भ में अन्य डोप रोधी प्रयोगशाला संगठनों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग करना।

छ) एन्टी डोपिंग के क्षेत्र में नवीनतम घटनाक्रम की जानकारी प्राप्त करने के लिए अन्य वाडा प्रत्यायित प्रयोगशालाओं के साथ सहयोग करना।

ज) वे सभी कार्य करना जो उद्देश्यों या उनमें से ऐसे किसी भी उद्देश्य की संबद्धता से उत्पन्न हों या उनमें सहायक हों जिन्हें उद्देश्यों के साथ या उनके गौण रूप में सुविधापूर्वक किया जा सके।

झ) वाडा मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार नियम बनाना और प्रक्रियाएं विकसित करना।

आम सभा की बैठक (13 अप्रैल, 2011) में माननीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और सचिव (युवा कार्यक्रम और खेल एवं सीईओ, एनडीटीएल)

नमूना परीक्षण

अप्रैल से दिसम्बर, 2011 के दौरान परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या 3785 है। कुल नमूनों में से दिसम्बर, 2011 तक 2282 राष्ट्रीय व 1503 अन्तर्राष्ट्रीय नमूनों का परीक्षण किया गया है।

प्रमुख राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं जिनके लिए परीक्षण किए गए हैं, इस प्रकार हैं :

- द्वितीय विश्व कप कबड्डी नवम्बर 1–20, 2011 (220 मूत्र नमूने)
- अन्य देशों (मलेशिया, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, लाओस, थाईटीबीएल, स्वीडन, सिंगापुर, कुवैत, ओमान, साउदी अरब) से अप्रैल–दिसम्बर,2011 तक लगभग 1283 नमूनों का परीक्षण किया गया है।

प्रवीणता परीक्षण : नेमी नमूना परीक्षण के अलावा, एनडीटीएल ने विभिन्न प्रवीणता परीक्षण दौर में भाग लिया जिससे डोप नमूनों के परीक्षण में इसकी विश्वसनीयता और अधिक सुनिश्चित होती है।

एनडीटीएल निम्नलिखित द्वारा बाह्य गुणवत्ता मूल्यांकन स्कीम में भाग लेता है:

मूत्र नमूनों के लिए (तिमाही)

- विश्व डोप रोधी एजेंसी (वाडा)
- विश्व डोप रोधी वैज्ञानिक संघ (डब्ल्यूएडीएस)
- अमरीकी रोग विज्ञानियों का कॉलेज (सीएपी)

रक्त नमूनों के लिए (वार्षिक)

- स्विस गुणवत्ता नियन्त्रण केन्द्र (सीएससीक्यू)

एनडीटीएल ने अप्रैल – दिसम्बर, 2011 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय परीक्षण से लगभग 82.8 लाख रू. का राजस्व अर्जित किया है। जनवरी से मार्च 2012 तक प्रत्याशित राजस्व लगभग 75.00 लाख रू. है।

2012 के लिए वाडा प्रत्यायन प्रदान करना : 2011 के लिए प्रवीणता परीक्षण दौर में अपने निष्पादन के आधार पर एनडीटीएल के लिए वाडा प्रत्यायन को 31 दिसम्बर, 2012 तक बढ़ाया गया है।

सिंगापुर [illegible] नमूना विश्लेषण सेवाओं के लिए अनुबंध देना

एनडीटीएल ने एक वर्ष की अवधि (अप्रैल, 2011 से मार्च, 2012) के लिए सिंगापुर से नमूनों के परीक्षण हेतु निविदा दस्तावेज भरा है जिसमें आगे दो माह की अवधि बढ़ाए जाने का विकल्प है और जिसे विधिवत रूप से प्रदान कर दिया गया।

क्षेत्रीय डोप रोधी संगठनों (आरएडीओ) के नमूना परीक्षण के लिए वाडा के साथ अनुबंध

एनडीटीएल ने इन क्षेत्रों के भीतर परीक्षण कार्यक्रमों के विकास को सुगम बनाने और उसके संवर्धन के लिए वाडा के कार्यक्रम विकास कार्यकलापों के भाग के रूप में क्षेत्रीय डोप रोधी संगठनों (आरएडीओ) से नमूनों के परीक्षण के लिए वाडा के साथ अनुबंध किया है।

गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली

राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला ने विनियामक अपेक्षाओं व अपने ग्राहकों की आशाओं को पूरा करते हुए नमूना परीक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रबंधन प्रणाली विकसित की है और उसे कार्यान्वित किया है। गुणवत्ता मैनुअल को ISO/IEC17025:2005 मानक व अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला मानक (वर्जन 6.0) जनवरी, 2009 के अनुसार तैयार किया गया है। नमूना परीक्षण कार्यविधि, वाडा मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार अपनाई गई है और परीक्षण तरीकों का आवश्यकता अनुसार सत्यापन किया गया है।

बाह्य व आन्तरिक लेखा परीक्षाएं, ISO/IEC17025:2005 को जारी रखने के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) की अपेक्षाओं के अनुसार नियमित आधार पर की जाती हैं।

आईएसओ निगरानी लेखा परीक्षा (बाह्य लेखा परीक्षा)

जीव विज्ञानीय कार्यकलापों की आईएसओ निगरानी लेखा परीक्षा व रासायनिक कार्यकलापों की डेस्कटॉप लेखा परीक्षा 21 – 22 सितम्बर, 2011 को आयोजित की गई है। दो सदस्यीय लेखा परीक्षा दल ने प्रत्यायन को जारी रखने की सिफारिश की जिसे बाद में एनएबीएल प्रत्यायन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।

आंतरिक लेखा परीक्षा

एनडीटीएल की कार्यात्मक स्थिति व गुणवत्ता प्रणाली की समीक्षा करने के उद्देश्य से अनुमोदित वार्षिक अनुसूची के अनुसार कुशल आन्तरिक मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा आन्तरिक लेखा परीक्षाएं की गईं।

वाडा–इण्डियन फार्मासिट्यूटिकल कम्पनी सहयोग

वाडा–इण्डियन फार्मासिट्यूटिकल कम्पनी सहयोग सूचना के आदान–प्रदान के लिए स्वैच्छिक आधार पर वाडा व भारतीय फार्मासिट्यूटिकल कम्पनियों के बीच सहयोग की संभावना का पता लगाने के लिए किया गया, जो भारत की, डोपिंग से लड़ने के इसके मिशन में सबसे आगे रहने की वचनबद्धता प्रदर्शित करेगा। इस संबंध में डॉ. ओलिवीयर रेबिन, वाडा निदेशक, विज्ञान ने भारत में फार्मासिट्यूटिकल कम्पनियों (रैनबेक्सी फार्मासिट्यूटिकल्स, सिपला, डॉ. रेड्डी लैब), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के प्रसिद्ध भेषज विज्ञानियों, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, भारतीय भेषज संहिता आयोग और नाडा के अधिकारियों के साथ मुलाकात करने के लिए 31 अक्तूबर से 1 नवम्बर, 2011 तक एनडीटीएल का दौरा किया।

द्विपक्षीय करार

क अन्तर्राष्ट्रीय

एनडीटीएल ने ड्रग कन्ट्रोल सेन्टर, किंग्स कॉलेज, लंदन और एंटी डोपिंग लैब, रोम, ईटली नामक विश्व की दो सर्वोच्च प्रयोगशालाओं के साथ द्विपक्षीय सहयोग किया है।

इसके अलावा, दक्षिण अफ्रिका में अन्य वाडा प्रत्यायित डोप रोधी प्रयोगशाला के साथ सहयोग की संभावना का पता लगाया जा रहा है। सहयोग के क्षेत्रों में परीक्षण प्रोटोकॉल में सुधार हेतु ज्ञान का आदान–प्रदान, संस्थानों के बीच स्टाफ का आदान–प्रदान और अनुसंधान परियोजनाओं पर काम करना शामिल है।

PDF Compressor Free Version

ख. राष्ट्रीय

एनडीटीएल ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली, जिवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय (जीएनडीयू), अमृतसर, दिल्ली विश्वविद्यालय, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज (सीएमसी), वेल्लोर जैसे विभिन्न प्रसिद्ध राष्ट्रीय संस्थानों के साथ द्विपक्षीय सहयोग किया है।

सहयोग के क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजनाओं पर कार्य करना, रेफरेंस रेन्जों को निर्धारित करने हेतु खून नमूने भेजना शामिल होगा।

विदेशी विशेषज्ञों का दौरा

डॉ. ओलिवियर रेबिन, विज्ञान निदेशक वाडा का एनडीटीएल का दौरा (31.10.2011)

- डॉ. ओलिवियर रेबिन, विज्ञान निदेशक वाडा ने भारत में फार्मास्युटिकल कम्पनियों के साथ मुलाकात करने के लिए एनडीटीएल का दौरा किया।
- प्रोफेसर एम.टी. कंजवेडो, सेन्ट. एंटी डोपिंग लेबोरेटरी, बेल्जियम ने डोप टेस्ट अनुसंधान में अपना अनुभव बांटने के लिए 8 जून, 2011 को एनडीटीएल का दौरा किया।
- डॉ. एम. थेवीस, वैज्ञानिक निदेशक, कोलोन लैब ने कोलोन लेबोरेटरी और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर के साथ सहयोग में चल रही प्रस्तावित संयुक्त परियोजना के संबंध में एनडीटीएल का दौरा किया।

PDF Compressor Free Version

अनुसंधान कार्यकलाप

क   [illegible]

वर्ष 2011 के दौरान इस प्रयोगशाला ने विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं के संबंध में अपने कार्य का और आगे विस्तार किया है। इस समय एनडीटीएल में पांच अनुसंधानकर्ता अपनी पीएचडी कर रहे हैं। इनके अलावा, सात अतिरिक्त अनुसंधान अध्येताओं ने विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से अपनी पीएचडी के लिए पंजीकृत करवाया है।

ख   अनुसंधान परियोजनाएं

विदेशी एजेंसियों को वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित दो अनुसंधान परियोजनाओं का आवेदन किया गया :

- "भारतीय जड़ी–बूटीय औषधों में सिन्थेटिक ग्लूकोकोर्टीकोइडों का अभिज्ञान" : पीसीसी को प्रस्तुत
- "रक्ताधान परीक्षण में सुधार करना : विश्व भर में लोगों में मानव रक्त समूहों की फिनोटाइपिक अभिव्यक्ति पर बहु केन्द्र अध्ययन" : वाडा को प्रस्तुत

दोनों परियोजनाएं संशोधन के लिए गई हैं और वित्त पोषण के संबंध में निर्णय आगामी 6 माह में लिया जाएगा।

*****

PDF Compressor Free Version

अध्याय–21

खेल और शारीरिक शिक्षा टीमों/विशेषज्ञों का अंतर्राष्ट्रीय आदान–प्रदान

विदेशों में खेल की जानकारी और विदेशों में कोचिंग/प्रशिक्षण और विदेशी कोचों/विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए भारतीय टीमों/विशेषज्ञों को अत्यन्त आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए खेल और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को महत्व दिया गया है।

वर्ष के दौरान श्री अजय माकन युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आधिकारिक शिष्टमण्डल ने भारत और इन्डोनेशिया के बीच खेलों में पारस्परिक सहयोग और आदान–प्रदान तथा युवा आदान–प्रदान कार्यक्रमों के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए 3 से 8 मई, 2011 तक इन्डोनेशिया का दौरा किया। श्री अजय माकन युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय आधिकारिक शिष्टमण्डल ने भारत और क्यूबा के बीच खेलों में पारस्परिक सहयोग और आदान–प्रदान का पता लगाने और खेलों के क्षेत्र में सहयोग पर करार करने के लिए 13 से 14 फरवरी, 2012 तक क्यूबा का दौरा किया।

मारिशस के प्रधान मंत्री श्री नवीनचन्द्र रामगुलाम के 6 से 11 फरवरी, 2012 तक भारत के राजकीय दौरे के दौरान 7 फरवरी, 2012 को भारत और मारिशस के बीच खेलों और युवा कार्यक्रमों के क्षेत्र में सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

*****

PDF Compressor Free Version

अध्याय–23

भारतीय राष्ट्रीय खेल–मैदान एसोसिएशन

भारतीय राष्ट्रीय खेल–मैदान एसोसिएशन की स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत सोसायटी के रूप में फरवरी, 2009 में की गई थी। देश में खुले स्थानों तथा खेल के मैदानों की कमी तथा मौजूदा कुछ मैदानों को अन्य कार्यकलापों में इस्तेमाल करने से चिन्तित होकर, संस्थागत व्यवस्था विकसित करना आवश्यक समझा गया है। तदनुसार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने एनपीएफएआई स्थापित करने की पहल की।

केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री एनपीएफएआई के अध्यक्ष होते हैं जिसमें युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति जैसे एफ. एस. नारीमन, श्री बिशन सिंह बेदी, श्रीमती पी.टी. उषा, श्रीमती इंदु पुरी और कमांडर नंदीसिंह तथा अन्य व्यक्ति सोसायटी के प्रवर्तक सदस्य हैं। एनपीएफएआई को औपचारिक रूप से 28.02.2009 को शुरू किया गया।

एनपीएफएआई के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- खेलों और क्रीड़ाओं के लिए खेल के मैदानों तथा खुले स्थलों और अन्य सुविधाओं का संरक्षण, परिरक्षण, संवर्धन, विकास तथा उन्नयन करना।

- खेल के मैदानों, प्लेग्राउंडों, खेल पीठों, पार्कों तथा खुले स्थलों के संबंध राष्ट्रीय नीति तैयार करना।

एनपीएफएआई का मुख्य फोकस, मौजूदा खेल के मैदानों की सुरक्षा और संरक्षण करना तथा खेल के मैदान और खुले स्थानों को उपलब्ध कराने के लिए मानदण्ड और मानक प्रक्रिया विकसित करने के अलावा नए मैदानों का सर्वर्धन करने पर है।

एनपीएफएआई को राष्ट्रीय खेल विकास निधि से जुलाई 2009 में प्रारंभिक धन राशि के रूप में 50 लाख रू. प्राप्त हुए।

जबकि एनपीएफएआई सर्वोच्च निकाय होगा सभी राज्य सरकारों को राज्य स्तर पर इसी प्रकार की सोसायटियां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो राष्ट्रीय सोसायटी से संबद्ध होंगी। इस पहल से जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक समावेशन के संदर्भ में खेल के मैदानों, प्लेग्राउन्डों और खुले हरित स्थलों से मिलने वाले सामाजिक लाभों की राष्ट्रीय जागरूकता पैदा होने की आशा है। सभी राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों से प्राथमिकता आधार पर राज्य स्तरीय खेल मैदान एसोसिएशन स्थापित करने की अपेक्षा थी। एनपीएफएआई की अवधारणा और इसके उद्देश्यों पर 2009 और 2010 में खेल मंत्रियों के सम्मेलनों में विस्तार से विचार–विमर्श किया गया जिनमें सभी राज्यों के खेल मंत्रियों ने यह आश्वासन दिया

PDF Compressor Free Version

कि प्राथमिकता आधार पर राज्य स्तरीय खेल मैदान एसोसिएशनों का गठन किया जाएगा। अभी 10 राज्यों ने राज्य स्तरीय एसोसिएशन गठित की हैं। ये राज्य हैं:

(i) हिमाचल प्रदेश, (ii) ओडिशा, (iii) हरियाणा, (iv) आन्ध्र प्रदेश, (v) मिजोरम, (vi) पश्चिम बंगाल, (vii) मणिपुर, (viii) राजस्थान, (ix) मध्य प्रदेश, और (x) कर्नाटक।

10 राज्य एसोसिएशनों में से पांच एसोसिएशनों (क्रम संख्या (i) से (v)) को एनपीएफएआई से संबद्ध किया गया है। एनपीएफएआई से संबद्ध पांच राज्य एसोसिएशनों को शहरी खेल बुनियादी ढांचा स्कीम में से प्रत्येक को 50 लाख रु. की राशि मंजूर की गई है और चार एसोसिएशनों को पहले ही अनुदान वितरित किया जा चुका है तथा मिजोरम को शीघ्र ही अनुदान जारी किया जाएगा। यह अनुदान खेल मैदानों, प्लेग्राउण्डों आदि के संरक्षण, संवर्धन, परिरक्षण, विकास तथा सुधार के समग्र उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए निधि का सृजन करने के प्रयोजन से है।

केरल ने एसोसिएशन गठित करने का अनुमोदन कर दिया है परन्तु इसे अभी पंजीकृत किया जाना है।

नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) ने भी प्लेफील्ड एसोसिएशन गठित की है।

एनपीएफएआई ने 15 अगस्त, 2009 को यू.के. की नेशनल प्लेइंग फील्ड एसोसिएशन (इसका प्रचालनशील नाम 'फील्ड्स इन ट्रस्ट' है) के साथ एक समझौता ज्ञापन सम्पन्न किया था। एमओयू का उद्देश्य नीतिगत भागीदारी स्थापित करना है जिसमें सहयोगपूर्ण प्रबंध और पक्षों के बीच सहयोग शामिल है।

एमओयू सम्पन्न होने के पश्चात् फील्ड्स इन ट्रस्ट (एफ.आई.टी.) के प्रमुख कार्यपालक की अगुवाई में दो सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल ने सितम्बर, 2009 को दिल्ली का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य, सम्पूर्ण दिल्ली में विभिन्न खेल मैदानों का स्थल दौरा करना था ताकि स्थल मूल्यांकन किया जा सके और मॉडल खेल के मैदान के रूप में विकसित करने के लिए 2–3 स्थलों की पहचान की जा सके। टीम ने डीडीए, एमसीडी, एनडीएमसी, सिविल सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड और केन्द्रीय विद्यालय जैसी विभिन्न एजेन्सियों द्वारा अनुरक्षित शहर के कुछ खेल के मैदानों तथा परिसरों का दौरा किया। संबंधित क्षेत्र, स्थान की आवश्यकता/मैदान की सुलभता, स्थल आकृति, धारणीयता आदि जैसे कारकों के आधार पर प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में कुछ स्थलों की लघु सूची तैयार की।

इसके बाद स्थानीय प्राधिकारियों के परामर्श से एनपीएफएआई प्रायोगिक परियोजना के रूप में कुछेक मैदानों को मॉडल खेल के मैदानों में विकसित करने के लिए चिन्हित किया। इन मैदानों में से एनडीएमसी ने पहले ही 4 स्थलों को मॉडल खेल मैदान के रूप में विकसित किया है।

इसके अलावा, एनपीएफएआई ने स्थगत सुविधाएं प्रदान करते विभिन्न आकार के कुछ खेल मैदान मॉडल विकसित किए हैं जिनमें समतल मैदान, झूलों/स्लाइडों आदि के साथ बाल खेल क्षेत्र, एक या दो खेल शाखाओं के लिए खेलकूद सुविधा, शौचालय सुविधा आदि शामिल हैं। खेल के मैदान विकसित करने संबंधी सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांतों को अंतिम रूप दिया जा रहा है जिन्हें राज्य सरकारों तथा अन्य स्टेक होल्डरों को परिचालित किया जाएगा। राज्यों से स्थानीय अपेक्षाओं के अनुसार उपयुक्त आशोधनों सहित एनपीएफएआई मार्गदर्शी सिद्धांत अपनाए जाने की आशा है।

खेल के मैदानों / सुविधाओं को केंद्र सरकार की सहायता से राष्ट्र मंडल विरासत योजना के तहत दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों, 13 कॉलेजों तथा 5 स्कूलों के लिए 2 कल्याण संगठनों में विकसित किया गया है। सृजित सुविधाओं में बॉस्केट बॉल, टेबल टेनिस, शूटिंग रेंज के लिए कृत्रिम कोर्टों, व्यायाम केंद्र आदि का निर्माण शामिल है।

एनपीएफएआई ने एनडीएमसी क्षेत्र में 78 खेल मैदानों के विकास हेतु एनडीएमसी को 192.00 लाख रु. मंजूर किए हैं। इस परियोजना को 31.03.2012 तक पूरा किए जाने की आशा है।

एनपीएफएआई ने (http://www.playfields.nic.in) वेबसाइट विकसित की है।

*****

हाल ही में की गई पहलों पर एक नजर

राष्ट्रीय खेल विधान : खेल निकायों के बीच अच्छे अभिशासन सहित राष्ट्रीय खेल विकास के लिए उपयुक्त ढाँचा तैयार करने के उद्देश्य से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल विधेयक लागू करना चाहता है। सभी संबंधित पणधारियों से गहन विचार–विमर्श के बाद राष्ट्रीय खेल (विकास) विधेयक, 2011 का मसौदा तैयार किया गया है।

प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल (विकास) विधेयक, 2011 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैः–

(i) केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय टीमों की तैयारी, खिलाड़ी कल्याण उपायों और डोपिंग प्रचलन के उन्मूलन सहित खेल में नैतिक पद्धतियों के संवर्धन, आयु में धोखाधड़ी एवं खेलों में यौगिक उत्पीड़न, भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल संघ का अधिकार और दायित्व (अच्छे अभिशासन के मूलभूत सार्वभौमिक सिद्धांत और खेलों के व्यावसायिक प्रबंधन को अपनाने सहित) के लिए वित्तीय और अन्य सहायता सहित खेलों के विकास एवं प्रवर्धन के लिए सहायता देगी।

(ii) खिलाड़ी सलाहकार परिषद के जरिए संबंधित खेल संघ और भारतीय ओलंपिक संघ के प्रबंधन / निर्णय में खिलाड़ियों की भागीदारी।

(iii) भारतीय खेल प्राधिकरण और भारत सरकार के कार्य और जिम्मेदारी, जिसे स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।

(iv) खेल विवाद के निपटान के लिए तन्त्र और विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण की स्थापना।

(v) राष्ट्रीय खेल संघों को अधिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय खेल संघों पर सरकार के नियंत्रण को समाप्त करना।

राज्यों के खेल और युवा कार्यक्रम मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित

राज्यों के खेल और युवा कार्यक्रम मंत्रियों का चौथा सम्मेलन 18 नवम्बर 2011 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें खेल और युवा कार्यक्रम से संबंधित उन मुद्दों पर विचार–विमर्श हुआ जिनका राज्यों से संबंध है। छात्रों के स्वास्थ्य और समग्र व्यक्तित्व विकास में खेल–कूद की भूमिका को मान्यता देते हुए सम्मेलन ने सर्वसम्मति से निम्नलिखित संकल्प पारित किया:

> "केन्द्र और राज्य, दोनों में सभी स्तरों पर स्कूलों में शिक्षा के पाठ्यक्रम के भाग के रूप में खेलकूद को अनिवार्य बनाया जाए। इसके अलावा, सभी स्कूलों में हर दिन एक अवधि खेलकूद के लिए आवंटित की जाए। छात्रों की भागीदारी को अन्य विषयों के समान ग्रेड दिया जाए और मूल्यांकन किया जाए और खेलकूद में भागीदारी को पर्याप्त महत्व दिया जाए। यह खेल संस्कृति और खेलकूद के लिए आधार को प्रोत्साहित करेगा।"

'आओ और खेलो योजना'

राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए पर्याप्त लागत से नवीकृत किए गए अपने 5 स्टेडियमों के इष्टतम उपयोग के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) ने मई 2011 में 'आओ और खेलो स्कीम' शुरू की है। खेलों में भागीदारी को प्रोत्साहित करने और स्टेडियमों के इष्टतम उपयोग के उद्देश्य से प्रतिष्ठित खिलाड़ियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण और नौसिखियों दोनों के लिए एसएआई स्टेडियमों अर्थात् जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, डॉ0 करणी सिंह शूटिंग रेंज, डॉ0 एसपीएम तरणताल परिसर, मेजर ध्यान चंद हॉकी स्टेडियम, इंदिरा गांधी इन्डोर स्टेडियम (जिम्नास्टिक, कुश्ती और साइकिलिंग वेलोड्रोम) के निर्धारित क्षेत्रों को मई 2011 में खोल दिया गया। 'आओ और खेलो स्कीम' को बहुत ही उत्साहवर्धक प्रत्युत्तर मिला है और 10000 से अधिक प्रतिभागियों को बैडमिंटन, मुक्केबाजी, बास्केट बॉल, क्रिकेट, साइकिलिंग, फुटबॉल, हॉकी, जिम्नास्टिक, जूडो, निशानेबाजी, तैराकी, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन और कुश्ती जैसी खेल शाखाओं में अभ्यास और प्रशिक्षण के लिए खेल सुविधाओं के उपयोग के लिए नामांकित किया गया है।

PDF Compressor Free Version

दिल्ली में योजना को सफलतापूर्वक शुरू करने के बाद, एसएआई ने 'आओ और खेलो स्कीम' को 1 अक्तूबर 2011 से देश भर में भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के सभी केन्द्रों में शुरू किया है, जिसका उद्देश्य इन केन्द्रों पर उपलब्ध खेल सुविधाओं के उपयोग के लिए स्थानीय क्षेत्र के युवाओं को प्रोत्साहित करना और खेलों में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमुखतः नौसिखियों को कोचिंग देना है। इसका परिणाम खेल सुविधाओं के इष्टतम उपयोग के रूप में होगा। 'आओ और खेलो स्कीम' से प्रतिभा, खोज में भी सहायता मिली। इस योजना से प्रतिभा की खोज भी होगी। इस स्कीम से आनेवाली मेधावी प्रतिभा एसटीसी एवं एसएजी की नियमित आवासीय खेल संवर्धनात्मक स्कीमों में प्रवेश के लिए पूल और प्रवेश संपर्क भी बनाएगी। इस स्कीम से उभरने वाली प्रतिभा को मंत्रालय व एसएआई की विभिन्न स्कीमों के तहत वित्त पोषण भी किया जा सकता है।

राष्ट्रीय कोचिंग शिक्षा संस्थान की स्थापना के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) से राष्ट्रीय खेल संस्थान (पटियाला) को अलग करना : खेल प्रतिभा के संवर्धन के लिए सुयोग्य कोचों की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस पर केन्द्रित ध्यान देना आवश्यक है। देश के भीतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गुणवान कोच तैयार करने और कोचिंग प्रदान करने के लिए समग्र प्रणाली को विकसित किए जाने की आवश्यता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय महत्व का कोचिंग संस्थान बनाने के लिए नई सोसायटी के गठन हेतु भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) से राष्ट्रीय खेल संस्थान (एनआईएस), पटियाला को अलग करने का निर्णय लिया। 2.11.2011 को आयोजित अपनी बैठक में एसएआई के शासी निकाय ने एसएआई से एनआईएस, पटियाला को अलग करने की मंजूरी दी। सरकार के निर्णय का उद्देश्य कोचिंग शिक्षा के लिए प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान के रूप में एनआईएस, पटियाला की स्थिति को बहाल करना है।

स्वतंत्र कोचिंग संस्थान के रूप में एनआईएस पटियाला का दृष्टिकोण उन्नत कोचिंग के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता के लिए विकल्प सहित खेल कोचिंग में व्यापक शिक्षा प्रदान करने के लिए शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के रूप में उभरना होगा।

स्वतंत्र कोचिंग संस्थान के रूप में एनआईएस, पटियाला निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा:-

i. खेल कोचिंग में एक फ्लैगशिप त्रिवर्षीय समेकित स्नातक प्रोग्राम को विकसित करना और इसे बढ़ावा देना, जो कायचिकित्सा, पोषण, खेल प्रौद्योगिकी, खेल विज्ञान आदि सहित कोचिंग से संबंधित विभिन्न पहलुओं को कवर करेगा;

ii. खेल कोचिंग की विभिन्न पहलुओं में विशेषीकृत डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाना;

iii. कोचिंग में मौजूदा एम.एससी पाठ्यक्रम को मजबूत करना;

iv. खेल कोचिंग के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप शुरू करना;

v. समुदाय खेल कोचिंग सहित स्व-रोजगार के अवसर के रूप में कोचिंग को लेने के लिए 12वीं कक्षा पास छात्रों के लिए व्यावसायिक विकल्प के रूप में सामान्य एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम की पेशकश करना।

PDF Compressor Free Version

राष्ट्रीय खेल विज्ञान और खेल औषधि संस्थान की स्थापना: प्रतिस्पर्धात्मक खेलों के वर्तमान युग में खेल विज्ञान और खेल औषधि अंतर्राष्ट्रीय खेल में प्रदर्शन में सुधार के लिए टीमों और खिलाड़ियों की तैयारी का प्रमुख भाग है। कोई भी देश, जो खेलकूद की दुनिया में एक स्तर प्राप्त करना चाहता है, खेल विज्ञान और खेल औषधि की भूमिका और महत्ता को नकार नहीं सकता है।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने निम्नलिखित विचारार्थ विषय के साथ फरवरी 2011 में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया:

(i) खेल प्रदर्शन में सुधार हेतु राष्ट्रीय प्रयास में खेल विज्ञान में शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए उन्नत केन्द्र की स्थापना करना।
(ii) खिलाड़ियों के लिए मूल्यांकन, रोकथाम और उपचार के लिए एक व्यापक केन्द्र होना।
(iii) विश्व के विभिन्न खेल विश्वविद्यालयों के बीच संकाय आदान–प्रदान, सहयोग और अनुसंधान का केन्द्र प्रदान करना।
(iv) खिलाड़ियों के खेल विशिष्ट पोषणात्मक आवश्यकता का मूल्यांकन सुनिश्चित करना और प्रमाणित पोषणात्मक खुराक/जड़ी–बूटी पोषक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

विशेषज्ञ दल ने निम्नलिखित सिफारिश की:

- लंदन ओलंपिक 2012, राष्ट्रमंडल खेल 2014 और एशियाई खेल 2014 की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्राथमिकता के आधार पर एसएआई केन्द्रों पर मौजूदा खेल विज्ञान और औषधि सुविधाओं को उन्नत करना।
- उच्च समेकित, गुणवत्ता–आश्वस्त सेवाओं (प्रशिक्षण), ऐसे प्रमुख विशेषज्ञों के विकास की (प्रशिक्षण) व्यवस्था करके उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में नए संस्थान अर्थात् राष्ट्रीय खेल विज्ञान और खेल औषधि संस्थान (एनआईएसएसएम) की स्थापना करना, जो खेल निष्पादन को साक्षात्मक रूप से सुधारने के लिए नवाचार लाएंगे और ज्ञान (अनुसंधान व सहयोग) का आदान–प्रदान करेंगे।

राष्ट्रीय स्तर पर अलग खेल विज्ञान और औषधि संस्थान होने की आवश्यकता पर विचार करते समय विशेषज्ञ दल ने मानव शक्ति और उपस्कर त्रुटि के संदर्भ में एसएआई में मौजूदा ढांचा में अन्तराल पर ध्यान दिया और विशिष्ट खिलाड़ियों को तुरंत सहायता देने के लिए उन अन्तरालों को दूर करने की विशिष्ट सिफारिश की। विशेषज्ञ दल ने स्पष्ट रूप से यह भी कहा कि एसएआई के भीतर खेल विज्ञान और खेल औषधि की सुविधाओं के उन्नयन और राष्ट्रीय खेल विज्ञान और खेल औषधि संस्थान की स्थापना के बीच दोहरापन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों दो विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करेंगे।

नए संस्थान की भूमिका इस प्रकार होगी :

- खिलाड़ियों का उपचार और पुनर्वास।
- खिलाड़ियों को जाँच सुविधाएं प्रदान करना।
- खेल विज्ञान के उपयोग के जरिए प्रदर्शन में वृद्धि।
- खेल विज्ञान और औषधि के क्षेत्र में अंतर–विषयक अनुसंधान।

PDF Compressor Free Version

- गुणवत्ता आश्वासन विभाग के जरिए शारीरिक प्रशिक्षक/मालिशकर्ता/पोषणविद/कायचिकित्सक/मनोवैज्ञानिक का प्रत्यायन और प्रमाणन, जो परीक्षण प्रयोगशालाओं और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का प्रत्यायन भी करेगा।
- शोध संबंधी कार्यकलापों को सहायता देने के लिए पूरक मोचन का प्रमाणन करना।
- खेल विज्ञान/खेल औषधि संबंधी सूचना का प्रसार करना।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहायता।

प्रस्तावित संस्थान निम्नलिखित अकादमिक और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम भी प्रदान करेगा:

- खेल औषधि में एमडी, डीएसएम
- संगत शाखा में डॉक्टोरेट डिग्री
- संगत शाखा में समेकित पीएच.डी. प्रोग्राम
- संगत शाखा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

मंत्रालय ने विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट की जांच की है और वह नई दिल्ली में जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम के भीतर राष्ट्रीय खेल विज्ञान और खेल औषधि संस्थान की स्थापना और दिल्ली में एसएआई के मुख्यालय, 9 क्षेत्रीय केन्द्रों और 60 एसटीसी केन्द्रों पर खेल विज्ञान और औषधि सुविधाओं के उन्नयन के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है।

लंदन ओलंपिक 2012 की तैयारी – "लंदन ओलंपिक के लिए प्रशिक्षण अभियान" (ओपेक्स) 2012

भारतीय खिलाड़ियों ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 और एशियाई खेल 2010 में साहसपूर्ण और प्रभावी प्रदर्शन किया है। अब हमारे खिलाड़ियों की नजर लंदन ओलंपिक 2012 पर है और देश को यह आशा है कि वे आने वाले ओलंपिक 2012 में अपने प्रदर्शन द्वारा देश को पुनः गौरवान्वित करेंगे।

लंदन ओलंपिक 2012 के लिए खिलाड़ियों और टीमों को तैयार करने के उद्देश्य से सरकार ने "लंदन ओलंपिक के लिए उत्कृष्टता अभियान" (ओपेक्स 2012) की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत मुख्य संभावित खिलाड़ियों की पहचान की गई है और उन्हें देश के भीतर और बाहर और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा प्रदर्शन पर व्यापक और गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लंदन ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए निधियां कुछ क्षेत्रों जैसे कि ठहरने, पोषण, वैज्ञानिक सहायता और दैनिक भत्ता में और वृद्धि के साथ प्रदान किया जा रही हैं, जो राष्ट्रमंडल खेल 2010 के मानकों के अनुरूप है। ओपेक्स लंदन 2012 के लिए 258.39 करोड़ रु. का बजट रखा गया है, जिसमें से 30 नवम्बर, 2011 तक 111.18 करोड़ रु. खर्च किया जा चुका है। जबकि विभिन्न शाखाओं में खिलाड़ियों के विदेशी प्रदर्शन पर 64.10 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं, उनके कोचिंग शिविरों और कोचों पर 46.08 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं। सरकार लंदन ओलंपिक के लिए अपने खिलाड़ियों की तैयारी में सहायता देने के लिए कोई कसर नहीं रखेगी।

जनवरी 2012 तक 29 खिलाड़ियों (20 पुरुष और 9 महिलाएं) ने लंदन ओलंपिक 2012 में भागीदारी के लिए तीरंदाजी, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, निशानेबाजी और तैराकी की खेल शाखा में प्रवेश प्राप्त किया है। लंदन ओलंपिक 2012 के लिए जनवरी 2012 तक प्रवेश प्राप्त कर चुके खिलाड़ियों का नाम संलग्नक–XIII में दिया गया है।

PDF Compressor Free Version

अनुबंध

PDF Compressor Free Version

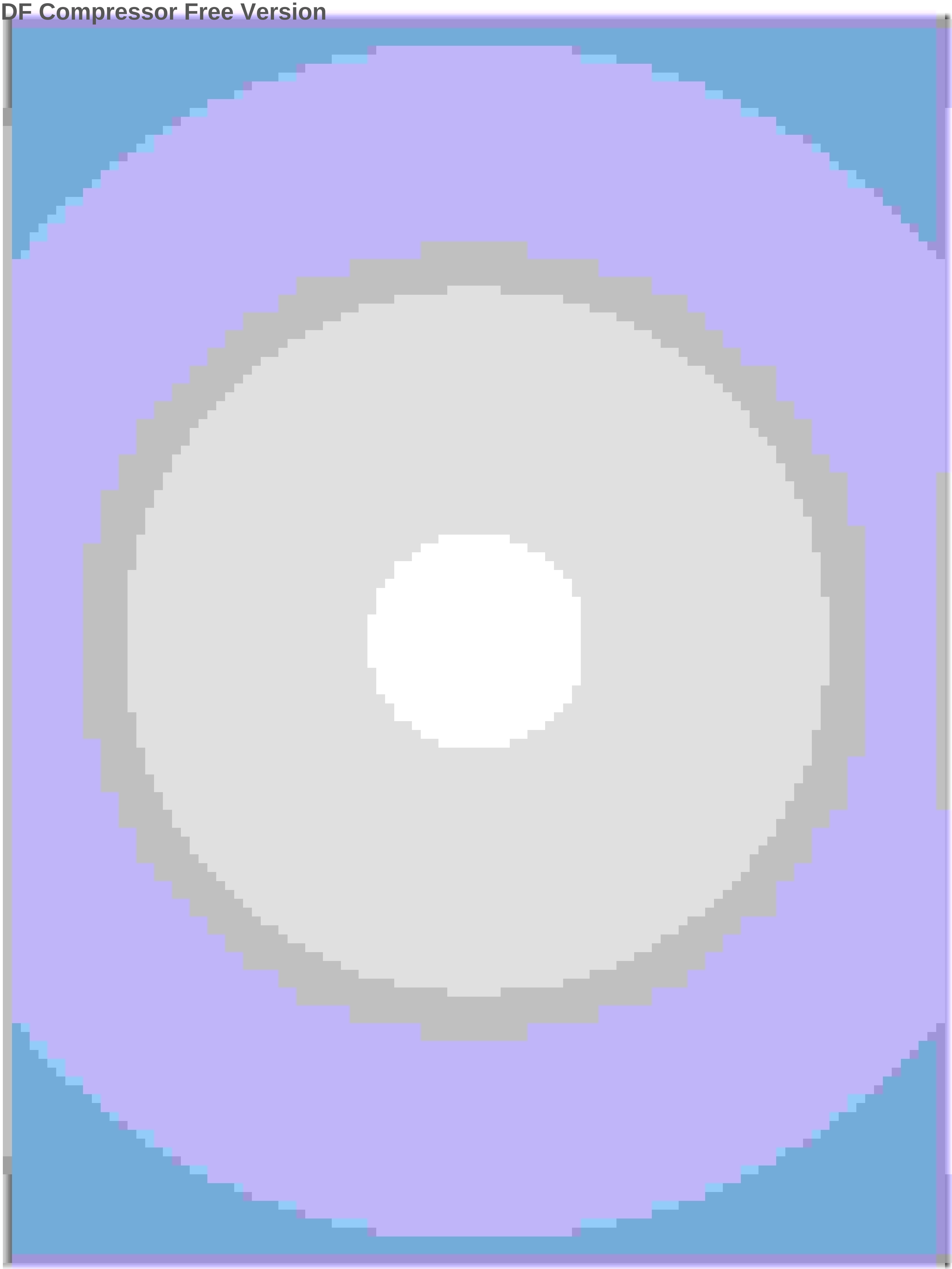

PDF Compressor Free Version

अनुबंध –1

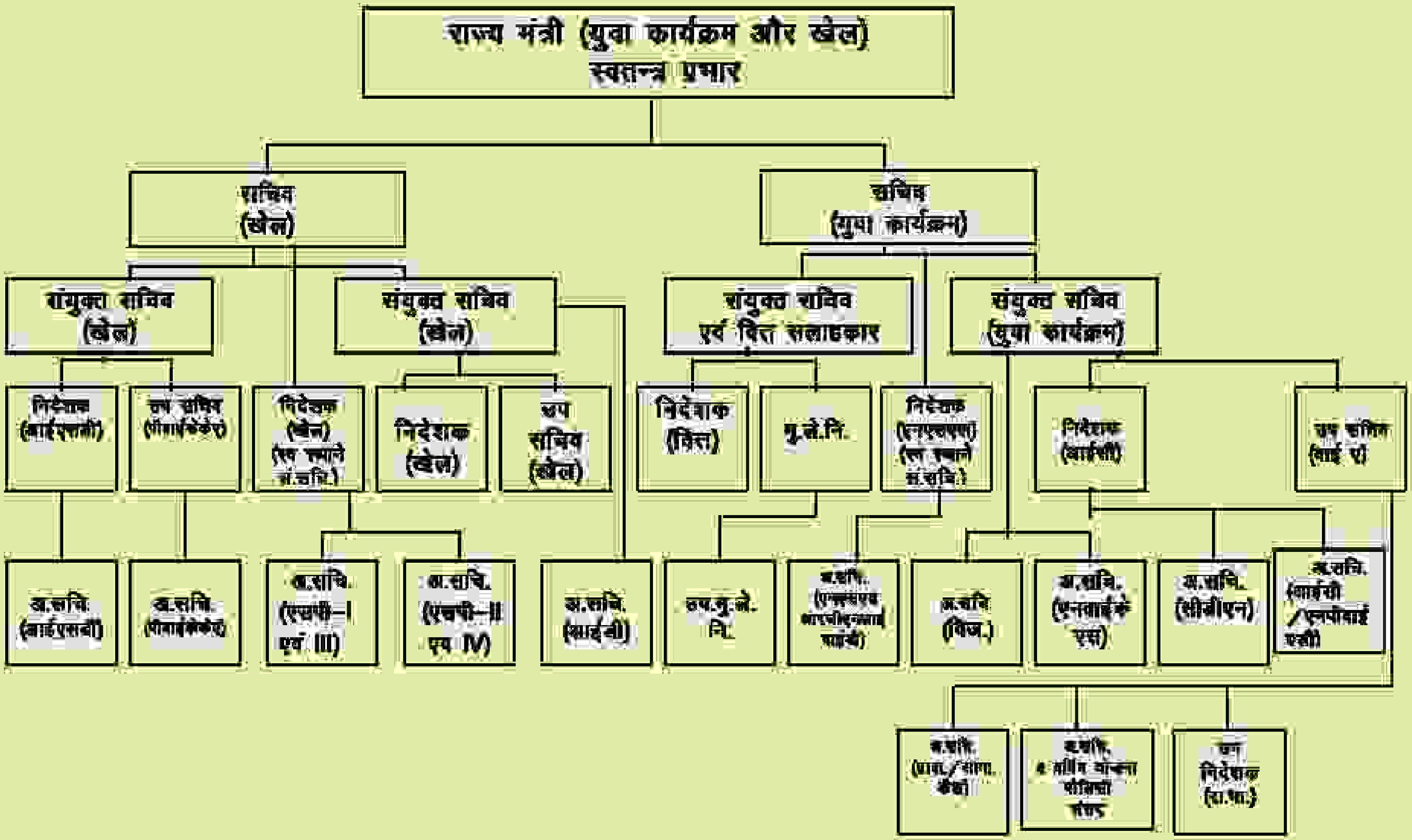

PDF Compressor Free Version

संकेताक्षर

एफए	–	वित्त सलाहकार संयुक्त सचिव व वित्त सलाहकार (युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय एवं कौशल मंत्रालय)
सीसीए	–	मुख्य लेखा नियन्त्रक
डीसीए	–	उप लेखा नियन्त्रक
वाईए	–	युवा कार्यक्रम
आईसी	–	अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग
एनपीवाईएडी	–	राष्ट्रीय युवा एवं किशोर विकास कार्यक्रम
सीडीएन	–	समन्वय
एसपी	–	खेल
आईएसडी	–	अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रभाग
विज.	–	सतर्कता
एसएआई	–	भारतीय खेल प्राधिकरण
पीवाईकेकेए	–	पंचायत युवा क्रीडा एवं खेल अभियान
डीएस	–	उप सचिव
यूएस	–	अवर सचिव
डीडी	–	उप निदेशक
ओएल	–	राजभाषा
एनएसएस	–	राष्ट्रीय सेवा योजना
एडीएमएन	–	प्रशासन
पार्लियामेन्ट	–	संसद
एनवाईकेएस	–	नेहरू युवा केन्द्र संगठन
जनरल	–	सामान्य
पीयूबी	–	प्रकाशन

PDF Compressor Free Version

अनुबंध–2

वित्तीय परिव्यय 2012–13

बजट प्राक्कलन 2011–12 तथा संशोधित प्राक्कलन 2011–12 और बजट प्राक्कलन 2012–13 के वित्तीय परिव्यय नीचे तालिका में दिए गए हैं।

बजट प्राक्कलन व संशोधित प्राक्कलन 2011–12 और बजट प्राक्कलन 2012–13 दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	बजट प्राक्कलन 2011–12		संशोधित प्राक्कलन 2011–12		बजट प्राक्कलन 2012–13	
	युवा कार्यक्रम विभाग	योजनागत	योजनेत्तर	योजनागत	योजनेत्तर	योजनागत	योजनेत्तर
1	2	3	4	5	6	7	8
क.	युवा कल्याण योजना						
1	राष्ट्रीय सेवा योजना	90.00	6.87	71.75	6.87	80.00	6.87
2	नेहरू युवा केंद्र संगठन	105.00	29.50	104.47	29.50	105.00	29.50
3	राष्ट्रीय अनुशासन स्कीम	00.00	2.67	0.00	2.67	0.00	2.00
4	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान	11.00	0.90	11.00	0.90	20.00	0.90
5	राष्ट्रीय युवा कोर (पुराना नाम राष्ट्रीय स्वयं सेवी स्कीम)	58.00	0.00	49.43	0.00	63.50	0.00
6	राष्ट्रीय युवा एवं किशोर विकास कार्यक्रम	25.00	0.50	23.00	0.00	23.00	0.00
7	युवा छात्रावास	5.00	0.00	2.50	0.00	2.00	0.00
8	खोज व मार्गदर्शन	2.00	0.00	1.00	0.00	1.50	0.00
9	राष्ट्रीय स्तर पर युवा प्रतिनिधिमंडल का आदान–प्रदान	3.35	0.85	12.00	0.85	4.35	0.85
10	राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम	0.15	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00
11	यूएनवी कार्यक्रम में योगदान	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
12	राष्ट्रीय/क्षेत्रीय युवा केंद्र	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल युवा कल्याण स्कीम	300.00	41.39	275.00	40.79	300.00	40.22

@- पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित

PDF Compressor Free Version

क्र. सं.	स्कीम का नाम	बजट प्राक्कलन 2011—12		संशोधित प्राक्कलन 2011—12		बजट प्राक्कलन 2012—13	
	युवा कार्यक्रम विभाग	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
1	2	3	4	5	6	7	8
ख.	खेल एवं शारीरिक शिक्षा:						
1.	भारतीय खेल प्राधिकरण	250.90	51.90	250.90	40.17	288.00	44.39
2.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय	30.00	9.63	25.00	8.87	30.00	8.87
3.	खेल कार्यकलापों के संवर्धन हेतु प्रोत्साहन						
3.1	पुरस्कार	4.00	0.00	14.00	0.00	2.00	0.00
3.2	मेधावी पेंशन	2.00	0.00	3.50	0.00	110.00	0.00
4.	खेल उत्कृष्टता के संवर्धन हेतु सहायता					0.50	
4.1	राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता	100.00	0.00	100.00	0.00	110.00	0.00
4.2	प्रतिभा खोज व प्रशिक्षण संबंधी स्कीम	10.00	0.00	2.00	0.00	0.50	0.00
5.	विकलांग व्यक्तियों में खेलों का संवर्धन	5.50	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
6.	राष्ट्रमंडल खेल, 2010	0.10	0.01	0.00	0.00	0.50	0.00
7.	खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि	0.00	1.40	0.00	0.35	0.00	1.00
8.	अर्जुन पुरस्कार	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10
9.	ध्यानचंद पुरस्कार	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20
10.	द्रोणाचार्य पुरस्कार	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00	0.32
11.	एनसीसी/पब्लिक रेसिडेंशल स्कूलों को शारीरिक शिक्षा अनुदान	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
12	माध्यस्थम अवार्ड हेतु सीपीडब्ल्यूडी को भुगतान	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	डोपिंग रोधी कार्यक्रम	17.50	0.00	3.50	0.00	4.00	0.00
14.	राष्ट्रीय खेल विकास निधि	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
15.	पंचायत युवा क्रीड़ा व खेल अभियान	225.00	0.00	165.20	0.00	235.00	0.00
16.	शहरी खेल बुनियादी ढांचा स्कीम (पुराना नाम शहरी युवा क्रीड़ा व खेल अभियान)	50.00	0.00	40.50	0.00	40.00	0.00
17.	राष्ट्रीय खेल विज्ञान एवं खेल चिकित्सा संस्थान	0.0	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
18.	राष्ट्रीय कोचिंग शिक्षा संस्थान	0.0	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
19.	अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं हेतु टीमों की तैयारी की स्कीम	0.0	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
20.	राष्ट्रीय शारीरिक स्वस्थता कार्यक्रम—एलएनयूपीई, ग्वालियर में संचालन केन्द्र	0.0	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
	कुल खेल व शारीरिक शिक्षा	700.00	64.67	609.00	51.01	741.00	55.98

*- पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित

PDF Compressor Free Version

क्र. सं.	स्कीम का नाम	बजट प्राक्कलन 2011–12		संशोधित प्राक्कलन 2011–12		बजट प्राक्कलन 2012–13	
	युवा कार्यक्रम विभाग	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
1	2	3	4	5	6	7	8
ग.	अन्य कार्यक्रम						
1.	सेमिनारों, समिति बैठकों आदि पर व्यय	0.00	0.42	0.00	0.28	0.00	0.28
	कुल:अन्य कार्यक्रम	0.00	0.42	0.00	0.28	0.00	0.28
घ.	सचिवालय सामाजिक सेवा	0.00	14.52	0.00	13.92	0.00	14.52
	महायोग : (क+ख+ग+घ)	1000.00	121.00	884.00	106.00	1041.00	111.00

क-पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित

PDF Compressor Free Version

अनुबंध–3

एनपीवाईएसी स्कीम के तहत 2008–09 से 2010–11 से गत 3 वर्षों के लिए स्वैच्छिक संगठनों/एनजीओ को मंजूर किए गए सहायता अनुदान के संबंध में उपयोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न किए जाने की वर्षवार स्थिति दर्शाने वाला विवरण

2008–09

गुजरात

क्र.सं.	संगठन का नाम	बकाया राशि
1.	श्री गुरुदेव खादी सेवा संघ, ग्राम गांधीनगर, पीओ – गांधीनगर, तालुका गांधीनगर, सेक्टर – 8, गुजरात – 382000.	1,10,000/–
2.	बी. एन. पटेल ग्रामविकास ट्रस्ट, 402, सपना अपार्टमेंट, आदर्श हाई स्कूल रोड नगर, पीओ पाटन, गुजरात – 384265.	2,13,500/–
3.	नैसर्गिक ट्रस्ट, पालनपुर, गाव पालनपुर, जिला बनासकांठा, गुजरात – 385001.	98,500/–
4.	पूज्य महात्मा गांधी राष्ट्र सेवा ट्रस्ट, गांव मांडली, पोस्ट ऑफिस –मांडली, गुजरात, जिला मेहसाणा – 384130.	1,08,000/–
5.	सार्वजनिक विकास परिषद, ग्राम केलो, जिला गांधीनगर गुजरात – 382721, गुजरात	32,500/–
असम		
6.	जन कल्याण खादी ग्रामोद्योग उन्नयन केन्द्र, बलकापुर जराबरी, बलीकूची, मोरीगांव, असम	28,250/–
पश्चिम बंगाल		
7.	हिंदुस्तान पार्क सोशल केयर फाउण्डेशन, 51 – हिंदुस्तान पार्क, पोस्ट बॉक्स नं. 16280, कोलकाता	32,500/–

PDF Compressor Free Version

2009–10

महाराष्ट्र

क्र.सं.	संगठन का नाम	बकाया राशि
1.	सह्याद्री ग्रामीण विकास व बहु उद्देश्य युवक कल्याण संस्था, जिला नागपुर	32,500/–
2.	प्रगट महिला मण्डल, जिला लातूर	64,000/–
3.	जन सेवा एजुकेशन सोसाइटी, जिला लातूर	64,000/–
पश्चिम बंगाल		
4.	कम्युनिटी फॉर सोशल वर्क, रबिन्द्रापाली, 24 परगना उत्तर	64,000/–
5.	हरिपुर डॉ. अम्बेडकर जन सेवा मिशन, नवग्राम, मुर्शिदाबाद	1,76,875/–
6.	दीपालया, ए. के. पॉल रोड, कोलकाता	64,000/–
7.	रोहन, श्याम बाजार, जिला कोलकाता	65,000/–
8.	युवचक्री पीपुल्स वेल्फेयर एसोसिएशन, जिला पूर्व मेदिनीपुर	64,000/–
9.	डमडमा मानव कल्याण आश्रम (डीएमकेए), जिला दक्षिण 24 परगना	88,500/–
10.	उदयरामपुर निवेदिता महिला समिति, जिला दक्षिण 24 परगना	65,000/–
हिमाचल प्रदेश		
11.	एसडीवी जीव सेवा संस्थान, जिला सोलन	1,10,000/–
असम		
12.	प्रबंधन संसाधन विकास संस्थान, जीएनबी रोड, जिला नगांव	1,14,000/–
13.	प्रहार, जिला बी. एम. रोड नगांव	1,46,260/–
14.	संकल्प, जिला शिवसागर	64,000/–
15.	अता भोकामरी सोसायटी डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिला बारपेटा	88,500/–
नागालैण्ड		
16.	ट्राइबल फार्मर एसोसिएशन, नगवालथा, जिला पेरेन	64,000/–

2010-11

दिल्ली

क्र.सं.	संगठन का नाम	बकाया राशि
17.	राष्ट्रीय युवा परियोजना, नई दिल्ली	25,00,000/–
18.	छवी विक्रम चैरिटेबल ट्रस्ट, नई दिल्ली	5,00,000/–
बिहार		
19.	अनुराग नारायण कॉलेज, बोरिंग रोड, जिला पटना	1,50,000/–
हिमाचल प्रदेश		
20.	अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान और एलाइड स्पोर्ट्स, मनाली	7,50,000/–

PDF Compressor Free Version

अनुबंध—4

भारत के नियन्त्रण एवं महालेखापरीक्षक के लंबित लेखापरीक्षा पैराओं व उन पर की गई कारवाई के ब्यौरों के संबंध में उनके कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा टिप्पणियां दर्शाने वाला विवरण

लंबित सी एण्ड एजी लेखा परीक्षा पैरा व उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

Øe la[;k	fjiksVZ@ o"kZ	v/;k; dk iSjk la[;k	laf{kIr fo"k; ,k fVIif.k;ksa dk lkj	d`r dkjZokbZ uksV ds lkFk o`Ùkkar fLFkfr
1-	2010&11 dk 38	iSjk 9-1	|kk tho xkSkh ;gk fod W laLFkku us bl laLFkku dks vox hd r kg|| Jh ;EC nyw f kQ v fd lkus ds okct w laLFkku usv lusd e kfj ka dks p ku bZ dh n| |sed ku fo|k h HkUkk vnk djuk lqh jf kk- ft lls 67-11 yk[k - dk vfu;fer vf/kd D; guk	laLFkku dks dr dk;ZokbZ ukV iz q djus ds fy dgk x;k gSl ksv Hkh ikIr ugha gqvk g&
2-	2011&12 dk 6	v/;k; 16 vkS 17	foUk eaky; lkjkk; Fkk lfpr vuqekk esa l w ;kU	HkVr ds fu;U=d ,oa egky sk lijh{kd dh 2011&12 dh leh fjiksVZ la[;k 6 ij dk;ZokbZ izfr lj g&

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक संघ सरकार (सिविल) की वर्ष 2011–12 की प्रतिवेदन संख्या 6 के अध्याय 16 एवं 17 पर 18 में राष्ट्रमण्डल खेलों पर प्रतिवेदन में छपे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार

अध्याय 16

आयोजन स्थलों के विकास के सामान्य मुद्दे

आयोजन स्थलों के विकास में हर स्तर पर देरी हुई, जिसमें योजना स्तर पर आयोजन स्थलों के संक्षिप्त ब्यौरों को बनाने/मंजूरी देने में, वास्तविक ब्यौरों और संकल्पनात्मक डिजाइनों में, निविदा प्रक्रिया और अनुबंध देने में हुई देरी, कार्य के निष्पादन और आयोजन स्थलों को सौंपे जाने तक का सफर शामिल है।

चूंकि आयोजन स्थलों के मालिकों और जिन कम्पनियों को उनके विकास का काम सौंपा गया उनकी आंतरिक डिजाइन कुशलता पर्याप्त नहीं थी लिहाजा उन्हें बाहरी डिजाइन सलाहकारों की मदद लेनी पड़ी। इन सलाहकारों के काम के प्रदर्शन में काफी अन्तर दिखाई दिया। हमने ये पाया कि जहां–जहां डिजाइन सलाह के काम में विदेशी संस्थाओं की मदद कम ली गई (जिनका खेल स्टेडियम बनाने में अनुभव था) वहां पर डिजाइन के मुद्दे पर काफी कमी दिखाई दी।

अलग–अलग संस्थाओं ने मुख्य निर्माण कार्यों को सौंपने में अलग–अलग प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया। सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने करीब करीब सिर्फ सी.पी.डब्ल्यू.डी. नियमावली में दिया गया है क्योंकि यह एक सर्वश्रेष्ठ जरिया था जहां कार्य के मूल दायरे से भटकने का सबसे ज्यादा स्कोप था। लेकिन दो मुख्य कार्य एकमुश्त आधार पर दे दिए गए। बड़ी संख्या में अतिरिक्त/वैकल्पिक सामानों और विचलनों की वजह से अनुबंध का पूरा स्वरूप ही बदल गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संस्था पी.डब्ल्यू.डी. ने अपने अधिकांश कार्यों का अनुबंध प्रतिशत दर के आधार पर सौंपा। इस आधार का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब कार्य के ज्यादातर हिस्से में दिल्ली शेड्यूल्ड दर (डी.एस.आर.) के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं का प्रयोग शामिल हो, जबकि आयोजन स्थलों के अधिकांश निर्माण कार्यों में ऐसी स्थिति नहीं थी।

मुख्य कार्यों को सौंपने की प्रक्रिया में ज्यादातर कमी पूर्व योग्यता और अर्हता के स्तर पर देखी गई। हर आयोजन स्थल के लिए अलग–अलग कम्पनियों की अलग–अलग पूर्व योग्यता ने न सिर्फ निविदा प्रक्रिया में मनमानेपन और असमानता को बढ़ा दिया बल्कि कार्य को सौंपने और कार्यान्वयन में भी देरी कर दी। ये देखते हुए कि सभी क्रीड़ा स्थलों के निर्माण में कार्य की प्रकृति एक समान थी। हमारे विचार में सभी कार्यों के लिए एक समान पूर्व योग्यता की प्रक्रिया निर्धारित की जा सकती थी।

हमने ये भी पाया कि लागत अनुमानों से काफी ज्यादा कीमत पर कार्य सौंपने की प्रक्रिया को सही ठहराने में भी काफी खामियां रहीं। ये भी पाया गया कि मूल कार्य के दायरे में अनेक विचलनों (वैकल्पिक वस्तुओं की व्यवस्था, अतिरिक्त वस्तुओं, मात्रा में छूट आदि) ने भी प्रक्रिया में देरी में योगदान दिया और परियोजना की कीमत पर वृद्धि के रूप में बुरा असर डाला।

करार में तय अलग–अलग कार्यों की समयसीमा में उल्लंघन के कई मामले हमें दिखाई दिए जिसके लिए पर्याप्त दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गई और अतिरिक्त समय का प्रबंधन भी ठीक ढंग से नहीं किया गया।

PDF Compressor Free Version

कीमतों में बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह श्रमिकों की मजदूरी में हुई बढ़ोतरी रही। हमें इस प्रावधान के इस्तेमाल में भी गंभीर खामियां नजर आईं। हमारे विचार में ऐसे भुगतान मुआवजे की तरह ही है लेकिन हमने पाया कि एक तय फार्मूले के तहत ऐसे भुगतान किए गए और इस बात का कोई सबूत नहीं मिल पाया कि ये भुगतान वास्तव में ठेकेदारों अथवा उन ठेकेदारों द्वारा रखे गए श्रमिकों के लिए किए गए। ऐसे बढ़े हुए भुगतान वास्तव में श्रमिकों तक ही पहुंच रहे हैं इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमारा सुझाव है कि भुगतान तभी किया जाए जब ठेकेदार श्रमिक कल्याण विभाग द्वारा सत्यापित अकुशल श्रमिकों को शर्तों का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।

अध्याय 17

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) द्वारा विकसित किए गए आयोजन स्थल

1 सामान्य मुद्दे

भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) ने सी.पी.डब्ल्यू.डी. को पांच स्पर्धास्थलों, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम डॉ. एस.पी. मुखर्जी स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम, इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम और डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेन्ज के साथ–साथ एक प्रशिक्षण केन्द्र डी.पी.एस. आर.के.पुरम के उन्नतिकरण/नवीनीकरण का कार्य सौंपा। इसके अलावा सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने सी.आर.पी.एफ. की ओर से कादरपुर शूटिंग रेन्ज के नवीनीकरण का काम भी किया।

हमने पाया कि पांच मुख्य स्टेडियमों के लिए प्रमुख डिजाइन सलाहकार के लिए कंसलटिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज (सी.ई.एस.) की नियुक्ति में काफी गंभीर खामियां रहीं। मूल्यांकन स्तर पर कान्सेप्ट डिजाइन के लिए दिए गए अंकों के आधार पर सी.ई.एस. का पक्ष लिया गया। (जबकि ये कान्सेप्ट डिजाइन मुख्यतौर पर सी.ई.एस. द्वारा पहले सौंपे गए एक अन्य परामर्शी अनुबंध "परिस्थिति सर्वेक्षण" में किए गए कार्यों के आधार पर तैयार किया गया था)। इसके बाद इस कान्सेप्ट डिजाइन के आधार पर सी.ई.एस. की तकनीकी योग्यता निर्धारित करना और भी आश्चर्यजनक है क्योंकि इसके लिए आयोजन समिति द्वारा नवम्बर, 2006 में ईकेएस को सलाहकार नियुक्त किया गया जिसके बाद आयोजन स्थलों के संक्षिप्त ब्यौरे किए गए जिनके आधार पर ये कांसेप्ट डिजाइन तैयार किए गए थे। तकरीबन सभी आयोजन स्थलों के अनुबंध में सलाहकार के तौर पर सी.ई.एस. का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा।

आयोजन समिति के चेयरमैन की अध्यक्षता में बनी केन्द्रीय समन्वय समिति, जिसमें आयोजन स्थलों के मालिक और कार्य करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल थे, की ये जिम्मेदारी थी कि वे स्पर्धाओं के लिए सतहों के ब्रांड्स का चयन करें। हमने पाया कि एथलेटिक ट्रैक, हॉकी के टर्फ और बैडमिंटन कोर्ट के मैट के ब्रांड्स को निर्धारित करने में इस समिति ने (जिस पर आयोजन समिति का दबदबा था) काफी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया।

स्पर्धा स्थलों कि सतहों के निर्माण के लिए एजेंसियों के चयन के लिए संयुक्त निविदा प्रक्रिया का सहारा लिया गया। हमने पाया कि सिन्थेटिक एथलेटिक ट्रैक बनाने के लिए सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा शिव नरेश स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को कार्य सौंपने में गंभीर अनियमितताएं थीं। निविदा की बाध्यकारी शर्तों की वजह से अनुबंध की कीमत में कई गुना इजाफा हो गया जबकि मिलते जुलते कार्यों के लिए काफी कम दरें तय कि गई थीं। हमें यह भी पता चला कि वह क्षेत्र जहां पर सिन्थेटिक ट्रैक बिछाया गया उसमें 8130 वर्ग मीटर का क्षेत्र था और इसे बनाने में 6.83 करोड़ रुपए की लागत आई। हमें इस बात का आश्वासन नहीं मिल पाया है इस अतिरिक्त मात्रा की वाकई जरूरत थी और इसकी मंजूरी आयोजन समिति द्वारा दी गई थी। नवम्बर, 2010 में अपने कार्यक्षेत्र के दौरे के दौरान हमें मुख्य स्पर्धा स्थल पर ट्रैक की गुणवत्ता में भी कमी नजर आई।

PDF Compressor Free Version

5 आयोजन स्थलों के लिए गणमान्य व्यक्तियों (वी.आई.पी.) और अतिविशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों (वी.वी.आई.पी.) और मीडिया के लिए कुर्सियों की आपूर्ति और उन्हें लगाने के अनुबंध हेतु संयुक्त निविदा प्रक्रिया का सहारा लिया गया। हमें पता चला कि इस प्रक्रिया में कीमतों की गणना और पुनर्गणनाओं का ऐसा जाल बुना गया कि दरें काफी बढ़ गई जिसका फायदा सीधे तौर पर वेंडरों, नुसीरियन फर्नीचर्स को मिला।

हमने ये भी पाया कि आयोजन स्थलों के लिए ऊर्जा की व्यवस्था के लिए अत्यधिक निरर्थक एवं अनावश्यक प्रयास किए गए, जिसमें डीजल जेनरेटर सेट्स को हमेशा के लिए लगाना, यू.पी.एस. की व्यवस्था और आयोजन समिति द्वारा अत्यधिक क्षमता वाले डीजल जेनरेटर सेट्स के किराए पर लेना शामिल था।

2. जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम

जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम के मामले में हमें कई उदाहरण मिले, जिनसे ऐसे कार्य जो नहीं हुए उनका समायोजन नहीं किया गया, एकमुश्त करार के दायरे में आने वाले कार्यों के लिए भी अतिरिक्त भुगतान किए गए और मेम्ब्रेन छत के निर्माण में देरी के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया गया। हमें जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में भारोत्तोलन ऑडिटोरियम और कॉमन एरिया के निर्माण में काफी खामियां मिलीं।

3. डॉ. एस.पी.एम. स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स का मुख्य कार्य एक मुश्त आधार पर सौंपा गया था। हमें पता चला कि ठेकेदार को कई ऐसी रियायतें दी गईं जो एक मुश्त करार की अवधारणा से बिल्कुल अलग हैं। बड़ी मात्रा में अतिरिक्त वस्तुओं के इस्तेमाल की छूट दी गई, मूल करार में शामिल कार्यों के लिए अतिरिक्त भुगतान और ठेकेदार की गलती की वजह से मूल रूप से निर्धारित गैलवाल्यूम छत को एल्युमिनियम से बदलने का फैसला ऐसी ही रियायतों का उदाहरण हैं। इस आधार पर एकमुश्त निविदा का स्वरूप ही समाप्त हो जाता है। कार्य की गुणवत्ता में कमी के भी स्पष्ट उदाहरण दिखाई दिए।

4. आई.जी. स्टेडियम कॉम्प्लेक्स

इंदिरा गांधी स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में साइकिलिंग, जिमनास्टिक और कुश्ती की स्पर्धाओं के लिए स्थलों का निर्माण और उन्नयन किया जाना शामिल था। हमने पाया कि एक फर्म जो इंडोर साइकिलिंग वेलोड्रम बनाने के लिए योग्य नहीं थी उसे भी अनियमित तरीके से कार्य सौंप दिया गया। आश्चर्य है कि वेलोड्रम के लिए लकड़ी का ट्रैक बनाने का काम इंडियन फर्नीचर (एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक डिजाइन और निर्माण विशेषज्ञ के सहयोग से) तक ही सीमित रखा गया और इसकी अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करने पर विचार नहीं किया गया। इसके बाद भी योग्यता की शर्तों में ढील दे दी गई। कुश्ती हेतु स्टेडियम के लिए निविदा प्रक्रिया में भी खामी नजर आई क्योंकि इसके कारण एकल वित्तीय निविदा का सहारा लेना पड़ा जिससे पता चलता है कि निविदा प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा की कमी रही जो चिन्ता उत्पन्न करती है। इसी तरह जिमनास्टिक स्टेडियम के विभिन्न कार्यों, हॉस्टल और मीडिया सेंटर के निर्माण, सड़कों के निर्माण, चारदीवारी के निर्माण इत्यादि कार्यों के लिए एक विशेष एजेंसी स्वदेशी कंस्ट्रक्शन कंपनी के पक्ष में निविदा प्रक्रिया में दी गई रियायतों और अनियमितताओं का भी हमें पता चला।

5. मेजर ध्यान चंद स्टेडियम

मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के मामले में लेखापरीक्षा के दौरान पता चला कि पूर्व योग्यता की शर्तों में एक निश्चित कम्पनी के पक्ष में बदलाव किए गए। आर.एफ.क्यू. स्तर पर तय शर्तों में आर.एफ.पी. स्तर तक आते-आते काफी कमी कर दी गई जिससे बड़ी कम्पनियों ने बोली लगाने में दिलचस्पी ही नहीं ली। इसी

तरह हमें पता चला कि सी.पी. डब्ल्यू.डी. द्वारा तय की गई न्यायसंगत दरें बाजार की दरों को प्रदर्शित नहीं कर रही थी, क्योंकि मुख्य काम के लिए आउटसोर्सिंग कम्पनियों ने उन्हीं उत्पादों की काफी कम कीमत लगाई थी। औचित्य प्रक्रिया में कम समय में काम को पूरा करने के लिए बढ़ी हुई कीमतों के पक्ष में तर्क दिया गया जबकि सच्चाई ये है कि काम पूरा होने में 18 माह के बजाय 37 माह का वक्त लिया गया। इस बात का कोई जवाब नहीं दिया जा सका कि पहले और दूसरे चरण में अयोग्य घोषित किए जाने के बावजूद एक फर्म को पीए सिस्टम का काम सौंपने के लिए न सिर्फ निविदा की शर्तों में ढील दी गई बल्कि निविदा भी दुबारा जारी की गई, जिसकी वजह से अस्पष्ट देरी भी हुई।

5. सी.पी. डब्ल्यू.डी. द्वारा विकसित किए गए अन्य आयोजन स्थल

पहले डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेन्ज का नवीनीकरण/उन्नतिकरण होना तय किया गया था जिसे बाद में बदल कर पुनर्निर्माण कर दिया गया जिससे काम पूरा करने के लिए कम वक्त ही मिल पाया। कार्य निष्पादन में भी गुणवत्ता संबंधी काफी कमियां मिली जो खेलों के बाद भी जारी रहीं। हमें कादरपुर शूटिंग रेन्ज के कार्य में भी कई कमियां मिली है। सी.डब्ल्यू.जी. 2010 में हिस्सा लेने वाले पुलिस खिलाड़ियों के लिए सी.आर.पी.एफ. कैम्पस, झड़ौदा कलां में प्रशिक्षण सुविधाओं के निर्माण का कार्य पूरा नहीं किया जा सका।

अनुबंध–5

निर्मित युवा छात्रावासों की सूची

(31–12–2012 की स्थिति के अनुसार)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	

PDF Compressor Free Version

अनुबंध—8

नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस)/राष्ट्रीय सेवा योजना संबंधित राज्य सरकार को हस्तांतरित युवा छात्रावासों की सूची

(01—12—2013 की स्थिति के अनुसार)

d ze	jkT; @la?k jkT; {ks= dk uke	fufeZr ;qok Nk=kokl ksa dh la[;k	;qok Nk=kokl dk LFkku
1	vka/kz izns'k	1	Ukkgjy kxq
2	vle	2	Xkq ?kkV] ukSxkao
3	fgekpy izns'k	1	fcykliqj
4	tEew ,oa d'ehj	1	ukxjksVk
5	egkjk"Vª	1	cqYMkuk
6	ef.kiqj	1	mi[k:y
7	es?kky;	1	rqjk
8	ukxkySaM	1	eksdksdpqax
9	flfDde	1	Ukkepph
10	if'pe caxky	2	pqafy:fM+ cnZoku
	;ksx	12	

PDF Compressor Free Version

अनुबंध–९

निर्माणाधीन युवा छात्रावासों की सूची

(01–12–2012 की स्थिति के अनुसार)

d ze la	jkT; @ la?k jkT; {ks= dk uke	fuekZ.kk/khu ;qok Nk=kokl dh la[;k	;qok Nk=kokl dk LFkku
1	vkaèkz izns'k	1	d.MIik
2	v: .kkpy izns'k	1	ikbZ
3	ef.kiqj	2	Fkksy] pqMkpkaniqj
	;kx	4	

PDF Compressor Free Version

अनुबंध–9

राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता 2010–11 की सूची

(एकल)

क्र.सं.	नाम एवं पता
	आंध्र प्रदेश
1.	श्री पडनूरी शंकर म. न. 8–5–378, संजय नगर, गोदावरखानी – 505209 एमडीएल: रामागुण्डम, जिला करीमनगर, आंध्र प्रदेश मोबाइल :– 9494721025, 09059941130
2.	श्रीमती ए. वेंकटा लक्ष्मी डी/एन 5–122/जी. आई. पी.जी. सेन्टर के पास, ए.डी.बी. रोड, अचेपेटू जूनेटा, काकीनाडा रोड, पूर्वी गोदवरी, आंध्र प्रदेश मोबाइल :– 09948109889
3.	श्री के.एम. भगवान दास गौतम 6–3–161/1, प्रेम नगर, खैरताबाद हैदराबाद 500004, आंध्र प्रदेश, मोबाइल 09848044052
	असम
4.	श्री बिदयुत सैकिया नव प्रभात (अनाथालय एण्ड ओल्डएज होम) गांव एवं पोस्ट आफिस : केटकीबारी, जिला सोनितपुर (असम)–784145 मोबाइल नं. 09401490317
5.	श्री दिव्याज्योति दास गुरचूक, कालिया ठाकुर पथ, पोस्ट ऑफिस एण्ड पीए : गूरचूक, जिला कामरूप मेंट्रो गुवाहटी – 781036 (असम) मोबाइल नं. 09864800885, 08706523283

PDF Compressor Free Version

	दिल्ली
6.	श्री बंटी सोलंकी जी ब्लॉक, बस्ती विकास केन्द्र, मंगोल पुरी–110083. मोबाइल नं. 9717237993, 9685924134
	गोवा
7.	सुश्री काजल चितरंजन केरकर आदित्य अपार्टमेंट्स, खाड़पाबंद – पोंडा गोवा – 403401. मोबाइल नं.09420688397
	गुजरात
8.	सुश्री राखी दिनेशचन्द्रा पाड्या, "आशुतोष", 85 मिलेश्वर नगर, बी/एच वैशाली सिनेमा, रामेश्वर नगर रोड, नया अंजार (कच्छ), गुजरात– 370110. 02836 241024, मोबाइल नं. 09428076024
	हरियाणा
9.	श्री मुस्लिम, सन ऑफ श्री जहरदीन, गांव गढ़ी मेहराल, पोस्ट आफिस बरसात, द. घरौंदा, जिला करनाल, मोबाइल 09466027786, 0991610398
10.	श्रीमती सीमा रानी गांव : चौचापड़ी, न्यू प्रकाश नगर, ओल्ड पुलिस पोस्ट, तहसील कैंप, पानीपत, मोबाइल नं. 09896004976, 09255128697
11.	श्री सुभाष ढींगरा वीपीओ : ढीगाना, तहसील : जुलाना, जिला जींद (हरियाणा) मोबाइल नं. : 09466966245, 9813184245
	जम्मू एवं कश्मीर
12.	श्री विजय कुमार म.नं. 137, वार्ड नं.9, सेलहर तहसील आर.एस. पुरा जिला जम्मू, जम्मू एण्ड कश्मीर 181111 मोबाइल नं.09419216967, 09858273475 फोन नं. 01923247140
13.	श्री राजा अब्दुल वहीद आर/औ बालपोरा, पोस्ट ऑफिस : बालपोरा तहसील एवं जिला – शोपियां (जम्मू एण्ड कश्मीर) मोबाइल नं. 09596117269

PDF Compressor Free Version

	कर्नाटक
14.	श्री वाई. चिन्नप्पा मुथानालूर गांव एवं पोस्ट सरजापुरा हुबली, अनिकल तालुक बैंगलूरु – 560099 मोबाइल – 09449844886१8
	केरला
15.	श्री मामूरजंन एन नेल्लीयात हाउस, मंकाडा पल्लीपुरम, पोस्ट ऑफिस, मंकाडा पल्लीपुरम से, जिला – 679324 मोबाइल नं. 09846438846
	मध्य प्रदेश
16.	सुश्री सन्तोषी तिवारी गांव : सेमली खुर्द, पोस्ट : बिछोरी, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश 466001 मोबाइल नं. 09826912957
	महाराष्ट्र
17.	श्री अमित गणपतराव गोरखे प्लॉट नं. जीपी–193, "जी" ब्लॉक, एमआईडीसी, थर्मेक्स चौक के पास, संभाजी नगर, चिंचवाड़, पुणे–411019 020–27370790, मोबाइल नं.09822254678ए 09822778980
18.	श्रीमती निशा विष्णोबा जाधव, मं.नं. 381, तालुका एण्ड जिला रत्नागिरी, महाराष्ट्र, मोबाइल नं. 09923690990
	ओड़िशा
	सुश्री ज्योत्सना माई स्वैन पूआगाडा, पोस्ट ऑफिस –रघुनाथपुर, जिला कोरधा, वाया – बालीपटना –752102 मोबाइल नं. 09439818725
	राजस्थान
20.	श्री गिरीराज कुमार रैगर ओल्ड ब्लॉक स्कूल के पीछे, धनवारा, पोस्ट : झालावाड़, जिला झालावाड़, राजस्थान – 326001 मोबाइल नं. 09829984320
21.	श्री राम दयाल सैन कुन्था अस्पताल के सामने, गांव एवं पोस्ट – बस्सी, जिला : जयपुर (राजस्थान) – 303301 मोबाइल नं. 09928181808, 09314412181

	उत्तराखण्ड
22.	श्री प्रदीप महारा संपर्क और स्थायी पता :– गांव, तहसील और पोस्ट, बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड – 262531 फोन नं. 05964.244645 मोबाइल नं. 09410479520, 09639106500
	पुडुचेरी
23.	श्री एम. सतिश एस/ओ एन. मुरूगेसन 5, थरोपति अम्मान कोइल स्ट्रीट, पुरणाकूपम, पुडुचेरी 605007, मोबाइल नं. 09855219438
	पश्चिम बंगाल
24.	सुश्री रूपाली बिस्वास ब्राह्मणपाड़ा, ईचापुर, पोस्ट ऑफिस –नवाबगंज, पुलिस चौकी –नौपाड़ा, जिला 24 परगना फोन नं. 033.25810356 मोबाइल नं.09830491688
25.	श्री ऋषभ जैन फ्लैट 7ए/3, मौसमी अपार्टमेंट, 15बी, बी.सी. रोड, कोलकाता – 700019 (पश्चिम बंगाल) मोबाइल नं. 09874615302
	मणिपुर
	श्री नेपराम राजेन्द्र सिंह सगोलबंद नेप्रा मंजोर लेकई, इम्फाल पश्चिम, इम्फाल – 795001, मणिपुर मोबाइल नं. 09869640100
	मेघालय
27.	सुश्री स्कालेटी खोरिनियांग सी/ओ एस सोकमी, नांगमेनसोंग लंगकेरडिंग शिलांग– II मोबाइल नं. 09856089229
	त्रिपुरा
28.	श्री जयदीप दत्ता गांव और पोस्ट ऑफिस – गोलाघाटी, ब्लॉक–बिशालगढ़ आर.डी. ब्लॉक, पीएस – टकरजाला, जिला पश्चिम त्रिपुरा – 799102 मोबाइल नं. 09862187424

PDF Compressor Free Version

(स्वयंसेवी संस्था)

	आंध्र प्रदेश
1.	ग्रामीण प्रौद्योगिकी और सेवा में कार्रवाई (एआरटीएस) श्रीकाकुलम जिला –532455 आंध्र प्रदेश फोन नं.0894-259046 मोबाइल नं. 09440830945 (श्री नूका सन्यासी राव, सचिव)
	राजस्थान
2.	नवाचार संस्थान रेलवे स्टेशन के पास, सुधीर पुरम, कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ – 312202 (राजस्थान) मोबाइल नं. 09413315713 (श्री अरुण कुमावत)

PDF Compressor Free Version

अनुबंध–9

गत चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता की स्कीम से राष्ट्रीय खेल संघों को जारी अनुदान (2008-09, 2009–10 और 2010–11 के दौरान सीडब्ल्यूजी के लिए टीमों की तैयारी की स्कीम से जारी अनुदान सहित अनुदान दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु. में)

क्र. सं.	खेल संघ का नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 दिसम्बर, 2012 तक
1	भारतीय एथलेटिक्स संघ, नई दिल्ली	659.40	309.94	308.30	494.38
2	भारतीय तीरंदाजी एसोसिएशन, नई दिल्ली	96.10	360.31	42.10	253.50
3	अखिल भारतीय शतरंज संघ, चेन्नई	221.40	163.00	180.05	162.13
4	भारतीय राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन, नई दिल्ली	421.07	658.45	509.53	57.78
5	अखिल भारतीय टेनिस एसोसिएशन, नई दिल्ली	137.62	263.81	256.64	11.29
6	भारतीय जूडो संघ, नई दिल्ली	62.55	49.66	62.33	110.37
7	भारतीय रोइंग संघ, सिकन्दराबाद	57.05	88.79	64.71	70.34
8	भारतीय टेबल टेनिस संघ, नई दिल्ली	179.80	375.51	356.36	283.71
9	भारतीय नौकायन संघ, अहमदाबाद	15.10	125.07	35.36	107.36
10	भारतीय स्क्वॉश रैकेट संघ, चेन्नई	57.49	168.25	146.54	68.40
11	भारतीय अमेच्योर मुक्केबाजी संघ, नई दिल्ली	185.47	174.30	165.89	309.75
12	हॉकी खेल शाखा (पुरूष) व (महिला) से संबंधित संगठन	346.42	762.82	435.76	423.05
13	भारतीय भारोत्तोलन संघ, नई दिल्ली	26.17	101.13	116.53	226.50
14	भारतीय बैडमिन्टन एसोसिएशन	265.79	435.48	150.71	199.48
15	भारतीय घुड़सवारी संघ, नई दिल्ली	86.26	5.05	0.00	0.00
16	अखिल भारतीय फुटबॉल संघ, दिल्ली	52.58	41.90	610.51	174.99
17	भारतीय गोल्फ संघ, नई दिल्ली	18.24	16.43	41.69	23.53
18	भारतीय कुश्ती संघ, इन्दिरा गांधी स्टेडियम, दिल्ली	316.78	470.00	153.98	573.51
19	भारतीय समुद्री नौकायन संघ, नई दिल्ली	36.71	147.85	85.95	5.40

PDF Compressor Free Version

क्र. स.	खेल संघ का नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 दिसम्बर, 2012 तक
20	भारतीय अमेच्योर कबड्डी संघ, जयपुर	32.08	11.77	10.00	121.00
21	भारतीय वॉलीबाल संघ, चेन्नई	63.51	73.91	150.53	84.68
22	भारतीय जिमनास्टिक्स संघ, जोधपुर	18.54	87.80	18.43	130.42
23	भारतीय अमेच्योर हैण्डबॉल संघ, जम्मू एवं कश्मीर	72.38	13.55	46.44	78.70
24	भारतीय बास्केट बॉल संघ, नई दिल्ली	44.52	61.60	24.24	227.89
25	भारतीय फेंसिंग एसोसिएशन, पटियाला	24.75	30.56	174.06	36.06
26	भारतीय कैयाकिंग एवं कैनोइंग एसोसिएशन, नई दिल्ली	30.51	26.21	0.00	185.72
27	अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद, नई दिल्ली	42.38	23.98	47.65	75.82
28	भारतीय पारालेम्पिक समिति, बेंगलूरु	40.10	142.83	221.39	13.38
29	विशेष ओलम्पिक भारत, नई दिल्ली	53.30	9.81	12.00	285.89
30	अखिल भारतीय कैरम संघ, नई दिल्ली	19.09	13.58	23.77	10.96
31	अखिल भारतीय कराटे डू फेडरेशन, चेन्नई	0.00	0.00	10.18	0.00
32	भारतीय अमेच्योर बेसबॉल संघ, दिल्ली	11.00	12.49	14.75	12.75
33	भारतीय बाद्या पाट्या संघ, नागपुर	16.50	5.92	12.00	10.50
34	भारतीय बॉल बैडमिन्टन संघ	0.00	0.00	0.00	0.00
35	भारतीय साइकल पोलो संघ, नई दिल्ली	15.90	9.34	7.76	12.00
36	भारतीय बॉडी बिल्डिंग संघ	0.00	0.00	0.00	0.00
37	भारतीय पोलो एसोसिएशन, नई दिल्ली	4.97	0.00	0.00	0.00
38	भारतीय पॉवर लिफ्टिंग संघ, जमशेदपुर	16.00	11.50	0.00	0.00
39	भारतीय खो-खो संघ, कोलकाता	0.00	4.50	7.50	16.50
40	भारतीय कॉर्फबॉल संघ, नई दिल्ली	12.72	13.31	5.50	2.50
41	भारतीय नेटबॉल संघ, दिल्ली	18.78	65.00	0.00	0.00
42	भारतीय रोलर स्केटिंग संघ, कोलकाता	0.00	0.00	0.00	0.00
43	भारतीय सेपक टक्रॉ संघ, नागपुर	12.00	8.00	12.00	12.00

PDF Compressor Free Version

क्र. स.	खेल संघ का नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 दिसम्बर, 2012 तक
44	भारतीय शूटिंग बॉल संघ, नई दिल्ली	9.00	12.00	12.00	12.00
45	भारतीय सॉफ्टबॉल संघ, इन्दौर	0.00	12.25	13.75	11.75
46	भारतीय ताइक्वोण्डू संघ, बैंगलूरू	0.00	11.89	55.10	76.14
47	भारतीय टेनी–कोईट संघ, बैंगलूरू	16.50	9.00	19.75	15.25
48	भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट संघ, गोरखपुर	16.00	5.00	9.00	8.50
49	भारतीय रस्सा–कस्सी संघ, नई दिल्ली	6.00	9.75	16.00	11.25
50	भारतीय वुशू संघ, नई दिल्ली	31.24	30.91	0.00	90.56
51	भारतीय थ्रोबॉल संघ, बैंगलूरू	0.00	0.00	0.00	0.00
52	भारतीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर संघ, कोलकाता	37.02	38.87	50.11	50.20
53	भारतीय रग्बी फुटबॉल संघ, मुम्बई	0.00	2.02	1.41	0.00
54	भारतीय शीतकालीन खेल संघ, नई दिल्ली	2.07	0.00	0.00	0.00
55	भारतीय साइकलिंग संघ, दिल्ली	0.00	49.78	82.34	0.00
56	भारतीय मल्लखम्ब संघ	9.00	0.16	11.50	0.00
57	भारतीय अमेच्योर साफ्ट टेनिस संघ, अहमदाबाद	6.86	10.75	14.75	11.75
58	भारतीय ब्रिज संघ	3.00	0.00	0.00	0.00
59	आईस हॉकी (एनएसपीओ), नई दिल्ली	1.50	0.00	0.00	0.00
60	भारतीय स्कूल खेल संघ, भोपाल	13.36	43.54	5.20	0.00
61	भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन, नई दिल्ली	238.96	204.00	1324.60	39.54
62	भारतीय खेल प्राधिकरण, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली	1000.00	2000.00	3700.16	322.00
63	भारतीय विश्वविद्यालय एसोसिएशन (एनएसपीओ),	0.00	158.45	381.00	160.89
64	भारतीय टेनपिन संघ	0.00	0.00	55.10	0.00
65	भारतीय बाउलिंग संघ	1.82	56.86	64.27	0.00

PDF Compressor Free Version

अनुबंध–10

वर्ष 2011–12 के दौरान नियुक्त विदेशी कोर्टों को दर्शाने वाला विवरण

Ø-l a	ns'k	Uke	ns'k
1-	,Fky sfVDl ¼,Ll s½	Jh fMfeVªh sotl kfdu	,Fkal
2-	,Fky sfVDl ¼,Ll s½ ,oagMy ½	Jh vuLrkfl ;k oMkZ	,Fkal
3-	,Fky sfVDl ¼gkbZtl fi½	Jh bbx e fufd fVu	,Fkal
4-	,Fky sfVDl ¼%cy ½	Jh vkfVZfk ks v y Mj ,MMj	i
5-	,Fky sfVDl ¼yMk ,oafV¶y t fi½	Jh boft uh f kohYy h	bVy h
6-	eqDdsckt h	Jh cht s vkbZ Qu kMlh	D, wk
7-	cKLd scky ¼q "k½	Jh o s Sk ok uscuV	,wl ,
8-	ckLd scky ¼efgy k½	Jh i hVj x kMZu	,wl
9-	cSMfeUVu	Jh Mfou bZ ku	bMksfu'k;k
10-	cSMfeUVu	Jh fj Tdh cwh j gt kr	bMksfu'k;k
11-	f Mks ¼efgy k½	Jh fl) SI kslq ,Ql	gaxjh
12-	gkWd h ¼q "k½	Jh ekbfd y t Sl uks	vkWLVªsfy ;k
13-	fu'kkusckth ¼,;j Qy LiksVZ½	Jh y sMh LVkfuLy ko	dtkfdLrku
14-	fu'kkusckth ¼"kVxu LiksVZ½	Jh ekl ;ks MªkMh	bVy h
15-	LDo'k	Jh fl skq kos ysq qks e ,e	eysf'k;k
16-	rkbdokMks	Jh l afd ;w t q	nf{k.k dksfj ;k
17-	Vsy VsfuI	Jh y s t s d dyk Zh	iksysaM
18-	Jequ ukdj.k	Jh iHVj MsoM dksos	baXySaM
19-	dqLrh ¼Ýh LVkby ½	Jh Øy kfnfej esxsVfo"koy h	csykjk
20-	dqLrh ¼xzhdksjkseu½	Jh vkfj [kkMt s	csykjk
21-	dqLrh ¼efgy k ,gy okuksadsfy ,½	Jh jksu Msekfpfr s	csykjk

PDF Compressor Free Version

अनुबन्ध –11

राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) से प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा

क्रम सं.	एनएसडीएफ से सहायता प्राप्त खिलाड़ी का नाम	सहायता दिए जाने का प्रयोजन	राशि (रुपये में)
		2001–2002	
1.	श्री अभिनव बिन्द्रा, निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	10,00,000
		कुल	10,00,000
		2002–2003	
1.	श्री अभिनव बिन्द्रा, निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	5,00,000
2.	श्री अनिल कुमार, एथलीट	–वही–	5,00,000
3.	सुश्री बॉबी अलासियस, एथलीट	–वही–	7,50,000
		कुल	17,50,000
		2003–2004	
1.	सुश्री अंजू बॉबी जार्ज, एथलीट	विदेश में प्रशिक्षण	14,91,505
2.	ले. कर्नल. राज्यवर्धन राठौर, निशानेबाज	–वही–	78,23,496
3.	श्री अभिनव बिन्द्रा, निशानेबाज	–वही–	1,90,000
4.	सुश्री बॉबी अलासियस, एथलीट	–वही–	18,67,531
5.	श्री अनिल कुमार, एथलीट	–वही–	8,37,794
		कुल	1,22,10,326
		2004–05	
1.	श्री मनशेर सिंह, निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	13,28,108
2.	श्री मानवजीत सिंह संधू, निशानेबाज	–वही–	7,90,390
3.	श्री अनवर सुल्तान, निशानेबाज	–वही–	5,17,573
4.	श्री गगन नारंग, निशानेबाज	–वही–	5,90,549
5.	सुश्री सुमा शिरूर, निशानेबाज	–वही–	2,73,213
6.	श्री अभिनव बिन्द्रा, निशानेबाज	–वही–	13,42,506
7.	सुश्री बॉबी अलासियस, एथलीट	–वही–	7,84,071
8.	ले. कर्नल. राज्यवर्धन राठौर, निशानेबाज	–वही–	5,89,932
		कुल	62,35,342

		2005–06	
1.	श्री गगन नारंग, निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	1,92,422
2.	ले. कर्नल. राज्यवर्धन राठौर, निशानेबाजी	–वही–	32,94,077
3.	श्री अनवर सुल्तान, निशानेबाज	–वही–	1,27,301
4.	श्री मानवजीत सिंह संधू, निशानेबाज	–वही–	1,28,032
5.	सुश्री अंजू बॉबी जार्ज, एथलीट	–वही–	71,154
6.	श्री मनशेर सिंह, निशानेबाज	–वही–	1,00,682
7.	श्री मुराद अली खान, निशानेबाज	–वही–	9,00,000
8.	ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान	तीरंदाजी उपस्कर की खरीद हेतु	6,03,493
		कुल	64,17,141
		2006–07	
1.	श्री मानवजीत सिंह संधू, निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	21,83,425
2.	श्री मनशेर सिंह, निशानेबाज	–वही–	8,35,041
3.	श्री रोनजन सोढी, निशानेबाज	–वही–	18,19,013
4.	श्री अनवर सुल्तान, निशानेबाज	–वही–	8,32,471
5.	श्री अभिनव बिन्द्रा, निशानेबाज	–वही–	37,02,881
6.	श्री परिमार्जन नेगी, शतरंज	–वही–	7,59,463
		कुल	98,10,074
		2007–08	
1.	श्री मानवजीत सिंह संधू, निशानेबाज	विदेशों में प्रशिक्षण	16,73,932
2.	श्री मनशेर सिंह, निशानेबाज	–वही–	18,32,676
3.	श्री अनवर सुल्तान, निशानेबाज	–वही–	4,32,687
4.	सुश्री सुमा शिरूर, निशानेबाज	–वही–	5,86,124
5.	श्री विक्रम भटनागर, निशानेबाज	–वही–	8,76,154
6.	ले. कर्नल. राज्यवर्धन राठौर, निशानेबाज	–वही–	6,87,124
7.	श्री परिमार्जन नेगी, शतरंज	–वही–	13,91,176
8.	श्री रंजन सोढी, निशानेबाज	–वही–	14,32,025
9.	भारतीय खेल प्राधिकरण	शूटिंग रेंज के निर्माण के लिए	37,50,000 (परियोजना बंद किए जाने के बाद से वापिस कर दी गई)

PDF Compressor Free Version

10.	भारतीय खेल प्राधिकरण	क्यूबा शिष्टमण्डल की यात्रा पर खर्च	3,08,774
11.	भारतीय विश्वविद्यालय एसोसिएशन	बैंकाक में विश्व यूनिवर्सिटी खेल में भारतीय यूनिवर्सिटी दल की भागीदारी	30,68,083
12.	एनआईसी एसआई	खेल सॉफ्टवेयर बनाना	4,00,000
13.	श्री वीरधवल खड़े, तैराकी	प्रशिक्षण के लिए	3,20,590
14.	श्री जोरावर सिंह संधू	प्रशिक्षण के लिए	3,94,890
15.	श्री अभिनव बिंद्रा	प्रशिक्षण के लिए	6,01,248
		कुल	1,77,58,490
		2008–09	
1–5	सुश्री अवनीत कौर सुश्री अंजली भागवत श्री गगन नारंग श्री संजीव राजपूत श्री समरेश जंग (कोचों सहित)	प्रशिक्षण के लिए	57,95,494
6.	सुमा शिरूर	–वही–	2,90,027
7.	श्री अनवर सुलतान	–वही–	1,43,165
8.	श्री विक्रम भटनागर	–वही–	1,08,002
9.	श्री जोरावर सिंह	–वही–	6,00,923
10.	सुश्री तानिया सचदेव	–वही–	4,63,599
11.	श्री मानवजीत सिंह संधू	–वही–	43,75,418
12.	श्री मनशेर सिंह	–वही–	48,40,220
13.	श्री रंजन सोढी	–वही–	43,36,684
14.	श्री अभिनव बिंद्रा	–वही–	9,81,229
15.	श्री परिमार्जन नेगी	–वही–	10,83,237
16.	श्री विरधवल खाडे	–वही–	10,30,668

PDF Compressor Free Version

17.	संदीप सेजवाल	—वही—	3,44,045
18.	श्री अनूप श्रीधर	—वही—	5,16,105
19.	श्री नरेश कुमार शर्मा	—वही—	28,12,904
20.	भारतीय नौकायन संघ	—वही—	12,78,081
21.	भारतीय जूडो संघ	—वही—	4,45,744
22.	अखिल भारतीय टेनिस एसोसिएशन	—वही—	29,14,680
23.	भारतीय अमेच्योर मुक्केबाजी संघ	—वही—	11,64,156
24.	प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु एथलिटों की घरेलू हवाई यात्रा पर व्यय	घरेलू हवाई यात्रा पर व्यय	1,03,888
25.	मेलबोर्न ओलंपिक्स 1956 में भारतीय फुटबाल टीम के 8 सदस्यों का सम्मान	सम्मान समारोह	16,31,891
26.	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र	खेल सॉफ्टवेयर के रख रखाव हेतु	1,50,000
		कुल	3,64,20,826
		2009—10	
1.	श्री अनिल कुमार	प्रशिक्षण के लिए	6,40,977
2.	श्री परिमार्जन नेगी	—वही—	16,85,418
3.	सुश्री तानिया सचदेव	—वही—	6,73,889
4.	श्री अभिनव बिंद्रा	—वही—	90,54,726
6.	सुश्री अंजली भागवत	—वही—	90,177
5.	सुश्री अवनीत कौर	—वही—	1,26,277
7.	श्री गगन नारंग	—वही—	1,16,973
8.	श्री संजीव राजपूत	—वही—	1,17,511
9.	श्री सोमरेश जंग	—वही—	64,801
10.	श्री मानवजीत सिंह संधू	—वही—	54,10,244
11.	श्री मनशेर सिंह	—वही—	34,50,036
12.	श्री रंजन सोढी	—वही—	47,20,886
13.	श्री नरेश कुमार शर्मा	—वही—	16,36,485
14.	श्री शिव केशवन	—वही—	16,24,006
15.	श्री जामयंग नामग्याल	—वही—	8,69,322
16.	श्री ताशी लुनडुप	—वही—	7,56,805
17.	श्री अनूप श्रीधर	—वही—	73,805

PDF Compressor Free Version

18.	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय	10 संबंद्ध कालेजों में खेल सुविधाएं सृजित करना	1,36,00,000
19.	भारतीय राष्ट्रीय खेल मैदान एसोसिएशन (एनपीएफएआई)	एनपीएफएआई के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रारंभिक धनराशि के रूप में	50,00,000
20.	अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबंद्ध खेल संस्थान, मनाली, हिमाचल प्रदेश	अल्पाइन/ग्रास स्किइंग में प्रशिक्षण/प्रतिस्पर्धा हेतु स्किइंग उपस्करों का प्रापण	75,00,000
21.	जिला खेल परिषद कुरुक्षेत्र	महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए छात्रावास का निर्माण	37,50,000
22.	उपायुक्त, लेह	नूब्रा घाटी लद्दाख में पोलो टूर्नामेंट आयोजित करना	75,000
23.	भारतीय नौकायन संघ	ओलम्पिक के लिए खिलाड़ियों की तैयारी के भाग के रूप में	75,101
24.	भारतीय जूडो संघ	ओलम्पिक के लिए खिलाड़ियों की तैयारी के भाग के रूप में	12,690
25.	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र	खेल सॉफ्टवेयर के रख रखाव हेतु	2,07,260
26.	राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी	प्रोत्साहन के रूप में भुगतान	90,20,000
		कुल	7,03,61,472
		2010–11	(31.12.2010 तक)
1.	श्री परिमार्जन नेगी	प्रशिक्षण के लिए	5,05,208
2.	श्री अभिनव बिंद्रा	–वही–	63,79,820
3.	श्री मानवजीत सिंह संधू	–वही–	61,48,886
4.	श्री मनशेर सिंह	–वही–	39,73,507
5.	श्री रंजन सोढ़ी	–वही–	58,78,644
6.	श्री सोमदेव देववर्मन	–वही–	6,19,005

PDF Compressor Free Version

7.	श्री लिएन्डर पेस	–वही–	22,08,675
8.	श्री बलजीत सिंह	उनकी आंख के उपचार हेतु चिकित्सा व्यय	33,08,301
9.	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय	खेल बुनियादी ढांचा	45,40,000
10.	भारतीय कुश्ती संघ	ओलम्पिक के लिए खिलाड़ियों की तैयारी के भाग के रूप में	2,91,133
11.	माइल्डलिंक इंडिया फाउन्डेशन (मैजिक बस)	विकास हेतु खेलों पर मैदान शिखर सम्मेलन 2010–राष्ट्रीय सम्मेलन हेतु स्थल प्रभार	1,16,400
12.	तंगखुल नागा सोसायटी	नई दिल्ली में चौथा पूर्वोत्तर तन्चोंन फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित करना	3,00,000
13.	जिला युवा सेवाएं एवं खेल (लाहौल एवं स्पिति)	काजा (स्पिति) में आइस स्केटिंग रिंक का निर्माण	3,11,090
14.	एनएस, एनआईएस, पटियाला (भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से)	हॉकी क्रिडांगन के विकास हेतु	86,82,000
15.	भारतीय राष्ट्रीय खेल मैदान एसोसिएशन	एनडीएमसी क्षेत्र में 78 खेल मैदानों के विकास हेतु	1,92,00,000
16.	अन्तर्राष्ट्रीय पारालिम्पिक समिति	न्यूजीलैण्ड में पारालिम्पिक प्रतिस्पर्धा में पांच एथलिटों के भाग लेने हेतु	14,07,815
		कुल	6,48,70,264

PDF Compressor Free Version

2011–12 (31.11.2012 तक)			
1.	श्री अनिल कुमार, एथलीट	प्रशिक्षण के लिए	2,26,948
2.	श्री अनूप श्रीधर, बैडमिंटन खिलाड़ी	–वही–	38,515
3.	श्री परिमार्जन नेगी, शतरंज खिलाड़ी	–वही–	10,09,512
4.	सुश्री तानया सचदेवा, शतरंज खिलाड़ी	–वही–	3,189
5.	श्री अभिनव बिंद्रा, शूटर	–वही–	13,12,355
6.	श्री मानवजीत सिंह संधू, शूटर	–वही–	39,11,182
7.	श्री मनशेर सिंह, शूटर	–वही–	10,93,433
8.	श्री रोनजन सोढी, शूटर	–वही–	41,00,817
9.	श्री सोमदेव देववर्मन, टेनिस खिलाड़ी	–वही–	16,49,446
10.	श्री ओम प्रकाश सिंह करहाना, एथलीट	–वही–	30,12,089
11.	सुश्री कृष्णा पूनिया, एथलीट	–वही–	25,57,758
12.	श्री विकास गौड़ा, एथलीट	–वही–	26,82,155
13.	श्री महेश भूपति, टेनिस खिलाड़ी	–वही–	15,65,324
14.	सुश्री सानिया मिर्जा, टेनिस खिलाड़ी	–वही–	6,09,636
15.	श्री रोहन बोपन्ना, टेनिस खिलाड़ी	–वही–	6,11,836
16.	सुश्री युकी भाम्बरी, टेनिस खिलाड़ी	–वही–	4,25,296
17.	श्री मयूखा जोनी, एथलीट	–वही–	12,88,577
18.	4 एथलीट (प्रिजा श्रीधरन, कविता राउत, ओ. पी. जयशा, सुधा सिंह)	–वही–	18,90,382
19.	9 जिम्नास्टिक (4 पुरुष और 5 महिला)	–वही–	88,91,000
20.	उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स (स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इण्डिया के माध्यम से)	एथलेटिक ट्रैक का निर्माण	4,92,00,000
21.	भारतीय अमेच्योर मुक्केबाजी संघ	इंडोनेशिया और कजाकिस्तान में प्रतिस्पर्धाओं में भारतीय मुक्केबाजी दल की भागीदारी के लिए हवाई भाड़ा और अन्य व्यय	23,39,978

22.	ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान	तीरंदाजी उपस्करों की खरीद	31,302
23.	अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान, मनाली, हिमाचल प्रदेश	प्रशिक्षण /प्रतिस्पर्धा परियोजन हेतु विभिन्न श्रेणियों के स्किइंग सेटों की खरीद	24,08,646
24.	तांगखुल नागा सोसायटी	नई दिल्ली में पूर्वोत्तर चैम्पियन फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित करना	5,00,000
25.	जम्मू एण्ड कश्मीर ओलम्पिक एसोसिएशन	श्रीनगर जम्मू एवं कश्मीर में ओलम्पिक डे रन का आयोजन	3,01,380
26.	उदय संस्कृत एवम् क्रीडा संस्थान	कैलाशवासी श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्मारक उदय मैराथन	2,00,000
27.	डयूरेंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसायटी	डयूरेंड फुटबॉल टूर्नामेंट 124वां अंक आयोजित करना	18,75,000
		कुल	9,41,18,932

PDF Compressor Free Version

राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) विभिन्न संगठनों से अंशदान

राशि रूपयों में

वर्ष	स्रोत जिससे निधियां जुटाई गई हैं (दानकर्ता का नाम)	दान की राशि (रूपये)	बराबरी आधार पर सरकार का योगदान
1998–99	–	–	2,00,00,000 (प्रारंभिक धनराशि)
	कुल (1998–99)	–	
1999–00	रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पॉवर कार्पोरेशन लि.	5,00,000	11,60,000
	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	5,00,000	–
	मैसर्स बलमेर लॉरी एण्ड कम्पनी लिमिटेड	1,00,000	
	पंजाब नेशनल बैंक	50,000	
	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	10,000	
	कुल (1999–2000)	11,60,000	
2000–01	नाथपा झाकरी पॉवर कोरपोरेशन लिमिटेड	2,00,000	1,25,00,000
	पॉवर फायनेंस कोरपोरेशन	2,00,000	
	कुछ वर्षों पहले श्री कपिल देव द्वारा अंशदान जो राष्ट्रीय खिलाड़ी कल्याण निधि में अप्रयुक्त पड़ा है जिसका ब्याज श्री कपिल देव की सहमति से एनएसडीएफ को अन्तरित कर दिया गया	1,21,00,000	
	कुल (2000–2001)	1,25,00,000	
2001–02	हुडको	25,00,000	25,00,000
	कुल (2001–2002)	25,00,000	
2002–03	–	–	
	कुल (2002–2003)	–	
2003–04	पंजाब नेशनल बैंक	5,00,000	19,46,050
	एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक आफ इंडिया	5,00,000	
	बैंक ऑफ इंडिया	50,000	

PDF Compressor Free Version

	चैन्नई पेट्रोलियम कोरपोरेशन लिमिटेड	1,00,000	
	नोर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कोरपोरेशन ऑफ इंडिया	20,000	
	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	25,000	
	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	25,000	
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1,00,000	
	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	5,00,000	
	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1,25,000	
	श्री के एस राणा	300	
	श्री के पी कन्हैया	250	
	श्री एस के गुप्ता	500	
	कुल (2003–2004)	19,46,050	
2004–05	पॉवर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	5,00,000	19,83,598
	वीडियोकोन इन्टरनेशनल लिमिटेड	1,20,000	
	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	20,000	
	ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	3,00,000	
	युज्जोलन मशीनरी फेब्रिकेटर्स	4,00,000	
	राष्ट्रीय खेल दिवस पर ध्वज वितरण के माध्यम से एकत्रित निधियां	6,43,648	
	कुल (2004–2005)	19,83,648	
2005–06	जिन्दल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड	25,00,000	28,79,027
	राष्ट्रीय खेल दिवस पर ध्वज वितरण के माध्यम से एकत्रित निधियां	3,78,352	
	कुल (2005–2006)	28,78,352	
2006–07	राष्ट्रीय खेल दिवस पर ध्वज वितरण के माध्यम से एकत्रित निधियां	84,219	
	कुल (2006–2007)	84,219	
2007–08	एसएआईएल	1,00,00,000	5,00,00,000
	बीसीसीआई	15,00,00,000	
	कुल (2007–2008)	16,00,00,000	

PDF Compressor Free Version

2008–09	बीसीसीआई	35,00,00,000	10,25,00,000
	कुल (2008–2009)	35,00,00,000	
2009–10	आरएसआई फाउन्डेशन	10,00,000	8,12,00,000
	मध्य प्रदेश राज्य सरकार	1,00,00,000	
	हरियाणा राज्य सरकार	1,00,00,000	
	कुल (2009–2010)	2,10,00,000	
2010–11			20,00,00,000
	कुल (2010–2011)	—	
2011–12	महाराष्ट्र राज्य सरकार	1,00,00,000	
	जेपी स्पोर्टस इन्टरनेशनल लिमिटेड	10,00,00,000	
	कुल (2011–2012)	11,00,00,000	
	सकल योग	88,40,52,270	47,88,88,676

PDF Compressor Free Version

लंदन ओलम्पिक 2012 के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की सूची (जनवरी, 2012 तक)

क्र. सं.	खिलाड़ियों के नाम	खेल का नाम
1.	सुश्री लइश्राम बोम्बायला देवी	तीरंदाजी
2.	सुश्री दीपिका कुमारी	
3.	सुश्री चेक्रोवोलु स्वुरो	
4.	श्री जयंत तालुकदार	तीरंदाजी
5.	श्री विकास गौड़ा	एथलेटिक्स
6.	श्री गुरमीत सिंह	एथलेटिक्स
7.	श्री बाबू भाई पनूचा	एथलेटिक्स
8.	श्री ओम प्रकाश सिंह करहाना	एथलेटिक्स
9.	सुश्री मायूखा जॉनी	एथलेटिक्स
10.	सुश्री टिंटू लूका	एथलेटिक्स
11.	सुश्री कृष्णा पूनिया	एथलेटिक्स
12.	श्री राम सिंह यादव	एथलेटिक्स
13.	श्री मनोज कुमार	मुक्केबाजी
14.	श्री देवेन्द्र सिंह	मुक्केबाजी
15.	श्री जय भगवान	मुक्केबाजी
16.	श्री विकास कृष्ण	मुक्केबाजी
17.	श्री गगन नारंग	निशानेबाजी
18.	श्री अभिनव बिंद्रा	निशानेबाजी
19.	श्री हरिओम सिंह	निशानेबाजी
20.	श्री रौंजन सोढ़ी	निशानेबाजी
21.	श्री विजय कुमार	निशानेबाजी
22.	श्री संजीव राजपूत	निशानेबाजी
23.	श्री अनुराज सिंह	निशानेबाजी
24.	सुश्री राही सर्नोबत	निशानेबाजी
25.	सुश्री शगुन चौधरी	निशानेबाजी
26.	श्री मानवजीत सिंह संधू	निशानेबाजी
27.	श्री इमरान हसन	निशानेबाजी
28.	श्री विर्धावल खरे	तैराकी
29.	श्री संदीप सेजवाल	तैराकी

PDF Compressor Free Version

भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
नई दिल्ली